द्वितीय माला, खण्ड ६—अंक ३१
२६ अगस्त, १९५७ (सोमवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

CHAMBER FUMIGATED 21.VI.73

2nd Lok Sabha (Second Sesion)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ६ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

164 LSD

विषय–सूची

द्वितीय माला, खण्ड ६—अंक ३१ से ४०—३० अगस्त से ५ सितम्बर, १९५७

पृष्ठ

अंक ३१—सोमवार, २६ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५७, ११५८, ११६०, ११६२, ११६५, ११६६, ११६९, ११७१, ११७३, ११७५ से ११७९, ११८२, ११८४, ११८५, ११८८ से ११९३ और ११९७ से ११९९... ४५७७—४५०४

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २० और २१ . . . ४५०५—०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९, ११६१, ११६३, ११६४, ११६७, ११६८, ११७०, ११७२, ११७४, ११८०, ११८१, ११८३ ११८६, ११९४ से ११९६, १२०० से १२०५, १२०७, ७९६, ८२३, ९४७ और ९६४ . . . . ४५०९—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७४ से ९२५ . . . ४५१९—४५

व्यय-कर विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उप-स्थापित . . . ४५४५

धन-कर विधेयक और व्यय-कर विधेयक—

प्रवर समितियों के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति—सभा पटल पर रखी गई ४५४५

अविलम्बनीय लोक महत्व के काम की ओर ध्यान दिलाना—

लामाकिन क्षेत्र के गिंग ग्राम में विमान दुर्घटना . . . ४५४५—४७

वित्त (संख्या २) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ४५४७—९२

दैनिक संक्षेपिका . ४५९३—९६

पृष्ठ

अंक ३२—मंगलवार, २७ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, से १२१०, १२१२, १२१५, १२१६, १२१९ से १२२४, १२२६ से १२२९, १२३१, १२३२ और १२३६ से १२३८ . . . . ४५९७—४६२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२११, १२१३, १२१४, १२१७, १२१८, १२२५, १२३३ से १२३५ और १२३९ से १२४२ . . ४६२३—२७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२६ से ९५३, ९५५ से ९६१, ९६३ और ९६५ . . . . . ४६२८—४४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पटाखों से भरे वैगन में विस्फोट . . . ४६४४—४६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ४६४६—४७

वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५७—

विचार करने का प्रस्ताव . . ४६४७—४७०२

खण्ड २ से १६ और प्रथम अनुसूची . . . ४६६८—४७०२

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४७०३—०५

अंक ३३—बुधवार, २८ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४४, १२४७ से १२५२, १२५६ से १२५८, १२५८-क, १२५९ से १२६१ और १२६६ से १२७२ ४७०७—३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४५, १२५३ से १२५५, १२६४, १२६५ और १२७३ से १२७९ . . . . ४७३३—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९६६ से ९७३ और ९७५ सें ९९१ ४७३९—४८

स्थगन प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति का बिगड़ना . ४७४८—४९

श्री रंग बिहारी लाल का निधन . ४७४९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७५०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्प सम्बन्धी समिति—

छठा प्रतिवेदन . . . ४७५०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बिहार तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति . . ४७५०—५१

पृष्ठ

वित्त (संख्या २) विधेयक . . . . . ४७५२—६६

अनुसूची संख्या १ और २ और खंड १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ४७५२—६१

धन-कर विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव . . . . . ४७६६—८६

पश्चिमी बंगाल में कार्यस्थल शिविरों के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा . ४७६०—६४

दैनिक संक्षपिका . . . . . ४७६५—६८

अंक ३४—गुरुवार, २६ अगस्त, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२८०, १२८१, १२८३, १२८५ से १२६०, १२६२, १२६४, १२६५, १३०८, १२६६, १२६८, १२६६, १३०२ से १३०५ . . . . ४७६६—४८२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२८२, १२८४, १२६१, १३६३, १२६७, १३००, १३०१, १३०७, १३०६ से १३१६, १३१६-क, १३२० से १३२४ . . . . ४८२३—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६२ से १०३५ से १०४० . ४८३४—५४

स्थगन प्रस्ताव—

पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में सूखे की स्थिति . ४८५४—५५

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . ४८५५—५६

धन-कर विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४८५६—६१

खण्ड २ से ४६, अनुसूची और खण्ड १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ४८७०—६१

विस्थापित व्यक्तियों के शिविरों के लिए तम्बू खरीदे जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . . . ४८६१—६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४८६५—६७

अंक ३५—शुक्रवार, ३० अगस्त, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३३२, १३३४ से १३३७, १३३६, १३४२ से १३४४ और १३४६ . . . ४८६६—४६२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३३३, १३४०, १३४१, १३४५, १३४७, से १३५५ और १३५७ से १३७० . . . ४६२२—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४१ से १०४६, १०५१ से १०६८ और १०७० से १०८५ . . . . . ४६३२—५०

स्थगन प्रस्ताव--	पृष्ठ
छोटा नागपुर में चिन्ताजनक खाद्य स्थिति के बारे में . .	४९५२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४९५२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	४९५२
आधे घंटे की चर्चा के उत्तर को शुद्ध करने के बारे में वक्तव्य . .	४९५२
समितियों के लिये निर्वाचन--	
(१) केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड	४९५३
(२) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड	४९५३
जीवन बीमा निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक--	
पुरःस्थापित किया गया	४९५३
रेलवे यात्री किराया विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	४९५३--७६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
छठा प्रतिवेदन	४९७६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिए एक स्पष्ट मूल्य नीति के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए एक समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प .	४९७७--९७
राज्य-सभा से सन्देश	४९८८
कार्य मंत्रणा समिति	
आठवां प्रतिवेदन	४९९७
चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प .	४९९७--५००२
दैनिक संक्षेपिका .	५००३--०७
अंक ३९--शनिवार, ३१ अगस्त, १९५७	
सभा का कार्य	५००९, ५०१०-११
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	५००९-१०
कार्य मंत्रणा समिति--	
आठवां प्रतिवेदन . .	५०१०--१२
रेलवे यात्री किराया विधेयक--	
विचार के लिये प्रस्ताव	५०१२--३१
खंड २ से ६, अनुसूची तथा खंड १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	५०१९--३१
विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक--	
विचार के लिये प्रस्ताव .	५०३१--५३
खण्ड २ से १९ और १--	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	५०४५--५२

व्यय-कर विधेयक—

पृष्ठ

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव . ५०५३—६८

औषधीय जड़ी बूटी संगठन तथा कच्ची औषधियों के प्रयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ५०६८–६९

दैनिक संक्षेपिका . . . ५०७०

अंक ३७, सोमवार, २ सितम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७२, १३७४, १३७६ से १३८१, १३८३ से १३८७, १३८९ से १३९१, १३९३, १३९५ से १३९७, १४०० से १४०२ . . . ५०७१—९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न सख्या १३७१, १३७३, १३७५, १३८२, १३८८, १३९४, १३९८, १४०३ से १४०६ . . . ५०९६—५१००

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११२४ . . ५१००—१८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ५११८—१९

नियम समिति—

पहला प्रतिवेदन ५११९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ५११९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

जबलपुर छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का त्यागपत्र . . ५११९–२०

अनुपस्थिति की अनुमति . . ५१२०–२१

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ५१२१—६५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५१६५—६९

अंक ३८, मंगलवार, ३ सितम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४०७, १४०८, १४१७, १४०९ से १४१६ और १४१८ से १४२३ . . ५१७१—९४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ . . ५१९४—९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४४१ . . . ५१९६—५२०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२५ से ११३१, ११३३ से ११४७ और ११४९ से ११७५ . . . . ५२०३—२४

१९५७-५८ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें . . ५२२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भीड़ द्वारा नडियाद में रेलगाड़ी का रोका जाना . . ५२२५–२६

दमदम हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ५२२६

समिति के लिए निर्वाचन— पृष्ठ

राज-भाषा आयोग की सिफारिशों का परीक्षण करने के लिये संसद् की समिति . . . ५२२७–२८

व्यय कर विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ५२२८—७१

खण्ड २ से ५ . . . . . ५२४५—७१

दैनिक संक्षेपिका . . . ५२७२—७५

अंक ३९—बुधवार, ४ सितम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४४२ से १४४५, १४४७ से १४५३, १४५५ से १४६० और १४७१ . . . . . ५२२७—५३०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३८, १४४६, १४५४, १४६१ से १४७०, १४७२ से १४७७, १४७७-क, १४७८ से १४८४ और १४८६ से १४८८ . . . . ५३०३—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७६ से १२१४ और १२१६ से १२६० . ५३१४—४७

स्थगन प्रस्ताव—

कानपुर के मालगोदाम में विस्फोट . . . ५३४८—५०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . . ५३५०

व्यय कर विधेयक—

खण्ड ५ से ४१ तथा १ और अनुसूची संशोधित रूपमें पारित करने का प्रस्ताव . . . ५३५०—७१

बीमा (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव . ५३७२—८०

खण्ड २ से ५ तथा १

पारित करने का प्रस्ताव ५३७९–८०

विधान परिषद् विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . ५३८१—८७

दैनिक संक्षेपिका . . . . ५३८८—९२

अंक ४०—गुरुवार, ५ सितम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८९, १४९१ से १४९८, १५००, १५०१, १५०३ से १५०९ और १४९९ . . . ५३९३—५४१७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २३ . . . . ५४१७—१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या १४९० और १५१० से १५२६ . . ५४१९—२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६१ से १३०२ . . . ५४२७—४७

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . ५४४८

नियम समिति की कार्यवाही सारांश . . ५४४८

राज्य सभा से सन्देश ५४४८

भारतीय डाक घर बचत नियमों के बारे में याचिका . ५४४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

पाकिस्तान को भारत द्वारा देय राशियां ५४४८–४९

विधान परिषद् विधेयक

विचार के लिये प्रस्ताव . ५४५०—८४

खण्ड २ से ८ . . . . . ५४६४—८४

टाटा लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित इंजनों के लिए दिए गए मूल्यों के सम्बन्ध में चर्चा ५४८४--९५

दैनिक संक्षेपिका . . . ५४९६—९९

समेकित विषय सूची (२६ अगस्त, से ५ सितम्बर, १९५७ तक) . (१—७)

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सोमवार, २६ अगस्त, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाकिस्तान को और नहरी पानी की बकाया राशि[1]

+

†*११५७. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १५ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार से नहरी पानी की बकाया राशि के बारे में कोई सूचना मिली है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) 'विवाद ग्रस्त' बकाया राशि के बारे में पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

'विवादहीन' राशि जून, १९५७ को समाप्त होने वाली तिमाही तक लगभग पूरी दे दी गई है।

(ख) इस विषय पर पाकिस्तान सरकार के साथ पत्र-व्यवहार जारी है।

†श्री दी० चं० शर्मा : विवाद ग्रस्त राशि पाकिस्तान सरकार से कितनी बाकी है तथा इस राशि के अन्तर्गत कौन-कौन सी मदें हैं ?

†श्री हाथी : १५ अगस्त, १९४७ से ३० जून, १९५० तक विवादहीन कुल रकम ९१ लाख ७५ हजार रुपये थी। ८९ लाख रुपये जमा किये गये थे। विवादग्रस्त राशि २९ लाख रुपये थी। उन्होंने पूरे २९ लाख रुपये जमा कर दिये हैं। १९५० के पश्चात्, विवादग्रस्त हिसाब में ८५ लाख रुपये बाकी रहे। १९५० के बाद उन्होंने कुछ नहीं चुकाया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

1. Canal Water dues from Pakistan.

†**श्री दी० चं० शर्मा:** पाकिस्तान सरकार ने किन कारणों से वह रुपया नहीं दिया है जिसे हमारी सरकार विवाद-ग्रस्त मानती है ?

†**श्री हाथी:** उनके कथनानुसार मुख्य कारण पूंजीगत कार्यों के ब्याज की दर के हिसाब में कुछ कठिनाई है कि यह ४ प्रतिशत हो या २ प्रतिशत । यद्यपि इसके अतिरिक्त अन्य अनेक बहाने उन्होंने बताये हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह :** इस बात को दृष्टिगत करते हुए कि पाकिस्तान सरकार पानी की बकाया राशि में विवाद खड़ा कर रही है क्या सरकार इस कारण पानी का संभरण बंद कर देगी ?

†**श्री हाथी :** जहाँ तक विवादहीन मदों का सम्बन्ध है उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वे इसे अदा कर रहे हैं। किन्तु विवादग्रस्त रकम के सम्बन्ध में पूंजीगत कार्यों पर मूल्य के चारगुने पर ४ प्रतिशत ब्याज किया जाता है। उनका मत है यह पूंजीगत कार्यों पर उनकी कीमत पर ४ प्रतिशत होना चाहिये । यह अन्तर सुलझाना है।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या मंत्री का ध्यान पाकिस्तानी प्रधान मंत्री के हाल के उस वक्तव्य की ओर गया है कि वह नहरी पानी के विवाद पर अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिये तैयार हैं?

†**श्री हाथी :** अखबारों में कुछ खबर छपी थी।

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** क्या विवादग्रस्त रकम के पुराने हल में ४ प्रतिशत की बात स्वीकार की गई थी अथवा नहीं ? उस समझौते का क्या आधार था ?

†**श्री हाथी :** कोई समझौता नहीं हुआ था। दो मदें थीं—एक विवादहीन जिस पर वे सहमत थे; दूसरी स्वयं ही विवादग्रस्त थी।

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** १९५१ के पूर्व, विवादग्रस्त मामले भी सुलझ गये थे ?

†**श्री हाथी :** ये दो भागों में विभक्त हैं।

कृषक पर्यटन कार्यक्रम[2]

+

†*११५८. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री आसर :
श्री बालकृष्णन् :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एक ऐसा कार्यक्रम बनाया है जिसके अन्तर्गत किसान और खेतिहर भारत तथा विश्व के अन्य खेति प्रधान देशों की यात्रा कर सकेंगे;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का निश्चित स्वरूप एवं कार्यक्रम क्या है;

(ग) यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी; और

(घ) योजना के वित्तीय पहलू क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

2. Agriculturist Tour Programme.

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) केवल भारत के ही अन्य भागों की यात्रा के लिये किसानों और खेतिहरों के सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ख) इस योजना का उद्देश्य खेती की पद्धतियों एवं विचारों का आदान-प्रदान करना है।

(ग) ज्योंही विस्तृत ब्यौरा अन्तिम रूप में पहुँच जायेगा।

(घ) सरकार खर्च नहीं उठायेगी। इसमें भाग लेने वाले ही खर्च वहन करेंगे।

†श्री श्रीनारायण दास : यह योजना कब तक तैयार होकर क्रियान्वित हो जायेगी?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : योजना लगभग तैयार है। किन्तु इसे अन्तिम रूप देना है। किन्तु अग्रिम योजना के रूप में हमने आंध्र प्रदेश और मद्रास से छ किसानों का चुनाव किया है जिन्हें बम्बई और मध्य प्रदेश भेजा जायेगा।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या इस सम्बन्ध में किसानों और खेतिहरों से राय ली गई है। अथवा उनके संगठनों से सम्पत्तियां मांगी गई है।

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : वस्तुतः इस विषय पर कृषक-गोष्ठी में चर्चा की गई थी; उन्होंने ही इसका सूत्रपात किया था। सरकार ने उक्त सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है।

†श्री याज्ञिक: विदेशी यात्राओं अथवा अन्य स्थानों के भ्रमण के लिये इन किसानों का चुनाव करने में किन मान्यताओं को आधार माना जाता है? क्या केवल कृषक-गोष्ठी[3] में से ही लोगों का चुनाव किया जाता है अथवा कुछ और व्यक्ति भी कृषि में रुचि रखते हैं?

†श्री रंगा : अन्य कृषक संगठन।

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : यह प्रश्न किसानों की भारत यात्रा के सम्बन्ध में है। किन्तु माननीय सदस्य किसानों को विदेश भेजने के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं। इनका चुनाव फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्गत किया जाता है। यह चुनाव राज्यों की चुनाव समिति द्वारा किया जाता है। वे नामों की एक सूची केन्द्र के पास भेजते हैं और केन्द्र में एक समिति की रचना की गई है। यह समिति ही इन लोगों का चुनाव करती है।

†श्री रंगा : इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि किसानों के लिये रेलगाड़ियाँ, एक स्पेशल डिब्बे के अतिरिक्त, आंध्र किसान सम्मलन द्वारा आयोजित की गई थी, और उन्हें किसानों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में पर्याप्त अनुभव हो गया है, क्या सरकार ने इस प्रयोग से लाभान्वित होने की वाञ्छनीयता और उस सम्बन्ध में प्रकाशित पैम्फूलेट को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार विचार करेगी अथवा विचार किया गया है?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : यह बहुत अच्छी योजना है। आरम्भ श्लाघनीय है। वास्तव में किसानों के लिये चलाई जाने वाली ये गाड़ियाँ बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। किन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि किसानों के लिये आयोजित एक गाड़ी में मैंने कुछ बनियों को भी किसानों के नाम पर यात्रा करते हुए देखा है। इस प्रकार वे इस अवसर का उपयोग मेले में जाने के लिये अथवा बनारस या किसी क्षेत्र की यात्रा के लिये प्रयुक्त करते हैं।

†डा० राम सुभग सिंह : बनिये भी किसान हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[3] Farmer's forum.

†श्री रंगा : मैंने इस किसान गाड़ी का विशेष रूप से उल्लेख किया था। मैंने मंत्री महोदय से बनियों के बारे में अथवा उन दूसरे व्यक्तियों की यात्रा के बारे में कुछ नहीं पूछा था जिसे वे सहज ही जानते हैं। मुझे केवल आंध्र किसान सम्मेलन द्वारा चलाई जाने वाली विशेष रेलगाड़ियों के बारे में पूछना था। मंत्री ने कहा है कि वह उन लोगों से मिले थे। मैं उन लोगों को विशेष सहायता देने के लिये नहीं कह रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता कि क्या सरकार अपना कार्यक्रम तैयार करते समय उनके अनुभव से लाभ उठायेगी।

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : जी, हाँ। हम सम्पूर्ण किसान संगठनों और किसानों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के अनुभव से लाभ उठाना चाहते हैं और माननीय सदस्य से मैं आह्वान करता हूं कि वह अपने सुझाव भेजें।

बिहार में रेलवे लोक सेवा आयोग

*११६०. श्री विभूति मिश्र: : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने अब तक बिहार में रेलवे लोक सेवा आयोग का प्रधान कार्यालय स्थापित नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का वहां प्रधान कार्यालय स्थापित करने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) . सरकार की यह नीति नहीं है कि हर राज्य में अलग-अलग रेलवे सर्विस कमीशन खोले जायें।

†श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि रेलवे की जो बड़ी लाइन है, उसमें नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू के वास्ते हमारे यहां के लोगों को कलकत्ता जाना पड़ता है तथा छोटी लाइन में नौकरी पाने के लिए उन्हें गोरखपुर जाना पड़ता है? क्या सरकार कोई ऐसी सुविधा उनको नहीं मुहैया कर सकती है कि नजदीक ही किसी स्थान पर उनकी इंटरव्यू कर ली जाया करे ?

†श्री शाहनवाज खां : इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई इन चार जगहों के ऊपर हमने रेलवे सर्विस कमिशन कायम किये हैं और जो लोग इन मरकज या सेंटर्स के करीब होते हैं वे उधर बुला लिये जाते हैं और यह भी जरूरी नहीं है कि उन्हीं जगहों पर बुलाये जांय बल्कि कई और दूसरे मुकामात पर भी जैसे कभी मुरादाबाद और कभी दिल्ली में जिस डिवीजन के लोग नजदीक पड़ते हैं वहां से लोगों को बुलाया जाता है।

†श्री ब० स० मूर्ति: क्या प्रत्येक जोन में रेलवे सेवा आयोग की स्थापना करने का मंत्रालय का विचार है ?

†शाहनवाज खां : फिलहाल चार जोन स्थिति का भली प्रकार सामना कर रहे और हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रंगा उठे—

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य नीति सम्बन्धी प्रश्न उठा रहे हैं। वे चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य की राजधानी में लोक सेवा आयोग हो। यह नीति सम्बन्धी प्रश्न यहां नहीं उठाया जा सकता है।

†श्री रंगा : प्रश्न केवल यह है कि क्या यह बात अनेक वर्षों से सरकार के सामने नहीं रखी गई थी और सरकार ने इस पर विचार क्यों नहीं किया?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल जानकारी प्राप्त करने के लिये ही प्रश्न पूछें। नीति सम्बन्धी प्रश्न की अनुमति नहीं है। इसमें परिवर्तन के लिये पर्याप्त समय है। यह अभी नहीं किया जा सकता है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से तार भेजना

†*११६२. श्री त० ब० विट्ठलराव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भेजे जाने वाले तार दिल्ली मुख्य स्टेशन पर संप्रेषित किये जाते हैं और तदुपरान्त वे वहाँ से केन्द्रीय तारघर भेजे जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि इससे अनावश्यक विलम्ब होता है और बाहर से आने वालों की सूचना देने वाले तार उनके आने के पश्चात् प्राप्त होते हैं?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां।

(ख) कुछ ऐसे कारण हैं जो दूर किये जा सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली केन्द्रीय तारघर में सीधे सम्पर्क स्थापित करने के लिये कार्यवाही की जा चुकी है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इस कार्यवाही से कुछ सहायता मिल सकती है। किन्तु क्या यह सच है कि तारों की संख्या में वृद्धि होने के साथ तार की लाइनों अथवा वाहक लाइनों में वृद्धि नहीं की गई है?

†श्री राज बहादुर : नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्राप्त होने वाले तारों की दैनिक औसत संख्या २७ है। यद्यपि यह संख्या अभी अधिक नहीं है किन्तु इस स्टेशन के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और केन्द्रीय तारघर में सीधा सरकिट स्थापित कर दिया है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या केन्द्रीय तारघर में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या है?

†श्री राज बहादुर : मेरा यही विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे इंजन

†*११६५. श्री मुरारका : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित रेलवे इंजनों की कीमत निश्चित की है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत में अन्यत्र निर्मित अथवा बाहर से मंगाये जाने वाले इस प्रकार के इंजनों की और इनकी कीमत में कितना अन्तर है; और

(ग) उपरोक्त कीमत किस आधार पर निश्चित की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, हाँ।

(ख) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ९२]

(ग) प्रशुल्क आयोग ने एक विस्तृत टेकनीकल और लागत जाँच के उपरान्त सरकार के सामने जिन कीमतों की सिफारिश की थी ये उन्हीं पर आधारित हैं।

†श्री मुरारका : विवरण से प्रकट होता है कि बाहर से मंगायें जाने वाले रेलवे इंजन की कीमत ३½ लाख रुपये है और यहां पर ७ लाख रुपये निश्चित किये गये हैं। किस दृष्टि से कीमत इतनी अधिक निश्चित की गई है कि चितरंजन में बड़ी लाइन वाले इंजन की वही कीमत है जो बाहर से मंगाये जाने वाले बड़ी लाइन वाले इंजन की है ?

†श्री फीरोज गांधी : यह कम है।

†श्री शाहनवाज खां : यह सच है कि टाटा द्वारा बताई गई कीमतें अधिक हैं। रेलवे मंत्रालय ने यह प्रश्न प्रशुल्क आयोग को निर्देश किया है और अब ये कीमतें आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप निश्चित की गई हैं।

†श्री मुरारका : यह सिफारिश की गई थी कि प्रशुल्क आयोग द्वारा कीमत निश्चित करते समय एक विदेशी विशेषज्ञ से भी परामर्श किया जाये। में जानना चाहता हूँ कि क्या उनके साथ कोई विशेषज्ञ था और यदि हां, तो विशेषज्ञ की क्या सिफारिश थी ?

†श्री शाहनवाज खां : मेरा विचार है कि यह प्रश्न दूसरे मंत्रालय को सम्बोधित किया जाना चाहिये ।

†श्री फीरोज गांधी : 'टेलको' द्वारा निर्मित इंजन की प्रकार के आयात किये जाने वाले इंजन की क्या कीमत है ?

†श्री शाहनवाज खां : कीमतों में अन्तर है: पश्चिमी जर्मनी, ३,४०, १५० रुपये, जापान ३,१८,३३४ रुपये, और ब्रिटेन ४, १५,८३३ रुपये।

†श्री फीरोज गांधी : सरकार 'टेलको' को क्या कीमत दे रही है ?

†श्री शाहनवाज खां : लगभग ७ लाख रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री च० द० पाण्डे : क्या सरकार को मालूम है कि कुछ भारतीय फर्में उसी कीमत पर रेलवे इंजन निर्माण करने एवं टेंडर देने के लिये तैयार हैं जिस पर कि वे विदेशों से मंगाये जाते हैं ?

†श्री शाहनवाज खां : मैं निवेदन कर दूं कि प्रारम्भिक स्थिति में—अर्थात् विकास काल में ऊँची कीमतें स्वाभाविक हैं। किन्तु प्रशुल्क आयोग ने क्रमबद्ध कीमतें निर्धारित की हैं और उन्होंने विभिन्न अवधियों के लिये विभिन्न कीमतें नियत की हैं ?

†श्री च० द० पाडे : मेरा प्रश्न भिन्न है।

†श्री शाहनवाज खां : उसका उत्तर मैं अभी देता हूँ। प्रथम अवधि में यह कीमत ६,९०,००० रुपये निश्चित की गई है जब कि तृतीय अवधि में यह ४,४४,००० रुपये है...

†श्री अ० चं० गुह : तृतीय काल कब आरम्भ होगा ?

†अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर तो पूरा कर लेने दीजिये ।

†श्री रंगा : उन्होंने क्या उत्तर दिया है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले माननीय मंत्री का उत्तर धैर्य पूर्वक सुनें। उन्होंने अभी अपना उत्तर समाप्त नहीं किया है। उसे पूरा होने के पहले ही सदस्यगण खड़े हो जाते हैं।

†श्री शाहनवाज खां : तृतीय अवधि में ४,४४,००० रुपये निश्चित किये गये हैं। जहां तक ब्रिटेन से मंगाये जाने वाले रेलवे इंजन का सम्बन्ध है यह कीमत उचित ही है।

†श्री अ० चं० गुह : जर्मनी में नहीं।

†श्री शाहनवाज खां : टाटा अपनी उत्पादन–क्षमता को और बढ़ा रहे हैं। और ऐसा होने पर इंजनों की कीमत जापान तथा अन्य देशों से मँगाये जाने वाले इंजनों के समान ही हो जायेगी। इस स्थिति में अन्य फर्मों के प्रादुर्भाव और नये सिरे से काम करने के प्रश्न पर हमने विचार नहीं किया है ?

†श्री फीरोज गांधी : चित्तरंजन में बनने वाले डबल्यू० जी० किस्म के इंजन (बड़ी लाइन) और इसी तरह के बाहर से मंगाये गये इंजन की कीमत में क्या अन्तर है ?

†श्री शाहनवाज खां : मैं निश्चित आंकड़े नहीं बता सकता हूँ। किन्तु यह दोनों ही दशाओं में ६ लाख रुपये के आसपास है।

†श्री फीरोज गांधी : क्या चित्तरंजन में बनने वाले डबल्यू० जी० किस्म के बड़ी लाइन के इंजन की कीमत 'टेलको' को मीटर लाइन के रेल इंजन के लिये दी जाने वाली कीमत से कम है ?

†श्री शाहनवाज खां : यह लगभग उतनी ही है, तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी है।

†डा० राम सुभग सिंह : तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी ?

†श्री शाहनवाज खां : 'टेलको' निर्मित रेल इंजन की कीमत बाहर से मंगाये गये इंजनों से बहुत अधिक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : हम चित्तरंजन की अपेक्षा टेलको को अधिक कीमत क्यों दे रहे हैं?

†अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न के सलसिले में हमने चर्चा आरम्भ कर दी है। मैं इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति देने के लिये प्रस्तुत हूँ।

†सरदार अ० सिं० सहगल : एक घंटे की चर्चा।

†अध्यक्ष महोदय : आज संध्या को अथवा कल।

†श्री त्रि० ना० सिंह : इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिये आधा घंटा बहुत कम है।

श्री फीरोज गांधी : एक घंटा।

†श्री त्रि० ना० सिंह : अधिक समय चाहिये। इसे हम अगले सप्ताह भी ले सकते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा किन्तु माननीय सदस्य इसके लिये पूर्वसूचना देंगे।

नीदरलैण्ड से आर्थिक सहायता

†+

†*११६६. { डा० राम सुभग सिंह
श्री वोडयार :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के प्रधान मंत्री की हाल की नीदरलैण्ड यात्रा के समय उस देश के कृषि मंत्री ने अपनी सरकार की ओर से भारत को आर्थिक तथा दूसरी सहायता देने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सहायता का स्वरूप एवं परिमाण क्या है?

†सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) नीदरलैण्ड के कृषि मंत्री ने प्रधान मंत्री को उनकी हाल की हेग यात्रा के समय दो ज्ञापन प्रस्तुत किये थे। इन ज्ञापनों में उत्तर प्रदेश में लखनऊ के समीप बख्शी का तालाब में खालों और चमड़े को उतारने, साफ करने, रंगने और जूते बनाने के लिये एक उच्च प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिये वित्तीय तथा विशेषज्ञ सहायता देने और सौराष्ट्र (माल क्षेत्र) के उत्तर तटवर्ती क्षेत्र में क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये एक अग्रिम योजना के संचालन हेतु वित्तीय सहायता के प्रस्ताव हैं।

नीदरलैण्ड सरकार ने बख्शी का तालाब स्थित प्रशिक्षण केन्द्र के लिये लगभग ६५०,००० गिल्डर्स (८१२,५०० रुपये) और सौराष्ट्र में माल क्षेत्र की योजना निष्पादन हेतु ८५०,००० गिल्डर (१० लाख रुपये) नियत किये हैं।

यह प्रस्ताव विचारीधीन है।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या इन दो परियोजनाओं की क्रियान्विति की योजना जिनका माननीय मंत्री ने अभी निर्देश किया है, भारत सरकार द्वारा तैयार कर ली गई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं कुछ शब्द कह दूं। इसमें कोई नई बात नहीं है। उच्च सरकार ने कोई नया प्रस्ताव नहीं रखा है। ये प्रस्ताव कुछ समय से सम्बन्धित राज्यों के विचाराधीन हैं। मुझे केवल यह सूचना दी गई है कि राज्य सरकारों को ये प्रस्ताव दिये गये हैं और अभी निर्णय नहीं किया गया है। बाद में यह भारत सरकार को मिले। यह असंदिग्ध है कि भारत सरकार इस दिशा में शीघ्र ही निर्णय करेगी।

†डा० पं० शा० देशमुख : मैं इस उत्तर में कुछ और जोड़ दूं। इस परियोजना पर नीदरलैण्ड सरकार, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के सहयोग से विचार किया जायेगा।

मालाबार और कोचीन एक्प्रेस में अधिक भीड़

\+

†*११६६. { श्री नंजप्प :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में मालाबार–नीलगिरी और कोचीन एक्सप्रेस सवारी गाड़ियों में गम्भीर रूप में अधिक भीड़ होने के समाचार मिले हैं;

(ख) इन गाड़ियों में तृतीय श्रेणी के डब्बे बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस स्थिति में सरकार नीलगिरि एक्सप्रेस में वातानुकूलित सवारी डिब्बा बन्द करने का विचार रखती है क्योंकि वह डिब्बा प्रत्येक ऋतु में वर्ष भर दैनिक रूप से उसमें जुड़ा रहता है; और

(घ) क्या इन सैक्शनों में नई गाड़ियां चलाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कुछ सैक्शनों पर इन गाड़ियों में अधिक भीड़ दिखाई दी है ।

(ख) ग्रीष्म ऋतु में बारातों के आने–जाने स्कूलों के बच्चों आदि के कारण यातायात बढ़ जाने से उत्पन्न अधिक भीड़ की स्थिति का सामना करने के लिये मालाबार और कोचीन एक्प्रेस में तृतीय श्रेणी का एक डिब्बा बढ़ा दिया गया है ।

(ग) जी नहीं।

(घ) वर्तमान में नहीं।

†श्री नंजप्प : थोरनपुर से मद्रास अथवा कम से कम ओलावा कोटे से मद्रास आने–जाने के लिये जनता एक्सप्रेस चलाने में क्या कठिनाइयां हैं ?

†श्री शाहनवाज खां : लाइन की क्षमता और इंजन डब्बे आदि की कमी ही इसकी कठिनाइयां हैं।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : हाल ही में रेलवे मंत्री ने राज्य सभा में कहा था कि जहां वायु अनुकूलित डब्बे के प्रयोग का अनुपात ४० प्रतिशत से कम है वह इसे बंद कर देंगे। क्या उक्त अनुकूलित डब्बे के प्रयोग का अनुपात ४० प्रतिशत से अधिक है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शाहनवाज खां : जी हां, ऐसा ही है।

†श्री रंगा : यह ऋतु विशेष के समय है अथवा उससे बाहर भी है ?

†श्री शाहनवाज खां : ऋतु में यह बहुत अधिक है, ७० से ८० प्रतिशत तक।

†श्री पुन्नूस : क्या यह सच नहीं है कि कोचीन एक्सप्रेस में वस्तुतः वायु अनुकूलता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां की जलवायु को दृष्टिगत करके यह निरर्थक है ? क्या सरकार इसे बंद करने पर विचार करेगी ?

†श्री शाहनवाज खां : वायु अनुकूलित डिब्बे में पर्याप्त संख्या में यात्री बैठते हैं।

†श्री नंजप्प : केवल ३०० मील के लिये और वह भी रात्रि के समय वायु अनुकूलित डब्बा चलाने की क्या आवश्यकता है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो उसे बंद करने के लिये कारण बताने लगे हैं।

आंध्र प्रदेश में पोचमपाद[a] में परियोजना

†*११७१. श्री मं० वें० कृष्ण राव : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पोचमपाद में गोदावरी नदी पर वृहद् योजना की जांच के लिये भारत सरकार ने विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो विस्तृत जांच पर कितना अनुमानित खर्च होगा;

(ग) क्या सरकार को इस जांच की प्रगति के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) पोचमपाद में बांध सम्बन्धी जांच आंन्ध्र सरकार करेगी। इस पर सम्भावित व्यय ज्ञात नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उत्पन्न नहीं होता है।

†श्री म० वें० कृष्ण राव : यह जाँच कब तक पूरी हो जायेगी ?

†श्री हाथी : इसमें लगभग डेढ़ वर्ष लगेगा।

†श्री रंगा : क्या जाँच आरम्भ हो गई है ?

†श्री हाथी : वे आरम्भ कर रहे हैं। हमने उन्हें जांच आरम्भ करने का परामर्श दे दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[a]Pochampad.

†श्री वेंकटासुब्बैया : इस योजना से कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी ?

†श्री हाथी : जाँच कर लेने पर ही ये सब बातें बताई जा सकती हैं।

वरेठा-टिम्बा रोड रेलवे लाइन

†*११७३. श्री पु० र० पटेल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरेठा (टारंग हिल) से टिम्बर रोड तक मेहसाना जिले की टारंग मेहसाना रेलवे को मिलाने वाली कोई रेलवे लाइन बनी हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह रेलवे लाइन चालू हालत में है उन स्टेशनों को छोड़कर जिनमें छतें नहीं है;

(ग) क्या यह सच है कि जिस क्षेत्र में वरेठा–टिम्बा रेलवे है उसका विकास किया जा सकता है यदि वरेठा–टिम्बा रोड रेलवे चलाई जाय क्योंकि उस क्षेत्र में धातु खदानें हैं और गन्ने की खेती होती है; और

(घ) इस रेल–मार्ग पर माल अथवा यात्री गाड़ियां कब चलाई जायेंगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) मेहसाना–टारंग शाखा लाइन पर वरेठा स्टेशन से शुरू होने वाली ५ मील लम्बी एक खदान साईडिंग है।

(ख) खदान साईडिंग के रूप में वह लाइन चालू हालत में है।

(ग) धातु खदान के निकटवर्ती भाग में गन्ने के यातायात की कोई संभावना नहीं है।

(घ) इस साईडिंग पर माल अथवा यात्री गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री पु० र० पटेल : यदि इस लाइन पर गाड़ी चलान के लिए जनता की ओर से कोई प्रस्ताव आये तो क्या सरकार उस पर विचार करेगी ?

†श्री शाहनवाज खां : जनता की ओर से आने वाली प्रत्येक चीज का हम विचार करेंगे; परन्तु इसके चलने की आवश्यकता है या नहीं यह एक दूसरा मामला है।

आस्ट्रेलिया के गेहूं का पाकिस्तान भेजा जाना

†*११७५. श्री शिवनंजप्पा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने हाल में आस्ट्रेलिया से आयात किए गए गेहूँ का एक पोत पूर्वी पाकिस्तान भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उस गेहूँ का आंशिक पुनर्भुगतान है जो भारत ने कुछ समय पूर्व पाकिस्तान से लिया था; और

(ग) शेष का पुनर्भुगतान भारत द्वारा कब किया जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). हां, श्रीमान।

(ग) इस पर पाकिस्तान सरकार के साथ परामर्श से विचार किया जा रहा है।

†श्री शिवनंजप्पा : पाकिस्तान को जो गेहूँ भेजा गया था वह कितना था व उसका मूल्य क्या था ?

†श्री अ० म० थामस : पहले ६०५० टन भेजा गया था। वह मई १९५६ की बात है। बाद में ४,९२२ टन फिर भेजा गया था और शेष केवल १,१२८ टन रह गया है।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या हम पाकिस्तान को गेहूँ के बदले उससे चावल ले रहे हैं ?

†श्री अ० म० थामस : हमने पाकिस्तान से ऋण लिया था और हम उसका पुनर्भुगतान मात्र कर रहे हैं।

दिल्ली में आवास बस्तियां[५]

†*११७६. श्री जगन्नाथ राव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के नियंत्रित क्षेत्रों में गैर-सरकारी आवास बस्तियों के लिए कोई प्रार्थना पत्र विचारार्थ पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनका अनुमोदन करने का है और कब तक ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) और (ख). आवास बस्तियों की अभिन्यास योजनाओं के अनुमोदन हेतु कुछ प्रार्थनापत्र दिल्ली विकास (अन्तः कालीन) प्राधिकारी के पास विचारार्थ पड़े हुए हैं। इन योजनाओं पर विभिन्न दूरियों तक विचार किया जा चुका है और कुछ मामलों में बस्तियां बसाने वालों द्वारा कुछ और जानकारी अथवा ब्यौरा प्रदान किया जाना है। योजनाओं का अनुमोदन बस्तियां बसाने वाले व्यक्ति द्वारा सन्तोषजनक अभिन्यास योजना तैयार किए जाने पर, जो प्राधिकारी को स्वीकार्य हो, किया जायगा।

मैं यह और कहना चाहूँगा कि अभी तक २७ बस्तियों की अभिन्यास योजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है ; २२ बस्तियों की अभिन्यास योजनायें विचारार्थ पड़ी हुई हैं जिनमें से कुछ इस कारण कि उनमें आवश्यक सूचना नहीं दी गई थी जो अब मांगी गई है । चौदह बस्तियों में वह भूमि आती है जो सरकार अंतःकालीन सामान्य योजना की सिफारिशों के अनुसार अर्जित करना चाहती है। यह स्थिति है।

†श्री जगन्नाथ राव : क्या यह सच है कि लगभग ७० प्रार्थनापत्र एक वर्ष से अधिक समय से पड़े हुए हैं।

†श्री करमरकर : मैंने आंकड़े बता दिए हैं। सत्ताईस का अनुमोदन किया जा चुका है ; २२ अनुमोदन अथवा सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए पड़े हुए हैं और १४ में वह भूमि आती है जो सरकार अर्जित करना चाहती है। यह स्थिति है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[५]Housing Colonies

[६]Layout Plans

देहरादून में कागज-संयन्त्र

*११७७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २४ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :,

(क) वन गवेषणा संस्था, देहरादून में कागज-संयन्त्र लगाने के बारे में विलम्ब होने के कारणों की जांच का भार जो प्रोफेसर एम० एस० थैकर को सौंपा गया था, क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह प्रतिवेदन अथवा उसके सारांश की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) उस संयन्त्र को शीघ्र लगाने के बारे में कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) क्योंकि पूछताछ एस्टीमेट्स कमेटी (प्राक्कलन समिति) के द्वारा की हुई एक सिफारिश के आधार पर शुरू की गई थी, यह रिपोर्ट उस कमेटी को थोड़े ही समय में भेज दी जायेगी और उसके पश्चात् उसको या उसके संक्षिप्त विवरण को सभा की टेबिल पर रखने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(ग) कागज बनाने वाली मशीन पहले ही लगाई जा चुकी है । पल्पिंग संयंत्र और उसके लिये इमारत का बनाना बाकी रहता है । टी० सी० एम० सहायता कार्यक्रम के अधीन मशीनरी और इंजीनियरिंग सेवाओं के लिये ५-६-१९५७ को एक यू० एस० फर्म के साथ टी० सी० एम० द्वारा एक ठेका किया जा चुका है । इस ठेके के अनुसार ये सब आइटमें (मदें) सितम्बर १९५८ तक देने हैं और आशा की जाती है कि १९५८-५९ के अन्त तक यह पूरा संयंत्र बन जायेगा और उत्पादन कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

†**श्री बर्मन :** अंग्रेजी का अनुवाद भी पढ़ दिया जाय ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रोफेसर थैकर ने अपनी रिपोर्ट में क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी को इस देरी के लिए उत्तरदायी बतलाया है ? और यदि बतलाया है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : प्रोफेसर थैकर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के किसी खास कर्मचारी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता । लेकिन मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि यह प्रोजेक्ट (परियोजना) जिस तरह से चला वह बहुत गलत तरीके से हुआ और इसमें ठीक तरीके से काम नहीं हुआ । हमने बार-बार इस बात की कोशिश की कि इसमें कुछ जल्दी हो, लेकिन टी० सी० एम० के जरिये से इस बारे में एक अमेरिकन फर्म से कुछ ऐग्रिमेंट (करार) हुआ था । जो शर्तें पहले मंजूर की गई थीं, उनमें उन्होंने बार-बार उलट पलट किया, जिसकी वजह से देरी हुई और यह खराब चीज हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो पाइलट प्लांट लगाया जा रहा है इसमें जो कागज बनाने की प्रणाली होगी उसमें वर्तमान प्रणाली से कोई अन्तर होगा, यानी क्या इसमें किसी विशेष प्रणाली से कागज बनाया जायेगा।

श्री अ० प्र० जैन : इतना तो मैं टैकनिकल (प्रविधिक) आदमी नहीं हूं कि इसका कोई माकूल (उचित) जवाब दे सकूं। लेकिन यह सही है कि सन् १९४६ में कागज बनाने के ऊपर कुछ प्रयोग करने की तजवीज थी उसी वक्त तो यह तै हुआ कि एक छोटा सा पाइलट प्लांट लगाया जाये। पर सन् १९४६ से यह ढुलकता चला आ रहा है और लगा नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : इस योजना में कुल कितना खर्चा होने का अनुमान है और यह जो देरी में प्लांट लगाया जा रहा है इससे कितना नुकसान हुआ है ?

श्री अ० प्र० जैन : जाहिर है कि इससे नुकसान होगा क्योंकि जितना रुपया है वह लाक अप पड़ा हुआ है और काम नहीं हो रहा है। यह तमाम ब्रांच जो खोली गयी थी उसके ऊपर ३० लाख का एस्टीमेट (अनुमान) था जिसमें से सैंडी हिल्स आयरन ब्रास वर्क्स, यू० एस० एण्ड को १३ लाख ५० हजार का ठेका दिया गया और उसके बाद भी कुछ इंजिनियरिंग मशविरे देने के लिए उनको कुछ पैमेंट (भुगतान) किया गया।

†**श्री त्रि ना० सिंह :** भारत को कागज बनाने का पर्याप्त अनुभव होते हुए भी इस सब देरी के होने का क्या कारण है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** एक मंत्रणा समिति ने, जिसमें इसके व्यापारियों का प्रतिनिधित्व था, योजना का अनुमोदन कर दिया था परन्तु दुर्भाग्यवश कुछ न कुछ होता ही चला जा रहा है और जिससे मैं तनिक भी प्रसन्न नहीं हूँ।

†**श्री भक्त दर्शन :** यह जो प्लांट है इसमें साधारण कागज बनाने की योजना है या अखबारी कागज बनाने की, और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी ?

श्री अ० प्र० जैन : जहां तक मुझे याद है, मैं बहुत यकीन से तो नहीं कह सकता, शायद इसकी कैपेसिटी दस टन की है। मुख्तलिफ किस्म का कागज बनाने के लिए इसमें प्रयोग किये जायेंगे और अगर वे सफल हुए तो दूसरे कारखाने वाले भी उनका इस्तैमाल करेंगे।

समुद्र का तेल से कलुषित होना[7]

†*११७८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत ने अन्य राष्ट्रों की तरह समुद्र को तेल से कलुषित होने से बचाने से संबंधित समझौता जिसका प्रारूप १२ मई, १९५४ को लन्दन में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तैयार किया गया था स्वीकार कर लिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** जी, नहीं। जहां तक भारत का संबंध है, समझौते के अनुसमर्थन का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या हमारा समुद्र तट भी तेल से प्रभावित है या नहीं ?

श्री राज बहादुर : मैं नहीं समझता कि हमारे समुद्र तट पर तेल के खतरे की कोई गंभीर समस्या है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[7]Oil Pollution of Sea.

डाक परिपत्रों* की कमी

†*११७९. **श्री आसर :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई राज्य के बहुत से नगरों और ग्रामीण डाकघरों में मनिआर्डर फार्मों, ऐकनालेजमेंट रिसीट फार्मों और अन्य फार्मों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो फार्मों का संभरण करने में क्या कठिनाई है; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) केवल मनिआर्डर फार्मों के कम होने का समाचार मिला है।

(ख) यातायात में वृद्धि होने से डाक तथा तार विभाग की फार्मों की तेजी से बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने में सरकारी मुद्रणालयों की असमर्थता। गैर-सरकारी मुद्रणालयों के द्वारा स्थानीय मुद्रण भी नहीं कराया जा सका क्योंकि स्टाक डिपोओं में कार्टिज पेपर जमा नहीं है जिस पर मनियाँडर फार्म छपते हैं। इसके अतिरिक्त सरकिलों के प्रधानों की इन फार्मों को स्थानीय तौर से छपवाने की शक्तियां अत्यन्त सीमित हैं और ऐसे फार्मों के बड़ी मात्राओं में स्थानीय तौर से छपाए जाने की अनुमति नहीं देती है ।

(ग) मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग सरकारी मुद्रणालयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने फार्मों के मुद्रण, संग्रहण और डाक तथा तार कार्यालयों को वितरण की विस्तृत जांच करने और ऐसे उपायों की जो स्थिति का सुधार करने में सहायक हों, सिफारिश करने के लिए एक उच्च शक्ति समिति नियुक्त की है। इसी बीच में अन्य मुद्रणालयों में फार्म छपवाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अलीगढ़ मुद्रणालय पर भी मनियाडर फार्म तेजी से छापने के लिए जोर डाला जा रहा है। अब कमी को दूर करने के लिए अलीगढ़ से प्रतिदिन २ लाख मनिआर्डर फार्मों का संभरण बम्बई सर्किल के लिए किया जा रहा है। बम्बई के पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा कोल्हापुर के सरकारी मुद्रणालय में मनिआर्डर फार्मों के मुद्रण का प्रबन्ध भी कर लिया गया है।

†श्री जाधव : क्या ये फार्म भारत की सब प्रमुख भाषाओं में छपते हैं ?

†श्री राज बहादुर : वे अंग्रेजी, हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी में छपते हैं।

†श्री श्रीनारायण दास : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि एक समिति नियुक्त की गई है। क्या समिति के लिए कोई समय निश्चित किया गया है जिसमें उसे रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

*Postal Forms.

†श्री राज बहादुर : निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अन्तर्गत मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग ने कुछ दीर्घकालीन उपायों का प्रस्ताव किया है। वे हैं : नासिक के भारत सरकार मुद्रणालय में एक 'फार्म–विंग' का उपबन्ध, अलीगढ़ के भारत सरकार मुद्रणालय का विस्तार, कलकत्ता के भारत सरकार के फार्म–स्टोर से सम्बद्ध मुद्रणालय में दो रोटेरी मशीनों का लगाया जाना और दक्षिण में एक भारत सरकार के मुद्रणालय की स्थापना। उच्च शक्ति समिति अल्पकालीन उपाय मालूम करने के लिए स्थापित की गई है और उसमें विभिन्न संबंधित विभागों के प्रतिनिधि हैं।

†श्री मुहीउद्दीन : क्या यह सच नहीं है कि गत वर्ष विभिन्न डाकघरों में हवाई जहाज से भेजे जाने वाले अन्तर्देशीय पत्रों* की कमी थी और एक बार में एक खरीददार को तीन या चार की सीमित संख्या में दिए जाते थे ?

†श्री राज बहादुर : फार्म दो श्रेणियों में विभाजित हैं, आवश्यक फार्म जिनकी संख्या लगभग ७५० है और साधारण फार्म जिनकी संख्या लगभग १३०० है। हमारे मुद्रणालय अपनी समस्त कार्यक्षमता से मांग की पूर्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस समय लगभग ३,५१,४२,६०० फार्म आर्डर पर है और समाप्त हो चुके हैं।

†श्री याज्ञिक : सरकार ने इन फार्मों का भारत की स्थानीय भाषाओं में छापना बन्द क्यों कर दिया है जब कि भारत के संविधान में १३ या १४ भाषाओं को मान्यता दी गई है ?

†श्री राज बहादुर : यह एक भिन्न प्रश्न है, परन्तु मैं बता दूं कि यह निर्णय किया गया है कि फार्म केवल दो भाषाओं में होने चाहिएं और द्वि–भाषी भी होने चाहिएं –अंग्रेजी, हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी।

कलकत्ता पत्तन का चेयरमैन

†*११८२. श्री स० चं० सामन्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४७ के पूर्व कलकत्ता पत्तन का चेयरमैन १५ से १७ वर्षों तक पद पर रहा करता था; और

(ख) क्या यह भी सच है कि १९४७ से चेयरमैन के पद का कार्य-काल ३ से ६ वर्षों तक रहा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : चेयरमैन, कलकत्ता पत्तन आयुक्त, जो १९४७ में निवृत्त हुआ था, लगभग १५ वर्षों तक उस पद पर रहा था। उसका पूर्वाधिकारी उस पद पर लगभग ८ वर्षों तक रहा था।

(ख) हां, श्रीमान्।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार भविष्य में इस अवधि को कम करेगी या पहले जितनी अवधि रखेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

*Inland letters.

†श्री राज बहादुर : चेयरमैन का पद महत्वपूर्ण है और उसके लिए चुनाव करने में हम बहुत सावधानी बरतते हैं। मैं आशा करता हूं कि चेयरमैन उस समय तक पद पर बना रहता जब तक वह उपयोगी रहता है, अथवा वह सेवा में रह सकता है।

†श्री स० चं० सामन्त: क्या कलकत्ता पत्तन के चेयरमैन का सेवाकाल अन्य पत्तनों में प्रचलित कार्य-काल के समान ही है ?

†श्री राज बहादुर : प्रत्येक मामले में नियुक्ति निर्दिष्ट शर्तों पर की जाती है और मैं नहीं समझता कि विभिन्न नियुक्तियों के बीच तुलनायें की जा सकती हैं।

†श्री रंगा : श्रीमान्, ये नियुक्तियां किन शर्तों के अन्तर्गत की जाती हैं ? क्या ये तीन वर्षों के लिए की जातीं हैं या ६ वर्षों के लिए, ? क्या समय की कोई भी सीमा नहीं है अथवा ऐसा है कि आप एक आदमी को तीन वर्षों के लिए नियुक्त करते हैं और यदि वह उपयोगी बना रहे तो आप तीन वर्षों के लिए और उसकी अवधि बढ़ा देते हैं ?

†श्री राज बहादुर : वह कई वर्षों के लिए की जाती है, अवधि निश्चित होती है।

†श्री बीरेन राय : क्या कोई विशेष अर्हता है जिसके आधार पर एक पोर्ट-ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है अथवा वह आई० सी० एस० ही होता है?

†श्री राज बहादुर: : केवल आई० सी० एस० का ही नहीं वरन् पद के लिए उपयुक्त प्रशासकीय क्षमता का भी विचार किया जाता है।

†श्री रंगा: कलकत्ता में वास्तविक स्थिति क्या है ? यह सज्जन कितने वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं ?

†श्री राज बहादुर : वह वहां एक वर्ष से अधिक समय से हैं और वह आई० सी० एस० हैं।

†श्री रंगा: मैं जानना चाहता हूँ कि वह कितने समय के लिए नियुक्त किए गए हैं; मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ कि वह कब से उस पद पर हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): साधारणत: कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन तीन वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है; परन्तु गत कुछ वर्षों में हमने देखा कि एक दो मामलो में परिवर्तन आवश्यक था। इस लिए उस समय की समाप्ति से पूर्व ही उसे बदल दिया गया, परन्तु यह परिवर्तन करना हमने कार्य और पत्तन के लिए हितकर समझा। वर्तमान पदाधिकारी कार्य कर रहा है और मैं आशा करता हूँ कि वह कुछ समय तक बना रहेगा जब तक कि हम यह न देखें कि उसका कार्य भी सन्तोषप्रद नहीं है। सभा को ज्ञात है कि कलकत्ता पोर्ट-ट्रस्ट में भीड़-भाड़ की समस्या उत्पन्न हुई है। मैं समझता हूँ कि यदि संबंधित अधिकारी स्थिति में सुधार नहीं कर सका तो निश्चय ही हमें कार्यवाही करनी पड़ेगी।

†श्री बीरेन राय : १९४७ से आज तक क्या आई० सी० एस० के अतिरिक्त भी कोई व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किया गया है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे पिछले इतिहास की जानकारी नहीं है, परन्तु यह सच कि १९५२ से, मैं जानता हूँ, सदा आई० सी० एस० अधिकारी ही रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मचकुंड की मिट्टी के कटाव संबंधी योजना[10]

†*११८४. श्री ब० स० मूर्ति : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १ अगस्त, १९५७ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ५५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को १९५७–५८ के दौरान में मचकुंड की मिट्टी के कटाव संबंधी योजना के संबंध में कम राज सहायता दिए जाने के क्या कारण है; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश द्वारा उपरोक्त अवधि के लिए कितनी राज सहायता की मांग की गई थी ?

†सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के अनुमोदित प्रतिरूप के अनुसार केन्द्रीय राज-सहायता नियमित कर्मचारियों और इमारतों से भिन्न मदों पर कुल अनुमानित व्यय के ७५ प्रतिशत तक सीमित है; शेष का भुगतान राज्य–सरकार द्वारा किया जाता है। राज–सहायता के रूप में अनुमति के अयोग्य राशि ऋण के रूप में दी जाती है जहां मांगी गई हो। आन्ध्र प्रदेश सरकार को १९५७–५८ में इस प्रतिरूप पर राज–सहायता प्रदान की गई थी।

(ख) ७,००,६९१ रुपए।

†श्री ब० स० मूर्ति : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूँ कि "वित्तीय सहायता के अनुमोदित प्रतिरूप" का क्या तात्पर्य है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : हमने प्रत्येक चीज के लिए जैसे अधिक अन्न उपजाओ, भूमि का कटाव संबंधी कार्य, आदि, कुछ नियम निर्धारित किए हैं। हम कुछ मामलों में कुछ राज–सहायतायें देते हैं और शेष ऋण के रूप में दिया जाता है।

†श्री ब० स० मूर्ति : क्या यह सच नहीं है कि यह कार्य ऐसे स्थानों में किया जा रहा है जो क्षेत्र पिछड़े हुए समझे जाते हैं; आन्ध्र को सम्मिलित करते हुए, और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने पर्याप्त राज–सहायता क्यों नहीं दी है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : नहीं, श्रीमान्। हम सदा उस प्रतिरूप के अनुसार देते रहे हैं और आदिवासी क्षेत्रों में हमारी विशेष शर्तें हैं जिनके अनुसार सहायता दी जाएगी।

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): इस उत्तर में मैं भी कुछ शब्द जोड़ देना चाहता हूँ। वास्तव में, परियोजना की ७५ प्रतिशत लागत राज–सहायता के रूप में दी ही जा चुकी है और राज्य-सरकार को शेष २५ प्रतिशत का प्रबन्ध करना है। उस २५ प्रतिशत के संबंध में भी, यदि राज्य-सरकार उसे ऋण के रूप में चाहती हो तो वह केन्द्र से दिया जा सकता है।

†श्री ब० स० मूर्ति : मेरा प्रश्न यह है। उड़ीसा सरकार और आन्ध्र सरकार इसमें रुचि रखती हैं। उड़ीसा सरकार को आन्ध्र सरकार की अपेक्षा कुछ लाख अधिक दिए गए हैं। मैं आन्ध्र सरकार को कम मिलने का कारण जानना चाहता हूँ।

†श्री अ० प्र० जैन : यह उसी प्रतिरूप और उसी सिद्धान्त पर है। कोई भेदभाव नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[10] Michkund Soil Erosion Scheme.

भेषजीय जांच समिति का प्रतिवेदन[11]

†*११८५. **श्री नारायणस्वामी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री १० अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भेषजीय जांच समिति की भेषज नियंत्रण के प्रशासन के केन्द्रीयकरण से संबंधित सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है और निश्चय किया है कि केन्द्रीय सरकार को भेषजों के लिए प्रमाप निर्धारित करने, उन प्रमापों के पालन के लिए हिदायतें जारी करने और निर्माण के स्थानों की जांच करने के लिए निरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति होनी चाहिए। राज्य सरकारों की भेषजों के नियंत्रण से संबंधित वर्तमान शक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रमापों और जारी की गई हिदायतों के अधीनस्थ बनी रहनी चाहिएं। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कानपुर और लखनऊ के बीच डीजल की रेलगाड़ियां

†*११८८. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर और लखनऊ के बीच डीजल से चलने वाली रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी रेलगाड़ियों की संख्या क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). कानपुर–लखनऊ बड़ी लाइन सेक्शन पर डीजल से चलने वाली रेलगाड़ियां चलाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : कानपुर और लखनऊ के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों पर भीड़–भाड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : साधारण कदम। जब रेलगाड़ियों में गुंजाइश होती है तो हम उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़ देते हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : कितने डिब्बे जोड़े गए हैं ? एक गाड़ी १० बजे प्रातःकाल जाती है और फिर एक ४ बजे सायंकाल। इस बीच में और कोई गाड़ी न होने के कारण भीड़ भाड़ बहुत होती है। हजारों यात्री सफर करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे चाहते हैं कि अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जायें।

†**श्री शाहनवाज खां** : इस समय उस सेक्शन की लाइनों में अधिक गाड़ियां चलाए जाने की क्षमता नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि लखनऊ से कानपुर के बीच की लाइन को डबल करने का जो प्रस्ताव था, उसमें क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[11]Pharmaceutical Enquiry Committee Report.

†**अध्यक्ष महोदय:** डीजल से चलने वाली रेलगाड़ी से दोहरी लाइन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव:** दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में कुछ रेल–मार्गों का डीजल–करण[१२] करने के निर्णय के पश्चात् क्या किसी रेल–मार्ग का डीजल–करण किया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हां, श्रीमान् । हम कुछ सेक्शनों पर डीजल रेल कारें चला रहे हैं ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** डीजल इंजन ।

†**श्री शाहनवाज खां :** हमने १०० डीजल इंजन मंगाए हैं । वे अभी तक काम में नहीं लाए गए हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मेरा मतलब यह था कि वहां पर ओवर–क्राउडिंग (भीड़–भाड़) को कम करने के लिए लाइन को डबल (दोहरी) करने का जो प्रोपोजल (प्रस्ताव), था, उसमें प्रगति हो रही है या नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह भीड़–भाड़ संबंधी सामान्य प्रश्न नहीं है । यह डीजल से चलने वाली रेलगाड़ियां चलाने से संबंधित निर्दिष्ट प्रश्न है । इसका उत्तर दे दिया गया है । अगला प्रश्न।

हावड़ा और सियालदेह स्टेशनों पर मजदूर

†***११८९. श्री हेम बरुआ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हावड़ा सियालदेह स्टेशनों के अस्थाई और ठेके के मजदूरों से एक स्मरणपत्र और अन्य पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) एक विवरण लोक–सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें इन अभ्यावेदनों में उठाए गए प्रश्न तथा उन पर की गई कार्यवाही दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९३]** ।

†**श्री हेम बरुआ :** विवरण से यह स्पष्ट है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम का अस्थाई मजदूरों पर लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है । वह बहुत समय से विचाराधीन है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समस्त देश में २ लाख अस्थाई और ठेके के मजदूर रेलों में काम कर रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हावड़ा और सियालदेह पर काम करने वाले अस्थाई और ठेके के मजदूरों को केवल १ रुपए से १ रुपये २ आने तक प्रतिदिन दिया जाता है और वे सप्ताह में ५६ घण्टे काम करते हैं, क्या सरकार न्यूनतम वेतन अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार करने जा रही है ताकि ये मजदूर तुरन्त ही उसमें आ जायें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१२]Dieselise.

[१३]Diesel railcars.

†**श्री शाहनवाज खां :** यह एक बड़ा प्रश्न है और इस पर इस समय योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है और बाद में उसका मंत्रिमंडल द्वारा भी अनुमोदन किया जाना होगा क्योंकि रेलों के इसको एक बार स्वीकार कर लेने पर अन्य मंत्रालयों को भी इस अधिनियम का विस्तार करना होगा। इसलिए यह एक बड़ी समस्या है और जब तक उसका योजना आयोग द्वारा अनुमोदन न कर दिया जाय मुझे भय है कि रेलें कोई कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस समय यह कहां पड़ा हुआ है? क्या वह योजना आयोग में है अथवा रेलवे मंत्रालय में क्योंकि १९५६ के बजट सत्र में एक आश्वासन दिया गया था कि अस्थाई मजदूरों के लिए कुछ किया जायगा।

†**श्री शाहनवाज खां :** मैं इतना ही कह सकता हूँ मामले पर उचित क्षेत्रों में विचार किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह विचार की अन्तिम स्थिति जानना चाहते हैं।

†**श्री शाहनवाज खां :** मैं यह नहीं बता सकता हूँ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस पर १९५६ से विचार किया जा रहा है। यह एक भिन्न प्रश्न है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सियालदेह और हावड़ा के ये मजदूर एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में हैं; क्या रेलवे मंत्रालय इन मजदूरों के संघों को मान्यता देने जा रहा है?

†**श्री शाहनवाज खां :** रेलवे मंत्रालय केवल रेलवे कर्मचारियों के संघों को मान्यता देगा। इस समय अस्थाई मजदूरों को रेलवे कर्मचारियों के वर्ग में नहीं रखा जा सकता है।

भाखड़ा नांगल परियोजना

†***११९०. श्री वी० चं० शर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने भाखड़ा नांगल परियोजना के अन्तर्गत १९५७–५८ में कोई राशि आवण्टित की है; और

(ख) कौन कौन से मुख्य विकास कार्य प्रारंभ किए जाने हैं?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) १९५७–५८ में भाखड़ा नांगल परियोजना के सिंचाई और विद्युत संबंधी कार्यों के लिए पंजाब और राजस्थान की सरकारों को ऋण–सहायता की मद में १२.९८ करोड़ रुपए की राशि का उपबन्ध किया गया है।

(ख) मुख्य विकास कार्य, जो प्रारंभ किए जाने हैं, निम्नलिखित हैं :

(१) भाखड़ा की नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र में सड़कों का निर्माण :

(२) मंडियों का विकास; और

(३) जल संभरण तथा जल–निस्सारण का उपबंध।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : किन किन स्थानों पर मंडियों का विकास किया जाना है ? क्या मंडियों के विकास के बारे में सरकार को कोई ठोस योजना प्राप्त हुई है ?

†श्री हाथी : जी हां। भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड की एक योजना है और पंजाब में २२ और भूतपूर्व पेप्सू में २४ ऐसे स्थान हैं जिनमें मंडियों का विकास करना है।

†श्री दी० चं० शर्मा : वर्त्तमान पंजाब राज्य और राजस्थान के बारे में सड़क-विकास कार्य-क्रम संबंधी अलग अलग आंकड़े क्या हैं ?

†श्री हाथी : मैं पंजाब क्षेत्र की सड़कों पर ३१ मार्च, १९५७ तक हुए व्यय के आंकड़े बता सकता हूं। २००·८१ मील लम्बी सड़कों के लिये कुल १,४५,६५,९२२ रुपये व्यय हुए थे। पंजाब क्षेत्र की सड़कों के लिये १९५७–५८ में ३७,५०,००० रुपयों का उपबन्ध किया गया है।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या समाज कल्याण कार्यों के लिये भी कुछ राशि अलग की गयी है ?

†श्री हाथी : जैसा मैं ने बताया, इस समय ये तीन ही कार्य किये जा रहे हैं, अर्थात् सड़कों का निर्माण, मंडियों का विकास और जल-संभरण तथा नालियों की व्यवस्था।

रेलवे कर्मचारियों के लिये निवृत्ति-वेतन की योजना[14]

+

†*११९१. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों के लिये निवृत्ति-वेतन व उपदान की प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव के बारे में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ जो वार्ता चल रही थी क्या वह पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया गया है ;

(ग) स्वीकार किये गये अंतिम प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस पेंशन योजना को कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जिस योजना पर सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है वह निवृत्ति वेतन प्रणाली के साथ साथ मृत्यु-व-निवृत्ति उपदान की उस योजना के समान ही है जो केन्द्रीय-सरकार के अन्य कर्मचारियों पर भी लागू होती है।

(घ) इस योजना को १–४–५७ से नौकरी में आने वाले सभी नये व्यक्तियों पर लागू करने का प्रस्ताव है लेकिन उस समय जो लोग पहले से ही नौकरी में थे, उनको विकल्प का अधिकार दिया जायेगा।

†श्री श्रीनारायण दास : इस पूरी योजना को कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[14]Pension Scheme.

†**श्री शाहनवाज खां** : हाल ही में हमने श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया था और हममें कुछ-समझौता सा हो गया है। आशा है कि हम शीघ्र ही इस योजना को लागू कर सकेंगे और लागू होने पर यह १ अप्रैल, १९५७ से लागू समझी जायेगी।

†**श्री श्री नारायण दास** : क्या नौकरी में नये आने वाले लोगों के सम्बन्ध में इस मामले में सरकार और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच पूर्ण मतैक्य था या कुछ बातों पर मतभेद भी था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : एक मामूली सी बात के बारे में मतभेद भी था। श्रमिकों के प्रतिनिधियों का ख्याल था कि पांच वर्ष उपरान्त इस योजना की समीक्षा की जाये और यदि लोग निवृत्ति वेतन पाने का विकल्प दें तो पांच वर्ष उपरान्त उन्हें अपना विकल्प बदलने का अधिकार दिया जाये। इस पर हमें विचार करना है।

†**श्री मुहीउद्दीन** : निवृत्ति-वेतन और भविष्य निधि की इस नयी योजना के लागू होने से रेलवे का कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम अन्य किसी बात का ख्याल किये बिना ज्यादा तर सामाजिक सुरक्षा की योजना मानकर ही इस योजना को लागू कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि इसका प्रभाव अधिक नहीं होगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : जो लोग पहले से ही नौकरी में हैं यदि वे पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प करें तो क्या उनके लिये भी व्यवस्था की जा सकेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उन्हें यह विकल्प दे दिया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यदि वे निवृत्ति वेतन योजना का विकल्प करें तो क्या उनकी उपलब्धि[१६] में कुछ कमी कर दी जायेगी क्यों कि उन्हें दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उनकी उपलब्धि में कमी नहीं की जायेगी, लेकिन वे निवृत्ति वेतन या भविष्य-निधि दोनों में से एक ही ले सकते हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यदि वे निवृत्ति वेतन योजना का विकल्प दें तो क्या वह सब राशि जो वे भविष्य निधि में पहले ही जमा कर चुके होंगे जब्त कर ली जायेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उन्हें दोनों नहीं मिल सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या योजना के ब्यौरे की बातें तैयार हो गयी हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : यह योजना सरकार के विचाराधीन है। मेरे सहयोगी इस मामले पर मुझ से चर्चा कर चुके हैं और अब यह मामला गृह-मंत्रालय के समक्ष है। सामने बैठे हुए मेरे मित्र ने जो प्रश्न उठाया है वह उस व्यक्ति के सम्बन्ध में अवश्य ही लागू होगी जिसने भविष्य-निधि के रूप में काफी बड़ी राशि जमा कर ली है ; स्वाभाविक है कि वह निवृत्ति वेतन योजना का विकल्प नहीं देगा। लेकिन यह उन लोगों के लिये अधिक आकर्षक होगी जिन्हों ने अभी आरम्भ ही किया हो। हो सकता है कि योजना की लागत भी नगण्य न हो, और इसका हिसाब अभी लगाना है। लेकिन मेरे सहयोगी यह निश्चय कर चुके हैं कि इस योजना को रेलवे कर्मचारियों के सामने रखा जाये और यदि वे इससे सहमत हों तो इसे क्रियान्वित कर दिया जाये। अब इसके ब्यौरे की बातें तैयार की जा रही हैं और अनुमोदन के लिये प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। जल्द ही एकीकृत योजना सामने आ जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१६] Emoluments.

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : क्या ऐसे कर्मचारी को, जो निवृत्ति-वेतन योजना का विकल्प करता है, भविष्य निधि में अपने अंशदान का लाभ प्राप्त करने दिया जायेगा और निवृत्ति वेतन का हिसाब लगाने में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि पिछले कितने वर्षों से वह नौकरी कर रहा है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा मैं ने अभी कहा, यह सब ब्यौरे की बातें हैं। हो सकता है कि जिन लोगों की भविष्य निधि में काफी अधिक रुपया जमा किया जा चुका है वे निवृत्ति-वेतन योजना का विकल्प न करना चाहें। लेकिन ये सब ब्यौरे की बातें हैं और जब तक सभा के सामने पूरी तस्वीर न आ जाये तब तक अभी से उसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया जा सकता।

इन्डिया एयर लाइन्स कारपोरेशन

+

†*११९२. { श्री त० ब० विट्ठल राव :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से श्रीनगर जाते समय इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की एक गाड़ी (वान) में एक बम फटा था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) : (क) जी हां।

(ख) राज्य-पुलिस के अधिकारीगण मामले की जांच कर रहे हैं।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या चौबीसों घंटे पुलिस की गश्त जारी रहने के बावजूद भी यह बम विस्फोट हुआ था ?

†श्री हुमायूं कबीर : जैसा मैंने कहा है, जम्मू और कश्मीर सरकार जो इस मामले से प्राथमिक रूप से संबंधित है, मामले की जांच करा रही है और उसने प्रत्येक संभव कार्यवाही की है। उन्होंने हमें जो सूचना दी है उससे अधिक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या इस घटना के १० दिन पहले भी बम-विस्फोट हुए थे ?

†श्री हुमायूं कबीर : इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।

†अध्यक्ष महोदय : इसमें पहला मामला भी शामिल है।

एमोनियम सल्फेट

†*११९३. श्री मुरारका : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों को १९५५–५६ में एमोनियम सल्फेट बिल्कुल नहीं दिया गया था; और

(ख) इसका क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) १९५५ के पत्री-वर्ष में केवल राजस्थान को।

(ख) इस राज्य की ओर से कुछ भी मांग नहीं आयी थी क्योंकि उसके पास पिछले साल का का बचा हुआ एमोनियम सल्फेट काफी मात्रा में मौजूद था।

†श्री मुरारका : देश में इस उर्वरक के उपयोग को लोक-प्रिय बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारें दोनों प्रचार, वितरण व्यवस्था में सुधार, अल्प-कालीन ऋणों की मंजूरी, समान दरें निर्धारित कर और विभिन्न प्रकार की अन्य कार्यवाही के जरिये से यह कार्य कर रही हैं। राजस्थान में किसानों को अधिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि उनके पास पशुओं और भेड़ों की खाद मौजूद है। राजस्थान के गांवों में ढोर अधिक हैं और ढोरों की खाद सस्ती पड़ती है। दूसरी बात यह है कि इस उर्वरक का इस्तेमाल आमतौर पर उन स्थानों में किया जाता है जहां जल-संभरण की सुनिश्चित व्यवस्था हो और अधिकतर धान की फसल के लिये इसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में धान की फसल बहुत थोड़ी होती है। अन्य राज्यों में प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ की तुलना में इस उवर्रक की खपत २०० प्रतिशत से भी अधिक हो गयी है। छः वर्षों में गहन-आन्दोलन और उधार की अधिक सुविधाओं के फलस्वरूप इस उर्वरक की खपत २०० प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गयी है।

†श्री मुरारका : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान की ज्यादा से ज्यादा भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है, इस उर्वरक को लोक-प्रिय बनाने के लिये सरकार वहां किस विशेष अभिकरण की स्थापना करने वाली है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : मैं प्रश्न समझ नहीं सका।

†अध्यक्ष महोदय : राजस्थान के सिंचित क्षेत्र के लोगों को उर्वरकों के प्रयोग से अवगत कराने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : मैं पहले ही बता चुका हूं जो कार्यवाही की जाती है वह है—प्रचार, अल्प-कालीन ऋणों की व्यवस्था, विभिन्न अन्य प्रकार की कार्यवाहियां जैसे उर्वरक को सस्ता करना। कहीं कहीं तो यह मुफ्त भी बांटी जाती है।

†श्री मुरारका : राजस्थान और अन्य राज्यों में इस उर्वरक का वितरण करने के लिये किस अभिकरण से काम लिया जाता है?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य-सरकारों पर है। कुछ राज्यों में सहकारी-समितियां यह कार्य करती हैं, कुछ में व्यापारी और कुछ में अन्य कुछ अभिकरण।

†डा० राम सुभग सिंह : मंत्री महोदय ने बताया कि राजस्थान में उर्वरकों का काफी बड़ा स्टाक था, किसान काफी खाद इस्तेमाल करते हैं इसलिये उर्वरक का नया स्टाक वहां नहीं भेजा गया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या वहां उर्वरकों की दर उतनी नहीं बढ़ायी गयी है जितनी अन्य राज्यों में बढ़ा दी गयी हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : राजस्थान और अन्य राज्यों में अन्तर है क्योंकि वहां खाद का इस्तेमाल अधिक नहीं किया जाता। साथ ही, जैसा मेरे सहयोगी ने बताया, इस उर्वरक के प्रयोग के लिये जल-संभरण की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिये। राजस्थान में, कुछ नहर वाले क्षेत्रों को छोड़ कर उर्वरक का प्रयोग नही किया जाता, अधिकांश किसान ढोरों की खाद इस्तेमाल करते हैं।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी उर्वरक के भाव बढ़ गये हैं ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : राज्य व्यापार निगम के जरियों से उर्वरक की बिक्री भारत भर में एक ही भाव पर की जाती है। समस्त भारत के लिये हमारा संग्रह-मूल्य होता है। हम ३५० रुपये की दर पर इसका संभरण करते हैं और इसे अधिक से अधिक ३८० रुपये के भाव पर बेचा जा सकता है।

†श्री ब० स० मूर्त्ति : क्या देश के विभिन्न भागों में स्थित सहकारी समितियों को इन उर्वरकों का विरतरण करने का प्रशिक्षण प्राप्त है?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : आंध्र और मद्रास में इसका वितरण अधिकतर सहकारी समितियां ही करती हैं।

टेलीफोन कनेक्शन

†*११९७. श्री पु० र० पटेल : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोनों के कनेक्शनों के लिये अहमदाबाद में १९५५, १९५६ में और ३० जून, १९५७ तक कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे;

(ख) क्या टेलीफोन के कनेक्शन आये हुए आवेदन पत्रों की क्रम-संख्या के क्रम से दिये जाते हैं या कुछ प्राथमिकता दी जाती है; और

(ग) ये प्राथमिकतायें किनको और क्यों दी जाती हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क)

	(१) "अपना टेलीफोन" योजना के अधीन	(२) विमुक्त श्रेणी के आवेदन कर्त्ताओं से
१९५५ में—	२९७	११५
१९५६ में—	४७८	८७
१९५७ में (३०-६-५७ तक)	१९४	५८

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपलब्ध टेलीफोनों में से ७० प्रतिशत टेलीफोन "अपना टेलीफोन" योजना के अधीन मंजूरी के लिये दिये जाते हैं। नीचे (ग) में स्पष्ट की गयी स्थिति को छोड़कर शेष सभी मामलों में ये टेलीफोन आवेदन पत्रों की क्रम-संख्या के क्रम से दिये जाते हैं।

उपलब्ध टेलीफोनों में से ३० प्रतिशत टेलीफोन विभिन्न उन्मुक्त श्रेणियों के लिये मंजूर किये जाने के उद्देश्य से दिये जाते हैं। ये टेलीफोन टेलीफोन मंत्रणा समिति के परामर्श के अनुसार दिये जाते हैं। वह नीचे (ग) में स्पष्ट की गयी स्थिति के अलावा अन्य सभी में आवेदन पत्रों के क्रम के आधार पर टेलीफान मंजूर करती है।

(ग) विशेष मामलों में, जिनमें सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी विभागों और राष्ट्र-हित में केन्द्रीय अथवा राज्य-सरकारों या उपक्रमों की सिफारिश प्राप्त गैर-सरकारी पक्षों को अविलम्ब टेलीफोन की जरूरत पड़ती है, तब "अपना टेलीफोन" योजना के अधीन भी क्रम-बाह्य[१७] कनेक्शन मंजूर किये जाते हैं। इस प्रकार से इन २ $^{1}/_{2}$ वर्षों में "अपना टेलीफोन" योजना के अधीन जो टेलीफोन दिये गये हैं उनकी संख्या २८ है।

टेलीफोन मंत्रणा समिति को भी प्रत्येक विमुक्त श्रेणी के दिये जा सकने योग्य कोटा में से ३० प्रतिशत टेलीफोन क्रम-बाह्य आधार पर देने का अधिकार होता है। उन्हें वे प्रतीक्षा करने वाले आवेदन कर्त्ताओं के हित में जसे भी सबसे अच्छा समझते हैं, बांट देते हैं। पिछले २ $^{1}/_{2}$ वर्षों में इस प्रकार विमुक्त श्रेणियों के जितने कनेक्शन दिये गये हैं उनकी संख्या २२ है।

कभी-कभी बिल्कुल क्रमानुसार मंजूर किया गया कनेक्शन भी उस क्षेत्र विशेष में कुछ प्रविधिक कठिनाइयां होने के कारण दिया नहीं जा सकता। लेकिन यह कठिनाई दूर होते ही ये कनेक्शन दे दिये जाते हैं।

गण्डक योजना

*११९८. **श्री विभूति मिश्र :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में बोलते हुए उन्होंने गण्डक नदी के बारे में जो विचार प्रकट किये थे उन्हें ध्यान में रखते हुए क्या गण्डक योजना पर १९५७ अथवा १९५८ में कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाथी) : गण्डक परियोजना की रिपोर्ट तैयार हो गई है और उसकी तकनीकी जांच हो रही है। योजना के अनुसार पश्चिमी नहर प्रणाली नैपाल क्षेत्र में हो कर जाती है इसलिए नैपाल सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रश्न पर नैपाल सरकार से पत्र व्यवहार हो रहा है। परियोजना के बारे में यथाशीघ्र निर्णय किया जाएगा।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो तत्परता कोसी योजना में दिखलाई, वैसी तत्परता गंडक योजना में क्यों नहीं दिखला रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[१७]Out of turn.

श्री हाथी : सरकार तत्परता दिखला रही है, अभी योजना तैयार हो रही है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जैसे हमारे मंत्री महोदय काठमांडू दौड़ कर गये और कोसी योजना को मंजूर करा कर ले आये, उसी तरह गंडक योजना के बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री हाथी : गंडक योजना के बारे में टैकनिकल रिपोर्ट आ गई है और जांच पड़ताल हो रही है और नैपाल सरकार के साथ पत्र व्यवहार भी हो रहा है।

कलकत्ता पत्तन के डिप्टी चेयरमैन

११९९. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन के डिप्टी चेयरमैन का पद १९५० से रिक्त रखने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि १९५० के बाद से कलकत्ता पत्तन के चेयरमैन के कर्त्तव्यों में कई गुनी वृद्धि हो गयी है;

(ग) क्या चेयरमैन गोदी श्रमिक बोर्ड के भी चेयरमैन बन गये हैं; और

(घ) क्या सरकार पुनः डिप्टी चेयरमैन की नियुक्ति करने का विचार कर रही है?

† **परिवाहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) १९५० में जिस समय डिप्टी चेयरमैन का पद रिक्त हुआ था उस समय कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के तत्कालीन चेयरमैन ने यह सिफारिश की थी कि उसे भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कार्य इतना नहीं है जिसके लिये एक पूरे समय काम करने वाले पदाधिकारी की नियुक्ति को उचित कहा जा सके।

(ख) और (ग). १९५३ में जब से चेयरमैन गोदी श्रमिक बोर्ड के भी चेयरमैन बन गये हैं तभी से उनके कर्त्तव्यों में भी वृद्धि हुई है।

(घ) गोदी श्रमिक बोर्ड से संबंधित कार्य में चेयरमैन की सहायता करने के लिये गोदी श्रमिक बोर्ड का एक पूरे समय काम करने वाला डिप्टी चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। पत्तन के प्रशासन कार्य में उनकी सहायता करने के लिये एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न अब लिया गया है।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** अब अगला प्रश्न ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का घंटा समाप्त हो चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

मीरपुर में मंगला बांध

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या २०. { डा० राम सुभग सिंह : / श्री नौशीर भरूचा : / श्री रघुनाथ सिंह : / श्री सूपकार : / श्री रामशंकर लाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने जम्मू और काश्मीर के मीरपुर जिले में एक बांध का निर्माण करने की योजना बनायी है, जिसका नाम मंगला बांध परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना का कार्यान्वित युद्ध-विराम करार के अनुरूप होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने वाली है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) से (घ). संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने हाल ही में सुरक्षा परिषद् के प्रेसीडेन्ट को पाकिस्तान सरकार द्वारा मंगला बांध परियोजना का कार्यान्वय आरम्भ किये जाने के बारे में एक पत्र भेजा था। लोक-सभा पटल पर इस पत्र की एक प्रति मंगला बांध परियोजना संबंधी टिप्पण सहित रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९४]**

२. जैसा कि इस पत्र और टिप्पण से प्रकट होगा, ऐसा कोई भी प्रस्ताव सुरक्षा परिषद् के संकल्पों और संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन द्वारा भारत के प्रधान मंत्री को दिये गये आश्वासन का अतिक्रमण होगा।

३. इस परियोजना के बारे में ब्यौरे की जो भी बातें ज्ञात हैं, वे लोक-सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों में दी हुई हैं।

४. पाकिस्तान के अखबारों का कहना है कि मीरपुर जिले में इस परियोजना के लिये भूमि प्राप्त करने के लिये अधिसूचनायें जारी कर दी गयी हैं। यह पता नहीं है कि इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिये अन्य क्या कार्यवाही की गयी है।

५. सुरक्षा परिषद् के प्रेसीडेण्ट को भेजे गये पत्र का कोई उत्तर नहीं आया है। इस समय सुरक्षा परिषद् में चर्चा के लिये यह प्रश्न उठाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह :** सभा-पटल पर रखे गये पत्रों से यह प्रतीत होता है कि इस बांध का निर्माण करने के संबंध में जांच और सड़कों, भवनों, कर्मचारियों के क्वार्टरों आदि का काम निर्माण काफी अर्से से करती आ रही थी और इस बांध के संबंध में पहली खबर १७ सितम्बर, १९५६ को प्रकाशित हुई थी।

†**श्री सूपकार :** मार्च, १९५६।

†**डा० राम सुभग सिंह :** यदि यह मार्च १९५६ हो तो मैं अपनी गलती स्वीकार किये लेता हूं। भारत सरकार ने उसी समय सुरक्षा परिषद् से निवेदन क्यों नहीं किया और जब तक पाकिस्तान सरकार ने १७ जनवरी, १९४८ के संकल्प का उल्लंघन करने के आरोप की ओर सुरक्षा परिषद् का ध्यान आकृष्ट नहीं कर दिया तब तक प्रतीक्षा क्यों करती रही ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं जानता कि जिन क्षेत्रों पर पाकिस्तान का अधिपत्य है उनमें अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने के पाकिस्तान के प्रयासों का प्रश्न उठाने के बारे में माननीय सदस्य से उत्तर में क्या कहूँ। साधारणतया सड़कों आदि के निर्माण पर आपत्ति नहीं की जा सकती। जब कोई औपचारिक योजना आये तभी हम उस पर आपत्ति कर सकते हैं। निश्चय ही हम बांध बनाने के विचार पर आपत्ति कर सकते थे। अभी तक कुछ किया नहीं गया है। अभी भी, भूमि प्राप्त करने संबंधी कुछ प्राथमिक कार्यवाही के अलावा अधिक कुछ नहीं हुआ है।

†**डा० राम सुभग सिंह :** इस बांध के निर्माण के फलस्वरूप कितने व्यक्ति बेघर हो जायेंगे और कितने शहर और गांव बर्बाद हो जायेंगे, और क्या सरकार इस तथ्य की ओर 'सुरक्षा-परिषद्' का ध्यान आकृष्ट करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अखबारों में यह कहा गया है कि १००,००० व्यक्तियों के बेघरबार हो जाने की संभावना है। हमारे पास सही आंकड़े नहीं हैं। निश्चय ही बढ़ी संख्या में गांव भी जलमग्न हो जायेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या यह बात ठीक है कि यह जो डैम होगा इसके द्वारा काश्मीर का कोई लाभ नहीं होगा बल्कि इसका पूरा पूरा लाभ वेस्टर्न (पश्चिमी) पाकिस्तान को होगा और काश्मीर की एक इंच ज़मीन भी इससे नहीं सींची जा सकेगी?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं कैसे कह सकता हूं कि माननीय सदस्य कोई बात कहें वह गलत हो सकती है।

†**श्री राघा रमण :** संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि की मार्फत सुरक्षा परिषद् को एक टिप्पण भेजने के अलावा क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से भी सीधे इस संबंध में कुछ लिखा-पढ़ी की है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं तो नहीं समझता। मैंने देखा है कि पाकिस्तान सरकार की लानत-मलामत से हम उनमें अच्छाइयां पैदा करने में सफल नहीं हो रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न। अभी एक अल्प-सूचना प्रश्न और है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नौशीर भरूचा उठे—

†अध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न दिये हैं पहले उन्हें खड़ा होना चाहिये ताकि मैं पहले उन्हें निबटा दूं।

†श्री नौशीर भरूचा : मैं तीन बार खड़ा हो चुका हूं।

मैं यह जनना चाहता हूं कि सरकार अब भी इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद् में उठाने में क्यों हिचकिचा रही है?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हिचकिचा कोई नहीं रहा। कोई भी किसी एक प्रश्न को उठते ही चर्चा के लिये सुरक्षा-परिषद् में नहीं भेज सकता है। सुरक्षा परिषद् को सारे विश्व का काम निबटाना पड़ता है। जिस समय इस प्रश्न पर विचार होगा तब ठीक समय पर इस मामले को उठाया जायेगा।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

रूसी विमानों द्वारा काश्मीर में हवाई अड्डों का कथित प्रयोग

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१.
- श्री सें० वें० रामस्वामी :
- श्री नरसिंहन् :
- श्री दी० चं० शर्मा :
- श्री श्री नारयण दास :
- श्री राधा रमण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २४ अगस्त को पाकिस्तान नैश्नल असैम्बली में काश्मीर में रूसी हवाई अड्डों और भारत से गुप्त करार करके रूसी हवाई जहाज़ों में कोई सामग्री काश्मीर ले जाने और उन्हें काश्मीर में हवाई अड्डों का प्रयोग करने का अनुज्ञा देने सम्बन्धी प्रश्न की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया;

इस प्रश्न के उत्तर में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि "पता चला है कि रूसी हवाई जहाज़ काश्मीर के अड्डों में उतरते हैं";

(ख) क्या इस आरोप में कोई तथ्य है कि रूसी विमान काश्मीर में उतरते रहे हैं अथवा वहां कोई सामग्री ले जाते रहे हैं; और

(ग) क्या हवाई अड्डों के प्रयोग के लिये कोई गुप्त करार हुआ है जैसे कि आरोप लगाया गया है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जो आरोप लगाये गये हैं उनमें कुछ भी सचाई नहीं है। वह उनकी कल्पना मात्र है। काश्मीर में कोई विदेशी हवाई अड्डे नहीं हैं। १९५५ के पश्चात जब रूसी नेता श्री ख्रुश्चेव और श्री बुल्गानिन भारत के दौरे के दौरान में जब श्रीनगर गये थे कोई रूसी अथवा अन्य

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी हवाई जहाज़ काश्मीर में नहीं उतरा। वे अपने विमान इल्युशिन १४ में वहां गये थे। यह विमान केवल श्रीनगर तक ही गया और जम्मू तथा काश्मीर के किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जाया गया। लेह में कभी कोई रूसी विमान नहीं उत्तरा। वहां जमीन में कुछ सुधार करके हवाई अड्डा सा बनाया गया है जहां अभी डकोटा विमान ही उतारे गये हैं। रूसी जहाज़ों में कोई सैनिक अथवा अन्य सामग्री जम्मू तथा काश्मीर नहीं भेजी गई है। वहां के हवाई अड्डों के प्रयोग के बारे में कोई गुप्त करार नहीं है।

अतः पाकिस्तान नैशनल असैम्बली में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने उत्तर में जो आरोप लगाये वे बिल्कुल निराधार हैं।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महा सभा का अधिवेशन हाल ही में होने वाला है इसलिये पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रचार कर रहा है। पाकिस्तान के इस झूठे प्रचार से जो गलतफहमी पैदा हो जायेगी उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने किसी अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा था कि चाहे अन्त में विजय सत्य की ही होती है परन्तु बुरे आदमी का मुकाबला करना कठिन होता है।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : क्या सरकार का यह विचार है कि पाकिस्तान यह प्रचार इस बात पर परदा डालने के लिये कि उसने काश्मीर के उस भाग को खाली नहीं किया जिस पर उसने आक्रमण किया है, और जारिंग प्रतिवेदन के प्रभाव को समाप्त करने के लिये और रूस का वावेला मचा कर काश्मीर प्रश्न पर ही परदा डालने के लिये ही कर रहा है?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर के उस भाग में विदेशी अड्डे बनाने की अनुमति दे दी है जिसपर उनका कब्जा है और विदेशी विमान वहां आते हैं?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हमें जानकारी है।

†श्री हेम बरुआ : क्या पाकिस्तान यह कल्पनायें अमरीका से अपने सैनिक समझौते को उचित सिद्ध करने के लिये कर रहा है?

†अध्यक्ष महोदय : क्या वह श्री रामस्वामी की तरह प्रश्न पूछ कर स्वयं उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं?

†श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूं .....

†अध्यक्ष महोदय : इस मामले में पाकिस्तान के प्रयोजन के बारे में माननीय सदस्य जो चाहें अनुमान लगा लें।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : हम प्रधान मंत्री जी से सुनना चाहते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : आप पूछ सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधे लाल व्यास** :क्या यह सच है कि कुछ दिन हुए कुछ पाकिस्तानी हवाई जहाज जम्मू और काश्मीर क्षेत्र पर उड़ते हुए देखे गये?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने समाचार पत्रों में इस बारे में कुछ पढ़ा था परन्तु वास्तव में क्या था इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उसी दिन भारत पर जो एक और यह आरोप लगाया था कि भारत रूस का सैनिक अड्डा बन गया है क्या सरकार का ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया गया है और यदि हां तो क्या सरकार पाकिस्तान के विदेशी मंत्री को सचाई बतायेगी?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह बिल्कुल अलग प्रश्न है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया पाकिस्तान के विदेश मंत्री की चेतना शक्ति विकृत हो गई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के इंजन का खराब हो जाना

†*११५९. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री कोडियान :
श्री हेडा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १३ जून, १९५७ को मालनगीर और धारनका के बीच एक ९०० गज लम्बी सुरंग में ही जी० टी० एक्सप्रेस का इंजन खराब हो गया; और

(ख) यदि हां, तो क्या धुएं और भाप से दम घुटने के कारण पिछले इंजन का ड्राइवर और फायरमैन बेहोश पाये गये?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं। दक्षिण को जाने वाली १६ डाउन जी०टी० ऐक्सप्रेस १३.६.५७ को जब धाराखोह और मर्मझिरी स्टेशनों के बीच स्थित सुरंग संख्या ५ से गुजर रही थी तो उस समय पीछे के डिब्बे में बैठे किसी यात्री द्वारा खतरे की जंजीर खैंचने पर इस प्रकार रुकी कि सहायक इंजन और पीछे के पांच डिब्बे सुरंग के अन्दर ही रुके।

(ख) सहायक इंजन का फायरमैन इंजन के धुयें से बेहोश हो गया और ड्राइवर भी अद्ध चेतन अवस्था में था।

पटना हवाई अड्डा

†*११६१. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और विस्तार की योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ समय पूर्व पटना के हवाई अड्डे को बड़ा करने का निश्चय किया था जिस से कि बड़े विमान भी वहां उतर सकें;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो बिलम्ब के क्या करण हैं; और

(घ) विस्तार कार्यक्रम को शीघ्र पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) वर्तमान हवाई अड्डा राज्य सरकार की सम्पत्ति है इस लिये असैनिक उड्डयन विभाग तब तक इसमें कोई विकास नहीं कर सकता जब तक यह उसे न सौंप दिया जाये।

(ख) और (घ). नगर के अधिक निकट होने के कारण टैक्नीकल दृष्टि से वर्तमान हवाई अड्डे को बड़ा करना सम्भव नहीं है क्योंकि डकोटा से बड़े विमानों के उतरने और उड़ान लेने के लिये अधिक क्षेत्र की जरूरत होती है।

वायरलैस सिगनल यन्त्र[18]

†* ११६३. **श्री केशव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटनाओं को रोकने के लिये प्रत्येक गाड़ी में वायरलैस सिगनल यन्त्र प्रयोग में लाने का विचार है; और

(ख) क्या यह मशीनें भारत में इलैक्ट्रानिक्स बंगलौर में बनाई जाती हैं?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*११६४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा विदेशों से खरीदी गई मशीनरी को प्रयोग में लाये बिना ही बेच दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो उस मशीनरी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह क्यों मंगवाई गई थी?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) से (ग). सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९५**]

रेलवे कर्मचारियों की ऋणिता

†*११६७. **श्री घोषाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व दक्षिण रेलवे के उन क्लर्कों का औसतन प्रतिशत क्या है जो सहकारी संस्था अथवा भविष्य निधि लेखे से ऋण लेते हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[18]Wireless Signalling Apparatus.

(ख) क्या सामान्यत: मध्यम वर्ग के रेलवे कर्मचारियों में यह प्रवृत्ति बढ़ रही है कि वे जितने साधनों से सम्भव होता है ऋण ले लेते ह; और

(ग) यदि हां, तो क्यों?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) प्रत्येक वर्ष औसतन ४१.५९ प्रतिशत क्लर्क सहकारी संस्था से ऋण लेते हैं और २५.२ प्रतिशत भविष्य निधि लेखे से।

(ख) ऐसी किसी प्रवृत्ति का प्रमाण नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इच्छामती नदी द्वारा मिट्टी का कटाव

†*११६८. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इच्छामती नदी द्वारा टाकी कस्बे तक मिट्टी के कटाव का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किये गये विशेष इंजीनियर ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९६]

जल संभरण और स्वच्छता योजनायें

†*११७०. श्री संगण्णा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता योजना के अन्तर्गत सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्रों में निश्चित मात्रा में जल संभरण की व्यवस्था के लिये दी गई राशियां पूरी खर्च हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रथम वर्ष पंच वर्षीय योजना काल में प्रत्येक राज्य में कितने कूएं और तालाब खोदे गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य ने कितनी राशि खर्च नहीं की है?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सेवा निवृत्त रेलवे ड्राइवर

†*११७२. श्री रा० च० मांझी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'सी' ग्रेड में सेवा निवृत्त रेलवे ड्राइवरों को पूर्व दक्षिण रेलवे में पुन: उसी ग्रेड में नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या और ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस बारे में इंजन चलाने वाले कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)। (क) जी हां।

(ख) कर्मचारियों की कमी के कारण गाड़ियां न रुक जायें इस लिये आठ व्यक्ति पुनः नियुक्त किये गये हैं।

(ग) नहीं।

गाड़ियों में सामान बेचने वाले

†*११७४. **श्री गणपति राम :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि बर्दवान और मुगलसराय के बीच यात्री गाड़ियों में शीशे अथवा कघियां बेचने वाले व्यक्ति डाके डालते हैं और यात्रियों से जबदस्ती रुपया छीन लेते हैं;

(ख) क्या सरकार को यह विदित है कि गत कुछ मास से यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और कई यात्रियों से उनका रुपया छीन लिया गया है; और

(ग) इस प्रकार की शरारत को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस तरह के दो मामलों की रिपोर्ट मिली है एक जनवरी में और दूसरी जून में। राज्य की रेलवे पुलिस ने इन पर कार्रवाई की है। लेकिन इनमें से कोई डकैती का मामला नहीं था।

(ख) उपर बताये गये मामलों के अलावा इस तरह की और कोई घटना नोटिस में नहीं आयी है।

(ग) खास-खास सवारी गाड़ियों में हिफाजत के लिए रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल[19] का इन्तजाम कर दिया गया है और रेलवे पुलिस को आगाह कर दिया गया है कि वे कड़ी निगरानी रखें।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पुर्ननियुक्ति

†*११८०. **श्री ई० ईयाचरण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि सभी रेलों में सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों को विशेषकर क्लर्कों की नौकरियों पर पुनः नियुक्त किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वित के लिये और इसके साथ प्रवर्त्तन की गति और देखरेख के कामों के बढ़ जाने के कारण अनुभवी कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिये।

रूस से चावल का आयात

११८१. **श्री रामशंकर लाल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली और रूस सरकार ने किसी करार पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके परिणामस्वरूप रूस सरकार ने भारत को ३७,५०० टन चावल देना स्वीकार किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[19]Railway Protection Force.

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य मुख्य शर्तें क्या हैं?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)) : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । रूस सरकार ने यह चावल बर्मा से खरीदा था। उन्होंने उसी मूल्य पर चावल देना स्वीकार कर लिया जिस पर हम बर्मा से खरीद रहे हैं। उन्होंने रुपये में भुगतान स्वीकार करने की बात भी मान ली।

रेलवे स्टेशनों के हिन्दी नाम

*११८३. श्री रामसहाय तिवारी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशनों के नाम-पट्टों पर, हिन्दी समयसारिणी में तथा टिकटों पर एक ही स्टेशन के नाम को भिन्न प्रकार से लिखने की विषमताओं को दूर कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या स्टेशनों की हिन्दी में एक वर्णानुक्रम सूची तैयार करवा के उनके नामों में एकरूपता लाने का विचार है?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). यह काम सर्वे ऑफ इंडिया की सलाह से किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

त्रिपुरा और मनीपुर में डाक घर

†११८६. श्री ले० अचौ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ,

(क) उन डाकघरों की संख्या जो मनीपुर और त्रिपुरा प्रदेशों में प्रयोगात्मक रूप से खोले गये थे परन्तु वे स्थायी बना दिये गये;

(ख) उन प्रयोगात्मक डाकघरों की संख्या जो पांच वर्ष हो जाने पर २४० रुपये वार्षिक घाटे पर चल रहे हैं ; और

(ग) कितने डाक घर लाभदायक न होने के कारण बन्द कर दिया गये हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)

	मनीपुर	त्रिपुरा
(१) १५-८-४७ से ३१-३-५७ तक की अवधि में खोले गये प्रयोगात्मक डाक घर	८२	१२०
(२) (१) में बताई गई संख्या में से अब तक जो स्थायी बनाये गये हैं	१३	३८

(ख) शायद उन प्रयोगात्मक डाक घरों के बारे में जानकारी मांगी गई है जो पांच वर्ष के अनुभव के बाद भी २४० रुपये वार्षिक से अधिक घाटे पर चल रहे हैं क्या २४० रुपये वार्षिक और उस से कम घाटे होने पर उन्हें खोलने की तिथि से २ वर्ष बाद स्थायी बनाया जा सकता है। यदि यह ठीक है, तो मनीपुर में ऐसे ४ डाक घर और त्रिपुरा में ३ हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) एक। हेराक भाग २ अतिरिक्त विभागीय शाखा कार्यालय, मनीपुर, क्योंकि लाभदायक न होने के साथ साथ यह हेराक भाग १ अतिरिक्त विभागीय शाखा कार्यालय से ३ मील से कम दूरी पर था।

तलकर्षक[२०]

†*११९४. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि तलकर्षकों और नदियों के अन्य उपकरण की आवश्यकता बढ़ गई है;

(ख) आवश्यकताओं के बारे में सरकार का कितना अनुमान है; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उक्त प्रयोजन के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) :** (क) तलकर्षकों अथवा अन्य उपकरणों की आवश्यकता के बारे में कोई सामान्य वक्तव्य देना सम्भव नहीं है परन्तु सरकार को मालूम है कि तलकर्षण एक ऐसा तरीका है जो उन नदियों की गहराई को बनाये रखने अथवा बढ़ाने में सहायता देता है जहां नाव चल सकती है। तलकर्षण का लाभ प्रत्येक नदी के लिये प्रत्येक मौसम में अलग अलग होता है।

(ख) विभिन्न नदियों के नौवहन योग्य स्थानों का तलकर्षण द्वारा किस हद तक विकास किया जा सकता है इस बारे में सरकार अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करेगी। तभी आवश्यकता का अनुमान लगाना सम्भव होगा।

(ग) अन्तर्देशीय जल परिवहन की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गंगा-ब्रह्मपुत्र प्रदेश के लिये तलकर्षक बनाने के लिये ८४ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और ब्रह्मपुत्र पर चलाने के लिये रास्ता साफ करने वाली नावों के निर्माण के लिये एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

'याज़' रोग के नियंत्रण की अन्तर्राज्यिक योजना

†*११९५. **श्री संगण्णा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री २८ मई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में तैयार की गई 'याज़' (एक प्रकार का चर्म रोग जिसमें फफोले पड़ जाते हैं) के नियंत्रण की अन्तर्राज्यिक योजना पर अब तक कितना रुपया खर्च किया गया है;

(ख) प्रत्येक राज्य में अब तक कितने रोगियों का उपचार किया गया है;

(ग) इस योजना के लिये कौन सा उपकरण दिया गया;

(घ) क्या वह पर्याप्त है; और

(ङ) क्या इस से प्रभावित लोग योजना का समर्थन और इसे सहयोग दे रहे हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९७]**

(घ) और (ङ), हां, श्रीमान्।

---

[२०]Dredgers.

†मूल अंग्रेजी में

चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना

†*११९६. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में अब तक चित्तरंजन के इंजन बनाने के कारखाने की श्रमिक-समिति[21] की कितनी बैठकें हो चुकी हैं ;

(ख) श्रमिक समिति के कुल निर्वाचित और नाम-निर्देशित सदस्यों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सभी निर्वाचित सदस्यों ने समिति की सभी बैठकों में भाग लिया है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) एक भी नहीं।

(ख) श्रमिक-समिति में ४८ सदस्य हैं; उनमें से ३२ निर्वाचित हैं और १६ नामनिर्देशित।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

काकिनाडा-रामचन्द्रपुरम् रेलवे लाइन

†*१२००. **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे बोर्ड ने काकिनाडा और रामचन्द्रपुरम (आंध्र प्रदेश) के बीच उस रेल लाइन को फिर से बिछाने का आदेश दिया है जो द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान में उखाड़ ली गयी थी?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जी नहीं। इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये योजना आयोग द्वारा अनुमोदित लाइनों में शामिल नहीं किया गया है।

आन्ध्र में बाढ़-नियंत्रण योजनायें

†*१२०१. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र में बाढ़-नियंत्रण की किसी योजना का अनुमोदन किया है या ऐसी कोई योजना उसके विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ये योजनायें क्या हैं; और

(ग) इन योजनाओं के लिये केन्द्र ने कितनी राशि मंजूर की है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें आवश्यक जानकारी दी हुई है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९८]

मेडिकल कालेज, कानपुर

†*१२०२. **श्री त० म० बनर्जी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज के लिये केन्द्र ने कितनी राशि मंजूर की है; और

(ख) क्या यह राशि वक्ष-विभाग[22] के लिये मंजूर की गयी है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[21]Works Committee

[22]Chest Department.

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख), केन्द्र ने १९५६–५७ के दौरान में कानपूर के मेडिकल कालेज के लिये १५ लाख रुपयों की राशि मंजूर की थी, किसी विशेष विभाग के लिये नहीं।

भारतीय नाविक

†*१२०३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के नाविकों के राष्ट्रीय संघ और विदेशी नौवहन कम्पनियों के बीच समझौता हो जाने के फलस्वरूप बम्बई के नाविकों की हड़ताल वापस ले ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** :(क) यह मान लिया जाता है कि नाविकों की हड़ताल से तात्पर्य उस हड़ताल से है जो रखे जाने की तारीख से पहले चुन लिये गये चालक वृन्द को "खुराक भत्ता" का भुगतान करने के संबंध में भारत के नाविको के राष्ट्रीय संघ, बम्बई और यूनाइटेड सीफेयरर्स फेडरेशन द्वारा २ अगस्त, १९५७ को आरम्भ की गयी थी। यदि यह सही है तो इस प्रश्न का उत्तर 'हां' है।

(ख) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें समझौते की शर्तें दी हुई हैं। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९९]

गंगा-ब्रह्मपुत्र अन्तर्देशीय जल-परिवहन

†*१२०४. **श्री घोषाल** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा-ब्रह्मपुत्र मार्ग पर कलकत्ते से आसाम तक के अन्तर्देशीय जल-परिवहन व्यापार का एकाधिकार "ज्वायंट स्टीमर कम्पनीज" (मैसर्स आर० एस० एन० एण्ड कम्पनी लिमिटेड और आई० जी० एन० एण्ड रेलवे कम्पनी लिमिटेड) के हाथ में है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे इन नदियों के तलकर्षण में होने वाले व्यय का कुछ भार वहन करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितनी राशि देती है?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

उड़ीसा के डाक घर

†*१२०५. **श्री संगण्णा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा मण्डल[३३] में सभी श्रेणियों के डाक-घर किराये के भवनों में स्थित हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[३३]Orissa Circle.

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या इस मंडल के सभी जिलों में डाक-घरों के भवनों का निर्माण करने के लिये जमीनें लेने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस मंडल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) देश के अन्य भागों की तरह ही उड़ीसा के डाक-घर भी किराये के और विभागीय भवनों में स्थित हैं ।

(ख) सामान्यत्या बचत के लिये किराये के भवनों का इस्तेमाल किया जाता है । विभागीय भवनों का निर्माण उसी हालत में किया जाता है जब कि उचित किराये पर उपयुक्त भवन नहीं मिलते ।

(ग) जी हां । जिले के प्रधान कार्यालय वाले ऐसे स्थानों में जहां ऐसे कार्यालयों के लिये किराये के अथवा विभागीय उपयुक्त भवन नहीं हैं वहां डाक-घरों के लिये ज़मीन लेने के प्रस्ताव हैं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से उड़ीसा मण्डल के विभिन्न स्थानों पर १०० से भी अधिक क्वार्टरों का निर्माण किया जा चुका है । जगह मिलने पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भी और भी क्वाटरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के मुहानों[24] में नौ-परिवहन

†*१२०७. **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र में इस संबंध में कोई जांच की गई है कि गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के मुहानों में तटीय स्टीमरों के संबंध में नौ-परिवहन की कितनी संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने ऐसी कोई जांच नहीं की है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई उपनगरीय रेल गाड़ियां[25]

†*७९६. **श्री आसर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बम्बई तथा कल्याण के बीच स्थानीय उपनगरीय गाड़ियां अनियमित समय पर और देर से चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[24]Estuaries

[25]Bombay Suburban Trains

(ग) क्या सरकार का इस अनियमिता को रोकने के लिए कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) बम्बई तथा कल्याण के बीच उपनगरीय गाड़ियों के चलने के सम्बन्ध में स्थिति हाल ही में कुछ बिगड़ गई है।

(ख) (१) वैकुअम का नष्ट होना
(२) खतरे की जंजीर का खींचा जाना
(३) सिगनल में खराबी
(४) यूनिट में खराबी

(ग) जी, हां।

डैकन क्वीन[26]

†*८२३. { श्री आसर :
श्री नौशीर भरूचा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'डैकन क्वीन' गाड़ी बम्बई तथा पूना के बीच इस कारण घाटे पर चल रही है कि इसमें केवल प्रथम श्रेणी के ही डिब्बे हैं;

(ख) क्या सरकार का इस गाड़ी में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के डिब्बे जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या जनता से प्राप्त किसी अभ्यावेदन में भी यह सुझाव दिया गया है कि जिन यात्रियों के पास बम्बई तथा पूना के बीच यात्रा के लिए 'सीज़न टिकट' हैं कम से कम उनके लिए तो इस गाड़ी में तृतीय श्रेणी का डिब्बा जोड़ना चाहिये; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) इस गाड़ी में तृतीय श्रेणी का डिब्बा जोड़ने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) जी हां।

(घ) भाग (ख) में ही उत्तर दे दिया गया है।

बम्बई नगर के इर्द गिर्द समुद्र द्वारा मिट्टी का कटाव

†*९४७. श्री नौशीर भरूचा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई नगर के इर्द गिर्द अरब सागर द्वारा मिट्टी के कटाव के परिणाम स्वरूप विशेषतया 'वरसोवा महिम कौज़वे' तथा 'मैरीन ड्राइव' को जो हानि पहुंची है, क्या उसके संबंध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा जांच की गई है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में
[26]Deccan Queen

(ख) यदि हां, तो आयोग का निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या समुद्र द्वारा अधिक कटाव किये जाने का खतरा है; और

(घ) क्या स्थिति में सुधार के लिए कोई कार्यवाही की जा सकती है?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १००]

बम्बई उपनगरीय रेल गाड़ियां

†*९६४. श्री नौशीर भरूचा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई उपनगरीय सैक्शनों पर पश्चिमी तथा मध्य रेलवे की गाड़ियों के समय पर पहुंचने तथा छूटने की प्रतिशतता है?

(ख) क्या यह सच है कि इन स्थानीय गाड़ियों के देर से पहुंचने की बात एक दैनिक घटना हो गई है; और

(ग) बारंबार संचार-भंग[27] के कारण क्या हैं और सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०१]

(ख) जी, नहीं।

(ग) सभा पटल पर रखे गए विवरण में आकस्मिक संचार-भंग के कारण तथा उन्हें दूर करने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियां बताई गई हैं।

आन्ध्र में राष्ट्रीय राजपथ

†८७४. श्री मं० वें० कृष्ण राव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में वर्त्तमान राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई (मार्गवार) कितने मील है;

(ख) उन्हें ठीक बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष कितने खर्च की मंजूरी दी जाती है; और

(ग) प्रस्तावित विकास योजनायें क्या हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०२]

(ख) १९५४-५५ से १९५६-५७ तक के पिछले तीन वर्षों में क्रमशः ३३.१३ लाख, ३२.५० लाख और ४६.३५ लाख रुपये के वार्षिक आवंटन की मंजूरी दी गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[27]Break-down.

(ग) कार्यों के निम्न वर्गों के लिए योजना ने ६७८ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है:—

	योजना में की गई व्यवस्था
नए पुल	३४५.०० लाख रुपये
पुननिर्माण तथा वर्तमान पुलों का सुधार	३६.०० लाख रुपये
नई सड़कें जिनमें दो सड़कों को पूरा करने वाली सडकें भी हैं	१४४.०० लाख रुपये
वर्त्तमान सड़कों में सुधार	१५३.०० लाख रुपये
	६७८.०० लाख रुपये

लखीमपुर स्टेशन के प्लेटफार्म पर छत

८७५. **श्री खुशवक्त राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के लखीमपुर स्टेशन के प्लेटफार्म पर अभी तक छत नहीं बनाई गई है जब कि उस के लिये आवश्यक कुल सामान लगभग २ वर्ष से स्टेशन पर पड़ा हुआ है और वह धूप व वर्षा में खराब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). लखीमपुर स्टेशन के प्लेटफार्म की छत अभी नहीं बनाई गयी, क्योंकि उस के लिये जितने सामान की जरूरत है उस का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा अभी मिल सका है। इस्पात का जो काम तैयार है उस पर अच्छी तरह रोगन कर दिया गया है। इसलिये धूप या बरसात में उस के खराब होने का डर नहीं है। काम शुरू होने में जो देर हो रही है उस की खास वजह यह है कि इस्पात की बहुत कमी है। लेकिन अब जरूरी मात्रा में इस्पात मंगाने का प्रबन्ध हो गया है और उम्मीद है कि छत बनाने का काम अक्तूबर, १९५७ में शुरु कर दिया जायेगा, क्योंकि तब तक पूरा सामान मिल जाने की संभावना है ।

एस० एस० आमाडा[२८]

†८७६. **श्री वारियर** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कोचीन पत्तन क्षेत्र के दण्डाधिकारी द्वारा एस० एस० आमाडा के कप्तान को दण्डाज्ञा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ग) इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी हां। जहाज के मास्टर पर अधिक भार लादने के अपराध में २,००० रुपये जुर्माना किया गया था।

(ख) इस घटना के सम्बन्ध में न्यायालय की कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य कोई जांच नहीं की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२८]S. S. Amada.

(ग) १९२३ के भारतीय व्यापार नौवहन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिन जहाजों में अधिक भार लदे होने का पता लगे उन पर जुर्माना किया जा सकता है ।

गाड़ियों का ठीक समय पर चलना[२९]

†८७७. **श्री राजगोपाल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता तथा मद्रास से वाल्टायर आने वाली गाड़ियों के प्रायः देर से पहुंचने के सम्बन्ध में क्या जनता द्वारा बहुत आलोचना की गई है ;

(ख) क्या सरकार को किसी यात्री संस्था से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) वाल्टायर में गाड़ियों के देर से पहुंचने के सम्बन्ध में जनता द्वारा विशेष रूप से कोई आलोचना नहीं की गई है ।

(ख) वाल्टायर में गाड़ियों के देर से पहुंचने के संबंध में कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) समय पालन आन्दोलन[३०] की गति तेज कर दी गई है । डिवीजन संचालन कर्मचारियों तथा यांत्रिक अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे परिस्थितियों में सुधार करने की ओर बराबर ध्यान दें । इस वर्ष जुलाई में स्थिति में सुधार देखा गया है ।

परिहारा रेलवे स्टेशन पर दुर्घटनायें

†८७८. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर रेलवे के परिहारा रेलवे स्टेशन पर बाढ़ न होने के कारण प्रायः पशुओं तथा मनुष्यों के साथ दुर्घटनायें हो जाती हैं और परिहारा के लोगों ने रेलवे अधिकारियों का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई प्रस्ताव है, तो उन्हें कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार तुरन्त ही आवश्यक कार्यवाही करने की बात पर विचार करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) परिहारा गांव रेलवे स्टेशन से लगभग एक मील की दूरी पर रेलवे-सीमा के साथ स्थित है । उत्तर रेलवे को जुलाई, १९५७ में परिहारा गांव के निवासियों से रेलवे सीमा के साथ बाढ़ की व्यवस्था करने के लिये एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ताकि पशुओं तथा मनुष्यों के साथ कोई दुर्घटना न हो ।

(ख) तथा (ग) परिहारा एक छोटा सा गांव है जिस के निवासित क्षेत्र की सीमा रेलवे सीमा के साथ मिली हुई है । रेलवे लाइन पार करने के लिये समपार हैं और यदि गांव निवासी तथा उन के पशु केवल समपार से ही गुजरें तो दुर्घटनायें कम हो सकती हैं ।

सामान्य प्रथा के अनुसार स्टेशनों के बीच रेलवे सीमा के साथ साथ बाढ़ की व्यवस्था नहीं की जाती है । फिर भी इस बात की जांच की जा रही है कि क्या सुरक्षा में सुधार के लिये परिहारा गांव के सामने बाढ़ अथवा सीमा दीवार की व्यवस्था करना वांछनीय है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२९]Punctuality of trains.

[३०]Punctuality Drive.

अतिरिक्त रेल गाड़ियां

†८७९. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के सूरतगढ़ जंक्शन तथा अनूपगढ़ स्टेशन के बीच एक दिन में दो रेल गाड़ियां चलाने के लिये सरकार ने किसी प्रस्ताव पर विचार किया है या कोई प्रस्ताव उस के विचाराधीन है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और परिणामस्वरूप यातायात में भी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किये जाने की आशा है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नहीं में है तो क्या इस भाग में दो गाड़ियों की सेवा शुरू करने के सम्बन्ध में सरकार का इस प्रश्न की संभाव्यता पर विचार करने का प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) से (ग) . इस मामले पर विचार किया गया है परन्तु सूरतगढ़ तथा अनूपगढ़ स्टेशनों के बीच कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाने के लिये कोई यातायात औचित्य नहीं है ।

बम्बई में राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास खंड

†८८०. **श्री पांगरकर :** क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्गठन के बाद बम्बई राज्य में मिलाये गये मराठवाड़ा के पांच जिलों में कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास खंड खोले गये हैं;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के कितने खंड खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) इन विस्तार सेवा तथा विकास खंडों में राज्य सरकार द्वारा किन मदों का खर्च दिया जाता है; और

(घ) मराठवाड़ा में इन खंडों पर भारत सरकार द्वारा कुल कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** (क) अब तक खोले गये खंड : —

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड	१२
सामुदायिक विकास खंड (राष्ट्रीय विस्तार सेवा से परिवर्तित)	४
सामुदायिक विकास खंड जो उग्रोतर प्रावस्था में पहुंचे हैं	२
(ख) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड	८७
सामुदायिक विकास खंड (राष्ट्रीय विस्तार सेवा से परिवर्तित)	३५

(ग) सिंचाई, कृष्यकरण, गृह-निर्माण आदि, जैसी स्वयं वित्त व्यवस्था करने वाली योजनाओं के संबंध में केन्द्र द्वारा ऋण दिया जाता है जिसे बराबर की १२ वार्षिक किश्तों में वापिस देना होता है, स्वयं वित्त व्यवस्था की योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य ५० प्रतिशत आवर्तक तथा २५ प्रतिशत अनावर्तक खर्च देते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जब से खंड चालू किये गये हैं तब से मई, १९५७ तक इन खंडों पर हुआ कुल खर्च इस प्रकार है जिस में राज्य का अंश भी सम्मिलित है :—

सामुदायिक विकास खंड	४४,६५,३२६ रुपये
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड	११,६५,८३३ रुपये
	५६,३१,१५९ रुपये

सिगनल संचालन के लिए भर्ती

†८८१. **श्री धर्म लिंगम्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में दक्षिण रेलवे में सिगनल संचालन के लिये कितने उम्मीदवार भर्ती किये गये थे;

(ख) उन में से अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवार थे;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित पदों में से कोई पद इस आधार पर अन्य व्यक्तियों को भी दिये गये थे कि अनुसूचित जातियों के कुछ उम्मीदवार नियत स्तरों को पूरा नहीं करते थे; और

(घ) यदि हां, तो इसी अवधि में उन की संख्या कितनी थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ६२१ ।

(ख) ११४ ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नया रेलवे स्टेशन

†८८२. **श्री नंजप्प** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे के जलारपेट-मंगलौर सैक्शन (बड़ी लाइन) में सुलूर तथा सिंगनल्लूर रेलवे स्टेशनों के बीच इरूगूर स्थान पर एक नया रेलवे स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : दक्षिण रेलवे के सुलूर तथा सिंगनल्लूर रेलवे स्टेशनों के बीच इरुगूर स्थान पर हाल्ट स्टेशन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की जांच की गई है और वित्तीय दृष्टि से इसे न्यायसंगत नहीं पाया गया है ।

तथापि यह निर्णय किया गया है कि इस स्थान पर यात्रियों की सुविधा के लिये एक ठेकेदार द्वारा संचालित हाल्ट स्टेशन की व्यवस्था की जाये और दक्षिण रेलवे के मुख्य प्रबन्धक (जनरल मैनेजर) से इस मामले में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा जा रहा है ।

यात्री सुविधायें

†८८३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्तर रेलवे की कालका-शिमला शाखा लाइन के स्टेशनों पर किन यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : निम्नलिखित स्टेशनों पर निम्न यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की गई है :—

कालका :—

(१) प्लेटफार्म नम्बर १ पर बैंचें तथा एक जलशीतक ।

(२) जल सम्भरण में सुधार ।

सोलन :—

बिजली की रोशनी की व्यवस्था ।

यात्री सुविधायें

†८८४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्तर रेलवे की जालन्धर-होशियारपुर शाखा लाइन के स्टेशनों पर किन यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : प्रथम पंचवर्षीय योजना में जालन्धर-होशियारपुर शाखा लाइन के स्टेशनों पर निम्न यात्री सुविधा कार्य पूरे किये गये थे :

जालन्धर छावनी :

(१) प्रथम श्रेणी की दुकानों की दो इकाइयां ।

(२) मुसाफिरखानों से सम्बद्ध स्नान घरों में स्वाच्छिक अन्वायुक्ति[1] की व्यवस्था ।

यात्री सुविधायें

†८८५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्तर रेलवे की जालन्धर-मुकेरियां-पठानकोट लाइन के स्टेशनों पर किन यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : प्रथम पंचवर्षीय योजना में जालन्धर-मुकेरियां-पठानकोट सैक्शन के विभिन्न स्टेशनों पर निम्न यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की गई है :

जालन्धर शहर :

(१) तृतीय श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के मुसाफिरखानों में अधिक अच्छी किस्म का फर्श लगाया गया ।

(२) स्टेशन के मुख्य प्रवेश स्थान पर से साइकल स्टैंड हटाया गया ।

(३) मार्गों में सुधार तथा एक पोर्टिको ।

(४) यात्री प्लेटफार्म पर मरकरी वेपर लैम्पों की व्यवस्था कर के अच्छी रोशनी का प्रबन्ध किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sanitry Fittings.

टांडा डरमर : तृतीय श्रेणी की दुकानों की व्यवस्था की गई।

दसुआ : तदैव

उची बस्सीं : पुरानी इमारत के स्थान पर स्टेशन की पक्की इमारत की व्यवस्था की गई।

चीन को भारतीय प्रतिनिधि मंडल

†८८६. श्री स० चं० सामन्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि आयोजन तथा प्रविधि के संबंध में चीन गये भारतीय प्रतिनिधि मंडल की किन सिफारिशों को भारत सरकार ने लागू किया है;

(ख) क्या प्रयोग के लिये तथा उगाने के लिये चीन से वहां के बेहतर किस्म के बीजों तथा पौध सामग्री आयात की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो वे बीज तथा पौध सामग्री क्या हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०३]

(ख) जी हां, जब कभी भी राज्य सरकारों और केन्द्रीय संस्थाओं से प्रार्थनायें प्राप्त होती हैं।

(ग) फिलहाल कपास के बढ़िया बीज आयात किये जायेंगे।

हिमालय के खंडों में खाद्यान्नों का गिराया जाना

८८७. श्री भक्त दर्शन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से देश की खाद्य स्थिति बिगड़ी है, हिमालय के कतिपय खंडों में भारतीय वायु सेना के वायुयानों द्वारा अनाज गिरा कर वहां की जनता की सहायता करनी पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन स्थानों, गिराये गये अनाज के परिमाण, लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या और विमानों की उड़ानों इत्यादि पर किये गये व्यय का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) और (ख). हिमालय क्षेत्र के उन एकान्त स्थानों में जहां पर अन्य किसी सवारी द्वारा पहुंचना कठिन था, भारतीय वायु सेना के वायुयानों द्वारा

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ अनाज गिराना पड़ा था । अनाज के वायुयानों द्वारा गिराने का कारण देश में खाद्य स्थिति का बिगड़ना नहीं था । निम्नलिखित तालिका में विस्तृत विवरण दिया गया है :

राज्य	क्षेत्र	वायुयानों द्वारा गिराये गये अनाज का परिमाण	लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या	जो व्यय हुआ
पंजाब	कजा-स्पीती वादी में	५०० मन चावल	२४२२	हिमालय क्षेत्र में वायुयानों द्वारा गिराये गये अनाज पर जो व्यय हुआ उस की अलग सूचना उपलब्ध नहीं है ।
	कीलांग-लाहौल वादी में	९७८ मन आटा ४८८ मन चावल	१४०० परिवार	
	गुरदासपुर जिले में कुछ स्थान	सूचना उपलब्ध नहीं है ।		
उत्तर प्रदेश	मुनशियारी-अल्मोड़ा जिले में	१५६०० पौंड गेहूं	१,११७ परिवार	११,८०० रुपये
हिमाचल प्रदेश	किल्लर-पंगी वादी में	२२६ मन गेहूं	६४२	सूचना उपलब्ध नहीं है ।
असम	उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र	४१०३१ मन चावल २२१९ मन आटा, ९१० मन मैदा (जनवरी से मई तक)	१२,९००	५,५८,९०० रुपये

नेपाली अधिकारियों द्वारा भारतीय डाक घरों का दौरा

†८८८. श्री विभूति मिश्र : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक घरों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये नेपाल सरकार के दो अधिकारियों ने भारत में विभिन्न नगरों का दौरा किया; और

(ख) यदि हां, तो वे किन स्थानों पर गये थे और सरकार ने उन की किस सीमा तक सहायता की थी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये अधिकारी जिन स्थानों पर गये थे उन के नाम हैं (१) अलीगढ़ (२) बम्बई (३) कलकत्ता (४) दिल्ली (५) लखनऊ (६) मोताहारी (७) मुजफ्फरपुर (८) पटना (९) वाराणसी।

इन पदाधिकारियों को डाक घरों, टेलीफोन एक्सचेंजों, तार घरों और रेलवे डाक सेवा तथा हवाई जाहाज से जाने वाली डाक को छांटने के कार्यालय में ले जाया गया और उन स्थानों पर काम की जो सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है वह उन्हें विस्तृत रूप से समझाई गई थी।

अनुसूचित जातियों के लिये रिक्तताओं का सुरक्षण

†८८९. श्री कोडियान : क्या रेलवे मंत्री १५ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में प्रत्येक रेलवे में अनुसूचित जातियों के लिये कितनी रिक्ततायें सुरक्षित की गयी थीं; और

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक रेलवे में अनुसूचित जातियों द्वारा वस्तुतः कितने रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई थी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०४]

गाड़ियों का देर से चलना

८९०. श्री राधे लाल व्यास : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन-भोपाल सैक्शन के मध्य रेलवे से पश्चिम रेलवे में आने के बाद से उज्जैन-भोपाल के बीच गाड़ियों के बराबर देर से चलने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इन गाड़ियों के देर से चलने से इन गाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्रियों को बहुधा उज्जैन, नागदा, रतलाम और भोपाल पर गाड़ियों का मेल नहीं मिलता; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये और यात्रियों को गाड़ियों के देर से चलने से होने वाली असुविधा व परेशानी से बचाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १-३-५७ से, जब से यह सेक्शन पश्चिम रेलवे में मिलाया गया है, गाड़ियों के वक्त की पाबन्दी जैसी होनी चाहिये वैसी नहीं रही है। वक्त की पाबन्दी में कमी की वजह यह रही है कि उज्जैन के सिंहस्थ मेले के लिये कुछ और गाड़ियां चलाई गयी थीं, जिस से इस सेक्शन की गाड़ियों के समय पर चलने में अड़चन पैदा हो गयी। इस सैक्शन में वक्त की पाबन्दी में कमी का एक कारण यह भी है कि इस पर पुराने (ओवरएज) इंजन चलाये जाते हैं।

(ख) जी हां। कभी-कभी मेल नहीं होता।

(ग) (१) कुछ इंजनों के बदले अच्छे किस्म के इंजन रखे जा रहे हैं।

(२) गाड़ियों के समय में १-१०-५७ से हेर-फेर किया जा रहा है, ताकि हालत सुधर सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

केसिंगा रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल

†८९१. श्री बि० चं० प्रधान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के केसिंगा रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरी पुल निर्मित करने के सम्बन्ध में सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९५६ में राज्य सरकार ने निर्मित किये जाने वाले ऊपरी सड़क पुलों की एक सूची प्रस्तुत की थी जिस में उसने अपनी प्राथमिकता भी बताई थी। इस सूची में केसिंगा रेलवे स्टेशन पर पुल का वरीयता क्रम में आठवां स्थान है।

(ख) जब उच्च वरीयता वाले अन्य पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा तब इस पुल का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा और पुल तक आने वाली सड़कों के निर्माण का प्रबन्ध राज्य सरकार करती है।

चीनी के कारखाने

†८९२. श्री नुरारका : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में बताया गया हो कि :

(क) पिछले चार वर्षों में जिन चीनी कारखानों के कार्य की जांच की गई है उन के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या इन जांचों के प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : पिछले चार वर्षों में १९५१ के उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा १५ के अधीन निम्नलिखित चीनी के कारखानों के कार्यों की जांच की गयी थी :—

(१) मैसर्स जगदीश शुगर मिल्स लिमिटेड, कोठकुइयां, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश।

(२) मैसर्स ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स लिमिटेड, लक्ष्मीगंज, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश।

(३) मैसर्स महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स लिमिटेड, रामकोला, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश।

(४) मैसर्स राम लक्ष्मण शुगर मिल्स, मोहियुद्दीनपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश।

(५) मैसर्स पदरौना राज कृष्ण शुगर वर्कस लिमिटेड, पदरौना, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश।

(६) मैसर्स विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स लिमिटेड, खड्डा, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश।

(७) मैसर्स पन्नीजी शुगर एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी, पन्नीनगर, जिला नैनीताल, उत्तर प्रदेश।

---

†मूल अंग्रेजी में

(८) मैसर्स श्री जानकी शुगर मिल्स एण्ड कम्पनी, दोइवाला, जिला देहरादून, उत्तर प्रदेश ।

(९) मैसर्स सुगौली शूगर वर्क्स लिमिटेड, सुगौली, जिला चम्पारन, बिहार ।

(ख) सभा पटल पर जांच तालिकाओं[३३] के प्रतिवेदनों को रखना जनहित में नहीं होगा । परन्तु नीचे दिये गये अधिसूचना आदेशों के अनुसार भारत के सूचना पत्र में इन प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही यथाविधि प्रकाशित की गयी थी :—

एस० आर० ओ० संख्या	तिथि	(क) विलोपन-आदेश या (ख) विस्तारी आदेश की संख्या तथा तिथि
(१) २०८५	१०-११-५३	(क) एस० आर० ओ० संख्या १६७२ दिनांक २१-५-५४
(२) २१२०	१४-११-५३	
(३) २१२१		
(४) २१२२		
(५) ३४३६	८-११-५५	(ख) एस० आर० ओ० संख्या २५४२-ए तथा २५४२-बी दिनांक ७-११-५६
(६) ३४३७		
(७) ३४४०	९-११-५५	(ख) एस० आर० ओ० संख्या २२७५ दिनांक ५-१०-५६
(८) ३५६४	२५-११-५५	(क) एस० आर० ओ० संख्या १५६९ दिनाँक ५-७-५६
(९) ३५६५		
(१०) १६२३	१६-७-५६	(ख) एस० आर० ओ० संख्या २१३३ तथा २१२४ दिनांक १९-६-५७
(११) २०३९	८-९-५६	
(१२) २७१	२१-१-५७	

उपरोक्त (क) की क्रम संख्या ७ तथा ९ में दी गई चीनी मिलों के सम्बन्ध में १९५१ के उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनयम के अधीन कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई थी ।

चीनी के कारखाने

†८९३. **श्री मुरारका :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में बताया गया हो कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा जिन चीनी के कारखानों का कार्य-प्रबन्ध अपने अधिकार में लिया गया है उन के नाम क्या हैं ;

(ख) उन का कार्य प्रबन्ध किन तिथियों से संभाला गया है; और

(ग) सरकार के कार्य-प्रबन्ध के अधीन इस प्रकार के प्रत्येक कारखाने के कार्यकरण का परिणाम क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[३३]Investigation panels.

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) तथा (ख). १९५१ के उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जिन चीनी के कारखानों का कार्य-प्रबन्ध अपने अधिकार में लिया गया है उन का ब्यौरा तथा उन्हें अपने नियन्त्रणाधीन लेने की तिथियां नीचे दी जाती हैं :—

चीनी कारखाने का नाम	तिथि जिस पर		
	कार्य प्रबन्ध संभाला गया	नियंत्रण हटा लिया गया	पुनः नियंत्रण लागू किया गया
१	२	३	४
१. मैसर्स जगदीश शुगर मिल्स लिमिटेड, काठकुइयां।	१०-११-५३	२१-५-५४	२५-११-५५
२. मैसर्स ईश्वरी खेतन शुगर मिल्स लिमिटेड, लक्ष्मीगंज।	१४-११-५३	२१-५-५४	८-११-५५
३. मैसर्स महेश्वरी खेतन शुगर मिल्स लिमिटेड रामकोला।	१४-११-५३	२१-५-५४	८-११-५५
४. मैसर्स राम लक्ष्मण शुगर मिल्स, मोहिउद्दीनपुर।	१४-११-५३	२१-५-५४	१६-७-५६
५. मैसर्स पदरौना राज कृष्ण शुगर वर्क्स लिमिटेड, पदरौना।	२५-११-५५	—	—
६. मैसर्स विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स लिमिटेड, खड्डा।	९-११-५५	—	—
७. मैसर्स श्री जानकी शुगर मिल्स एण्ड कम्पनी, डोइवाला।	८-९-५६	—	—

(ग) पिछले चार वर्षों में प्रत्येक कारखाने में उत्पादित चीनी की मात्रा तथा प्राप्त की गई चीनी (रिकवरी) की प्रतिशतता नीचे दी जाती है :—

चीनी मिल का नाम	उत्पादित चीनी टनों में				प्राप्त मात्रा की प्रतिशतता			
	१९५३-५४		१९५४-५५		१९५५-५६		१९५६-५७	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१. मैसर्स जगदीश शुगर मिल्स लिमिटेड, काठकुइयां।	३५८०	५४७४	४७९०	नियन्त्रण नहीं था	९.८०	९.७८	९.३२	नियंत्रण नहीं था

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२. मैसर्स ईश्वरी खेतन शुगर मिल्स लिमिटेड, लक्ष्मीगंज	४८४९	६९७९	६०८१	७२१४	९.४०	९.६७	९.३०	९.१०
३. मैसर्स महेश्वरी खेतन शुगर मिल्स लिमिटेड, रामकोला	५७६६	८६०४	७५६०	८०४१	९.३८	९.६३	९.६४	९.११
४. मैसर्स रामलक्ष्मण शुगर मिल्स, मोहियुद्दीनपुर	९७६०	१५४४३	१३४६८	१३९७४	९.७७	९.८४	९.८४	९.७२
५. मैसर्स पदरौना राज कृष्ण शुगर वर्क्स लिमिटेड, पदरौना।	४५७५	५२७२	५३९५	नियंत्रण नहीं था	९.१०	८.५३	९.१८	नियंत्रण नहीं था
६. मैसर्स विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स लिमिटेड पदरौना।	३४७२	४९५९	५३९६	५९७६	९.५५	९.११	९.३९	९.३८
७. मैसर्स श्रीजानकी शुगर मिल्स एंड कम्पनी, डोइवाला।	३६४२	५१७६	६२९८	७५९७	९.०८	८.०१	८.३०	९.५८

अनाज उठाने के यंत्र[33]

†८९४. **श्री मुरारका** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका से दो अनाज उठाने के यंत्र (एलीवेटर) और ५० पूर्व-निर्मित ढ़ांचे[34] खरीदे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें अमरीका से, जो कि दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र है, क्यों खरीदा जा रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) प्रविधिक सहयोग मिशन सहायता योजना के अधीन अमरीका से दो संग्रह याण्ड एवं उत्थापक[35] और ५० पूर्व निर्मित ढांचे प्राप्त हुए हैं।

†मूल अंग्रेजी में

[33]Elevators.
[34]Prefabricated structure.
[35]Silo-cum-elevators.

(ख) क्योंकि उन की कीमत और उन्हें भारतीय पत्तनों तक लाने का सारा भाड़ा अमरीकी सरकार ने दिया है, इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सहायक परिचारिकायें तथा धात्रियाँ[३६]

†८९५. श्री वासुदेवन् नायर:
श्री कुन्हन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों द्वारा सहायक परिचारिकाओं तथा धात्रिओं का प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के लिये क्या वृत्तिका और वेतन-क्रम निर्धारित किया गया है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): सामुदायिक विकास योजना के अधीन सहायक परिचारिका-धात्री प्रशिक्षण सम्बन्धी भारत सरकार की योजना के अधीन केरल के सिवाय अन्य सभी राज्यों में प्रशिक्षण पाने वालों को ५० रुपये मासिक वृत्तिका दी जाती है । केरल सरकार सहायक परिचारिका-धात्री प्रशिक्षण पाने वालों को ३० रुपये मासिक दे रही है । उस राज्य के अन्य परिचारिका प्रशिक्षणार्थियों को भी इतनी ही वृत्तिका मिलती है ।

अनुबन्ध में एक विवरण दिया गया है जिस में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सहायक परिचारिका-धात्रियों के लिये निश्चित किये गये वेतन-क्रम और भत्ते बताये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०५]**

सिद्धपुर में ऊपरी पुल[३७]

८९६. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार पिछले वर्ष पश्चिम रेलवे के सिद्धपुर स्टेशन पर दो मिलों के मजदूरों की कठिनाई को दूर करने के लिये एक ऊपरी पुल बनाने का था;

(ख) यदि हां, तो उसे अब स्थगित क्यों कर दिया गया है;

(ग) उस के निर्माण पर लगभग कितना खर्च आयेगा; और

(घ) क्या यह सच है कि सिद्धपुर स्टेशन पर ऊपरी पुल न होने के कारण एक दुर्घटना से दो व्यक्ति मारे गये थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) जी, हां । पैदल जाने वालों के लिये एक ऊपरी पुल बनाने के सम्बन्ध में एक प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) निक्षेप कार्य के प्राक्कलन के बारे में बम्बई सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) ९५,०७७ रुपये ।

(घ) २६-१-५६ को यार्ड में जब एक गाड़ी शंटिंग कर रही थी तो लाइन पार करने वाला एक व्यक्ति उस के नीचे आ गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[३६]Auxiliary Nurses and Mid-wives.

[३७]Over bridge.

देशीय तथा होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियाँ

†८९७. **श्री संगण्णा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देशीय तथा होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहन देने और उन का प्रचार करने के लिये किसी वित्तीय सहायता के लिये आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के लिये आवेदन किया गया है ; और

(ग) सरकार ने उस के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) उड़ीसा सरकार ने गोपबन्धु आयुर्वेदिक विद्यापीठ पुरी, के सुधार से सम्बन्ध रखने वाली एक योजना के बारे में वित्तीय सहायता के लिये आवेदन किया है। उस राज्य सरकार से होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के लिये कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) ३.९४ लाख रुपये ।

(ग) इस प्रार्थना पर सरकार ने अभी विचार नहीं किया है क्योंकि १९५५–५६ के लिये मंजूर किये गये १४,२०० रुपये के पूर्ववर्ती अनुदान का अभी तक पूरा उपयोग नहीं किया गया है।

लोहना रोड स्टेशन

†८९८. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रश्न पर विचार किया गया है या विचार करने का ख्याल है कि पूर्वोत्तर रेलवे के दरभंगा निर्मली सैक्शन के लोहना रोड फ्लैग स्टेशन को एक क्रासिंग स्टेशन बना दिया जाये और यात्रियों को अधिक सुविधायें दे कर उस स्टेशन को स्तर ऊंचा किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम निश्चित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खा):** (क) से (ग). लोहना रोड फ्लैग स्टेशन को एक क्रासिंग स्टेशन के रूप में बदल देने की एक प्रस्थापना पूर्वोत्तर रेलवे की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है, और आशा है कि उसे १९६०–६१ में कार्यान्वित किया जायेगा ।

लोहना रोड स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधायें देने के सम्बन्ध में इस समय कोई प्रस्थापना नहीं है। रेलवे प्रशासन यात्री सुविधा समिति के परामर्श से सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में, प्रति वर्ष कार्यक्रम बनाता है ; भावी कार्यक्रम तैयार करते समय अन्य स्टेशनों के साथ ही साथ लोहना रोड स्टेशन की आवश्यकताओं पर भी अवश्य विचार किया जायेगा ।

आसाम के भूतपूर्व रेल कर्मचारी

†८९९. **श्री ही० ना मुकर्जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन रेल कर्मचारियों को वास्तव में १९४७–४८ में आसाम रेल सम्पर्क परियोजना से नियुक्त किया गया था, उन्हें १९५० में निकाल दिया गया और फिर उन्हें दक्षिण पूर्व रेलवे में नये कर्मचारियों के रूप में पुनः नियुक्त किया गया; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन की पुरानी सेवा को भी इस के साथ मिलाने और उस से सम्बद्ध सुविधाओं के लिये उन के अभ्यावेदन के बारे में कोई निर्णय किया गया है या कोई निर्णय किया जा रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाजखां :** (क) जी, हां। उन्हें सभी प्रयोजनों के लिये नये कर्मचारियों के रूप में समझा गया है सिवाय इस बात के कि उन के द्वारा आसाम रेल सम्पर्क परियोजना में प्राप्त किये गये अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन के उपयुक्त वेतन निर्धारित किये गये हैं।

(ख) इस प्रकार की कोई भी प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

कुतुब रोड, नई दिल्ली की सफाई

९००. **स्वामी रामानन्द शास्त्री :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड होते हुए सदर बाजार को जाने वाले मार्ग पर वजीराबाद के पास रेलवे लाइन के किनारे इतनी गन्दगी रहती है कि जिस की बदबू के कारण उधर से निकलना कठिन हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस स्थान की सफाई के लिये क्या किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) यह बदबू कुतुब रोड के कूड़ा-कचरा जमा करने की जगह से आती है।

(ख) उस स्थान को अन्तरित करने की एक योजना तैयार हो गई है जो दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

परादीप पत्तन रेलवे लाइन

†९०१ **श्री संगण्णा:**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप पत्तन के विकास के लिये और वहां से रूरकेला इस्पात कारखाने तक लौह अयस्क ले जाने के लिये कटक से परादीप पत्तन तक एक रेलवे लाइन बिछाने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये दण्डकारण्य योजना की कार्यान्विति के लिये दक्षिण-पूर्व रेलवे खण्ड के राजौंडा गासु रेलवे स्टेशन से जगदालपुर और जैपुर के मार्ग से मलकानगिरि तक एक रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है; और

(ग) यदि हां, तो उस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) जी, नहीं।

(ख) संभवत: माननीय सदस्य दक्षिण-पूर्व रेलवे के राजनन्द गांव की ओर निर्देश कर रहे हैं। इस समय इस प्रकार की किसी भी प्रस्थापना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

पटसन की खेती

†९०२. **श्री राजगोपाल राव:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आन्ध्र की श्रीकाकुलम् पटसन विपणी समिति ने भारत सरकार या केन्द्रीय पटसन समिति से वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** भारत सरकार को आन्ध्र की श्रीकाकुलम् पटसन विपणी समिति से वित्तीय सहायता के लिये कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हां इस प्रकार की प्रार्थना दिसम्बर, १९५६ में भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति को प्राप्त हुई थी, और पटसन समिति ने यह उत्तर दे दिया था कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समिति ने आन्ध्र राज्य को बिमली-पत्तन पटसन के सुधार के लिये वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है, अब आन्ध्र राज्य की श्रीकाकुलम पटसन विपणी समिति को कोई अलग वित्तीय सहायता देना संभव नहीं है।

रेलवे के पोर्टर

†९०३. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (१) रेलवे का काम करने वाले और (२) यात्रियों का सामान उठाने वाले रेलवे पोर्टरों सम्बन्धी योजना में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) इस समय पोर्टरों के लिये किस प्रकार की प्रणाली चल रही है;

(ग) क्या रेलवे का काम करने वाले पोर्टरों को रेलवे कर्मचारी समझ जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो क्यों;

(ङ) क्या रेलवे पोर्टरों ने पारस्परिक सुविधाओं, बेहतर सेवा और अनुशासन के हेतु अपनी सहकारी संस्थायें बना ली हैं;

(च) यदि हां, तो किस किस स्थान पर; और

(छ) क्या सरकार इन सहकारी संस्थाओं को कोई सहायता या प्रोत्साहन देती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) और (ख). पहले, बहुत से स्टेशनों पर, यात्रियों का सामान उठाने वाले पोर्टरों को लाईसेंस ठेकेदारों की मार्फत दिये जाते थे। जब अधिकांश स्टेशनों पर उन्हें लाइसेंस सीधे ही रेलवे प्रशासन द्वारा दिये जाते हैं।

शेष स्टेशनों पर भी सीधे ही लाइसेंस देने की प्रणाली लागू करने का विचार है।

कुछ स्टेशनों पर पहले ठेकेदारों द्वारा नियुक्त पोर्टर थोड़े समय के लिये रेलवे का काम भी किया करते थे, अर्थात्, पार्सल तथा बुक हुए सामान आदि को उठाने का काम किया करते थे। अब उन से केवल यात्रियों का ही काम करने के लिये कहा गया है, और रेलवे का काम सामान्यतः ठेकेदारों द्वारा अलग रूप से नियोजित मजदूरों द्वारा किया जाता है। जहां कहीं लाइसेंस प्राप्त पोर्टर अंश कालिक कार्य के आधार पर रेलवे का काम करते हैं, वहां उन्हें इस प्रयोजन के लिये निर्धारित दरों के अनुसार मजूरी दी जाती है।

(ग) और (घ). जी नहीं। क्योंकि वे मुख्य रूप से यात्रियों का सामान उठाने के लिये रखे जाते हैं जिस के लिये रेलवे विभाग सीधे ही जिम्मेवार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) और (च). पता लगा है कि ऐसी संस्थायें क्रमशः उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ कैन्ट और चार बाग स्टेशनों पर बनी हैं ।

(छ) यद्यपि इन संस्थाओं को रेलवे कर्मचारि संघों के रूप में न होने के कारण रेलवे प्रशासन द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गयी है, तथापि उन के द्वारा भेजे गये अभ्यावेदनों पर विचार किया जाता है ।

पहाड़ी स्थान भत्ता[३८]

†९०४. **श्री जाधव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६ से पहले ईगतपुरी में रेलवे कर्मचारियों को पहाड़ी स्थान भत्ता दिया जाता था;

(ख) यदि हां, तो क्या वह भत्ता अब भी दिया जाता है; और

(ग) यदि नहीं तो उस के क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) पहाड़ी स्थान भत्ता देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा किये गये वर्गीकरण का ही अनुसरण किया जाता है । राज्य सरकार द्वारा किये गये वर्गीकरण में प्रतिकरात्मक भत्ते के लिये ईगतपुरी को एक पहाड़ी स्थान के रूप में नहीं दिखाया गया है, और न ही राज्य सरकार ईगतपुरी में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को कोई पहाड़ी-भत्ता दे रही हैं ।

अगरताला नगरपालिका

†९०५. **श्री दशरथ देब** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरताला नगरपालिका द्वारा १९५७–५८ में कार्यान्वित किये जाने वाले पुरःस्थापित पुनर्निर्माण कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) प्रत्येक मद पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है; और

(ग) क्या अगरताला नगरपालिका अगरताला नगर में एक सार्वजनिक सभा-मैदान बनाने का विचार रखती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) (१) सड़कों का सुधार

(२) बाजारों का सुधार

(३) जल व्यवस्था

(४) जल निस्सारण

(ख) सड़कों और बाजारों पर क्रमशः २,००,००० रुपये और ५६,४०० रुपये खर्च करने की संभावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[३८]Hill allowance.

अगरताला जल संभरण योजना, जिस पर कि १७.०७ लाख रुपये का खर्च आयेगा, के लिये प्रशासन द्वारा मंजूरी दे दी गयी है, परन्तु अभी प्रविधिक मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है। इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि इस वर्ष उस पर कितनी राशि खर्च करने की संभावना है।

अगरताला जल निस्सारण परियोजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

मद्रास में रेलवे कर्मचारियों के लिये गृह-व्यवस्था

†९०६. **श्री कोडियान :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को ज्ञात हुआ है कि मद्रास के आवास आयुक्त में मद्रास नगर में रेलवे कर्मचारियों को मकान आवंटित करना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे मंत्रालय मद्रास के अपने उन कर्मचारियों के आवास के सम्बन्ध में कोई वैकल्पिक प्रबन्ध कर रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। क्योंकि कर्मचारियों की ओर से इस प्रकार के किसी प्रबन्ध के लिये प्रार्थना नहीं की गयी है।

गोदामों में माल रखने के बारे में प्रशिक्षण[१]

†९०७. **श्री संगण्णा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में खोले जाने वाले गोदामों के सम्बन्ध में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के बारे में कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण के लिये अभ्यर्थियों के लिये क्या क्या अर्हतायें निर्धारित की गयी हैं;

(ग) प्रशिक्षण का क्षेत्र और पाठ्य-क्रम क्या होगा; और

(घ) प्रशिक्षण केन्द्र कहां कहां स्थापित होंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ). इन के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है। परन्तु, केन्द्रीय भाण्डागार-व्यवस्था निगम के निदेशक बोर्ड ने २९ जुलाई, १९५७ की अपनी बैठक में गोदामों के कर्मचारियों की आवश्यकताओं, उन की अर्हताओं आदि के बारे में निर्णय करने और उन के प्रशिक्षण के लिये कार्यक्रम निश्चित करने के हेतु एक समिति नियुक्त की थी। आशा है कि यह समिति शीघ्र ही अपनी सिफारिशें बोर्ड को भेज देगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Training in Warehousing.

माल गाड़ी के डिब्बे का लाइन से उतर जाना

†९०८. { **श्री नागी रेड्डी:**
श्री रा० स० तिवारी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद-द्रोणाचलम् सैक्शन के बीच २६ जुलाई, १९५७ को एक माल गाड़ी का डिब्बा लाइन से उतर गया था; और

(ख) क्या सरकार ने दुर्घटना के कारणों के बारे में जांच की है ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**:(क) २६-७-१९५७ की शाम को ६ बजे जब कि नम्बर ८०५ डाउन माल गाड़ी सिकन्दराबाद-द्रोणाचलम् मीटर लाइन सैक्शन पर इतकियाल और मनोपद स्टेशनों के बीच चल रह थी, तो १३२/१९ वें मील पर गाड़ी के दो डिब्बे लाइन से उतर गये थे । इस दुर्घटना के कारण किसी को भी चोट नहीं आयी ।

(ख) इस दुर्घटना की जांच करने का आदेश दे दिया गया है और अब प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

रेलवे स्कूलों में शिक्षकों के वेतनक्रम

†**९०९. श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे प्राइमरी स्कूलों में काम करने वाले ग्रेजुएट अध्यापकों का वेतनक्रम क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** रेलवे प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिये ६८-४-१२० दक्षतावरोध-५-१७० रुपये का वेतनक्रम निर्धारित किया है और उन के लिये न्यूनतम अर्हता 'प्रशिक्षित मैट्रिक' है । ग्रेजुएट शिक्षकों के लिये कोई अलग वेतनक्रम नहीं है ।

पुरानी दिल्ली में इमारत का गिरना

९१०. श्री मोहन स्वरूप : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३१ जुलाई, १९५७ की रात को पुरानी दिल्ली में हैदरकुली हवेली के एक भाग के गिर जाने से चार आदमी मर गये व लगभग १० व्यक्ति घायल हुए ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं, जिनका किसी भी समय गिरने का भय है ; और

(ग) क्या सरकार का जन जीवन की सुरक्षा के लिये किसी समिति की नियुक्ति करने का विचार है जो इन जीर्ण मकानों की स्थिति का पता लगाने का प्रयत्न करे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां । चार आदमी मरे और कुछ व्यक्ति घायल हुए ।

(ख) दिल्ली नगरपालिका ने १५ जून, १९५७ से ६० अहातों की स्थिति खतरनाक घोषित की है । इनमें ५८ अब तक गिराये जा चुके हैं और शेष दो के मामले विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) गन्दी बस्ती (सुधार और सफाई) अधिनियम १९५६ के अंतगत "क्षेम प्राधिकरण" खतरनाक इमारतों को गिराने का आदेश देने के पर्याप्त अधिकार हैं, अतः इस कार्य के लिये समिति नियुक्त करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई

९११. श्री मोहन स्वरूप : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली के मोतियाखान और झण्डेवालान मोहल्लों में लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में, जो कि मनुष्यों के रहने के सर्वथा अयोग्य हैं, रहते हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इन बस्तियों के निम्न स्तर पर स्थित होने के कारण वर्षा ऋतु में आम तौर पर इन बस्तियों में पानी भर जाता है, जिससे यहां के निवासियों को आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है ;

(ग) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इन बस्तियों में हर समय गन्दगी पड़ी रहती है तथा उसकी सफाई का कोई भी समुचित प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) ऐसी बात नहीं है । दिल्ली के तमाम भागों से गन्दगी हटाने के लिये दिल्ली नगरपालिका का समुचित प्रबन्ध रहता है । गन्दी बस्तियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है । वर्षा के के दिनों में जो पानी जमा हो जाता है उसे पंपों द्वारा निकाल लेते हैं ।

(घ) इन बस्तियों के विकास के लिये दिल्ली सुधार प्रन्यास कदम उठा रहा है ।

विकास खण्डों में मंत्रणा समितियां[४०]

†**९१२. श्री दशरथ दब** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के कितने विकास खण्डों तथा सामुदायिक परियोजनाओं में वहां के काम में सरकार की सहायता करने के लिये मंत्रणा समितियां हैं ; और

(ख) उनमें से कितनी मंत्रणा समितियों में लोक सभा और त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है ?

†**सामुदायिक विकास योजना मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) चार ।

(ख) कोई भी नहीं । वर्तमान समितियां प्रादेशिक परिषद् के निर्वाचन से पहले ही बन चुकी थीं । तथापि, उनमें परिषद के सदस्यों को भी सम्मिलित करने की दृष्टि से उन्हें फिर से बनाया जा रहा है । लोक सभा के किसी भी सदस्य को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, क्योंकि कोई भी सदस्य वर्तमान खण्डों के क्षेत्रों में नहीं रह रहा है ।

रेलों में 'जर्नी मैनों' का संवरण[४१]

†**९१३. श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लोक सेवा आयोग, कलकत्ता ने मार्च, अप्रैल या मई, १९५७ के महीने में 'जर्नी मैन एलैक्ट्रीकल' के लिये कुछ एक रिक्त स्थानों के बारे में सूचना प्रकाशित की थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[४०]Advisory Committee in Development blaks.

[४१]Selection of journey men in Railway

(ख) यदि हां, तो कितने स्थानों के लिये अधिसूचना दी गयी थी और उनके लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ग) कितने अभ्यर्थियों को इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया था ; और

(घ) इन्टरव्यू में कितने व्यक्तियों को चुना गया था ।

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । अप्रैल, १९५७ में ।

(ख) १४० आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जबकि कुल रिक्त स्थान ३२ थे ।

(ग) ६४ ।

(घ) १३ ।

इन्दौर–उज्जैन एक्सप्रेस रेलगाड़ी

९१४. श्री क० भे० मालवीय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन के समक्ष इन्दौर से अजमेर तक एक्सप्रेस सवारी गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या रेलवे प्रशासन उक्त एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के लिये शीघ्र निर्णय करना चाहती है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). अतिरिक्त गाड़ी चलाने के लिये यातायात काफी नहीं है। लेकिन, कुछ सेक्शनों में जो भीड़ रहती है उसे दूर करने के लिये, अजमेर और खंडवा के बीच चलने वाली ४२७ अप/४२८ डाउन और ४४७ अप/४४८ डाउन गाड़ियों में जल्द डिब्बों की तादाद बढ़ाने का विचार है ।

कृषि–ऋण

†**९१५. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २८ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २५९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर प्रशासन ने १९५६–५७ के वर्ष के लिये कृषि ऋण देने के बारे में आवश्यक औपचारिकतायें कर ली थीं और क्या मंजूर किये गये ऋण का उपयोग किया गया था ; और

(ख) १९५६–५७ में कृषि ऋणों के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और काश्तकारों को ऋण के रूप में कुल कितनी राशि दी गयी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) १९५६–५७ में मनीपुर राज्य सरकार को कोई भी दीर्घकालीन या मध्य-कालीन ऋण नहीं दिया गया था। १९५५–५६ के लिये इस प्रकार का जो ऋण मंजूर किया गया था, वह व्यपगत हो गया था, क्योंकि सरकार उस वर्ष आवश्यक औपचारिकतायें पूरी न कर सकी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर पहाड़ी क्षत्रों में चलते फिरते औषधालय[४२]

†९१६. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री ११ दिसम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में मनीपुर पहाड़ी क्षेत्रों के चलते फिरते औषधालय कितने गांवों में गये थे; और

(ख) गांवों का दौरा करते समय वे अपने साथ औषधियां तथा अन्य उपकरण वहां तक कैसे ले जाते हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९५६–५७ में लचते फिरते औषधालयों में मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्र के ३३३ ग्रामों का दौरा किया था ।

(ख) जहां तो मोटर गाड़ियां होती हैं वहां उन गाड़ियों के द्वारा और जहां नहीं होती वहां मजदूरों द्वारा ।

नांगल मुकेरियां रेल सम्पर्क

†९१७. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में नांगल को मुकेरियां से मिलाने वाली एक रेलवे लाइन बनाने के बारे में कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कैसी लाइन बनाने की प्रस्थापना है ; और

(घ) उस प्रस्थापना की कार्यान्विति में कितना समय लग जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रेलवे सुरक्षा बल

†९१८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के रेलवे सुरक्षा दल के १९५६–५७ के कार्य के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन हाल ही में रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातों के बारे में ब्योरे क्या हैं; और

(ग) क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[४२]Mobile Dispensary.

रेलवे प्रशिक्षण स्कूलों में हिन्दी

९१९. स्वामी रामानन्द शास्त्री : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों वाले रेलवे के प्रशिक्षण स्कूलों में रेलवे के नये कर्मचारियों को हिन्दी सिखलाने के लिये अस्थायी तौर पर नियुक्त किये गये शिक्षक, ऐसे प्रशिक्षार्थियों को, जो स्कूल में तीन महीने, छः महीने, नौ महीने या उससे अधिक अवधि तक पढ़ते हैं, कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं ;

(ख) क्या सब रेलवे प्रशिक्षण स्कूलों में उक्त अवधि के लिये पाठ्यक्रम एक सा ही है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ;

(घ) इन प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण पूरा करने से पहले हिन्दी की कौन सी साधारण परीक्षा पास करनी पड़ती है, उस परीक्षा का स्तर क्या है और उसका संचालन कौन करता है ;

(ङ) क्या इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षार्थी की नौकरी पर भी कोई असर पड़ता है ; और

(च) यदि हां, तो क्या ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (घ). जिन प्रशिक्षार्थियों की ट्रेनिंग की अवधि एक महीने से कम होती है, उनके अलावा बाकी सब प्रशिक्षार्थियों को रेलवे ट्रेनिंग स्कूलों में ट्रेनिंग पूरी करने से पहले हिन्दी की एक परीक्षा देनी होती है। अलग-अलग श्रेणी के प्रशिक्षार्थियों के लिये हिन्दी-परीक्षा का जो स्तर रखा गया है वह इस प्रकार है :—

(१) जिन प्रशिक्षार्थियों की ट्रेनिंग की अवधि तीन महीने तक है, उन्हें देवनागरी अक्षरमाला का बोध और हिन्दी की पहली पुस्तक पढ़ने की योग्यता होनी चाहिये ।

(२) जिन प्रशिक्षार्थियों की ट्रेनिंग की अवधि छः महीने तक है, उन्हें हिन्दी का प्रारम्भिक ज्ञान और हिन्दी के आसान और सरल वाक्य पढ़ने की योग्यता होनी चाहिये ।

(३) जिन प्रशिक्षार्थियों की ट्रेनिंग की अवधि छः महीने से अधिक है, उन्हें 'प्रबोध', हिन्दी-परीक्षा, पास करनी होगी ।

(१) और (२) में जो परीक्षाएं बतायी गयी हैं वे स्वयं ट्रेनिंग स्कूलों द्वारा ली जाती हैं । इन दोनों परीक्षाओं के लिये कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ङ) और (च). यदि कोई प्रशिक्षार्थी दूसरे विषयों में पास हो लेकिन सम्बन्धित हिन्दी-परीक्षा में फेल हो जाये, तो उसे रेलवे की नौकरी में आने से रोका नहीं जाता । लेकिन ऐसे कर्मचारियों को ट्रेनिंग स्कूल छोड़ने के बाद एक साल के अन्दर वही हिन्दी परीक्षा पास करनी होती है । यदि वे इस परीक्षा में भी फेल हो जायें, तो उन्हें दूसरे साल वही परीक्षा पास करने का मौका दिया जाता है । और यदि, वे फिर फेल हो जायें तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है । जो प्रशिक्षार्थी मुख्य विषय के रूप में हिन्दी लेकर मैट्रीकुलेशन या उसके बराबर की कोई दूसरी परीक्षा पास हों, उनके लिये ट्रेनिंग स्कूल में हिन्दी की परीक्षा अनिवार्य नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्नों का संग्रह

†९२०. **श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में केन्द्रीय गोदामों में कितना खाद्यान्न खराब हो गया या उपभोग के योग्य नहीं रहा ;

(ख) उसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस प्रकार से नष्ट हुए खाद्यान्न का मूल्य कितना था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) १९५६ के दत्री वर्ष में १६८ टन ।

(ख) नमी और कुछ अन्य कारण ।

(ग) ७४,३५४ रुपये ।

(नष्ट हो जाने वाला या उपभोग के काबिल न रहा खाद्यान्न केन्द्रीय स्टोरों में संचित कुल खाद्यान्न का ०.०१ प्रति शत है। खराब हो जाने वाला या उपभोग के काबिल न रहा अन्न बिल्कुल ही बेकार नहीं जाने दिया जाता। सामान्यतया हम उसे स्थिति के अनुसार औद्योगिक उपयोग के लिये या पशुओं के चारे के रूप में बेच डालते हैं और इस प्रकार से उसकी कुछ कीमत प्राप्त हो जाती है ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

†९२१. **श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १२ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली कम्पनियों को किस प्रकार सुविधायें दी जा रही हैं ; और

(ख) परम्परागत मछेरों को सामान्य रूप से कितनी सहायता दी गयी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली कम्पनियों को जो जी० एम० एफ० नियमों के अधीन राज्य सरकारों के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है, उन्हें मछली पकड़ने के स्थानों, मछली पकड़ने के यंत्र की उपयुक्ता और पकड़ने के सुधरे हुए उपायों, मछलियों को डिब्बों में बन्द करने और स्टोर करने आदि के सम्बन्ध में जानकारी देकर प्रविधिक सहायता दी जा रही है। गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के केन्द्रीय केन्द्र, केन्द्रीय समुद्रीय मीन क्षेत्र केन्द्र, तथा औद्योगिकिय केन्द्र के अनुसाधनों के परिणाम भी उनके फायदे के लिये उपलब्ध हैं।

(ख) परम्परागत मछेरों को राज्य सरकारों के द्वारा किश्तियां, इंजन, मछली पकड़ने के यंत्र तथा अन्य उपकरण खरीदने के लिये और मछेरों की सहकारी संस्थाओं संघटित करने के लिये मछलियों के परिवहन और उनकी बिक्री के लिये सहायता दी जाती है। मछेरों को यंत्र चालित नावों के प्रयोग में और प्रशिक्षण केन्द्रों में मछली पकड़ने के सुधरे हुए उपायों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है । इस प्रशिक्षण पर आने वाला खर्च केन्द्र और राज्य बराबर बराबर करते हैं । विदेशी सहायता कार्यक्रम के अधीन प्रविधिक सहायता भी दी जाती है ।

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारियों के ओवर टाइम भत्तों की शेष राशि

†९२२. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या रेलव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के निम्न वर्ग के कर्मचारियों को ओवर टाइम के भत्तों की शेष राशि अभी तक नहीं दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह शेष राशि का प्रश्न सरकार के पास काफी समय से पड़ा हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस शेष राशि के न देने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) और (ख) जी हां ।

(ग) कर्मचारियों ने देर से दावे पेश किये और उनसे सम्बन्धित रिकार्ड जल्द मिल न सके । पिछले दावों का निबटारा करने के लिये विशेष कर्मचारी लगा दिये गये हैं ।

गन्ना

९२३. **श्री खुशवक्त राय:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में गत मई, जून और जुलाई के महीनों में कितना गन्ना पेरा गया ;

(ख) २५ मई से लेकर जुलाई, १९५७ में गन्ने पेरने के आखिर दिन तक प्रत्येक मिल में प्रतिदिन चीनी की प्राप्ति की दर क्या रही ; और

(ग) ८ मई, १९५७ से लेकर गन्ने पेरने के आखिर दिन तक प्रत्येक मिल में किसानों को गन्ने का क्या मूल्य दिया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में मई से जुलाई, १९५७ तक निम्नलिखित परिमाण में गन्ना पेरा गया है :

	(लाख टन में)
मई	९.८४
जून	३.६६
जुलाई	०.२०

(ख) प्रतिदिन चीनी की प्राप्ति का परिमाण उपलब्ध नहीं है । एक विवरण जिसमें २५ मई, १९५७ के पश्चात् चलने वाले प्रत्येक मिल में चीनी की साप्ताहिक प्राप्ति का उल्लेख किया गया है पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०६]**

(ग) पूछी हुई सूचना उपलब्ध नहीं है । गन्ने की दी जाने वाली कीमत, उन मिलों में जिनकी गन्ने की कीमत चीनी की ८ मई के पश्चात प्राप्ति के साथ सम्बन्धित करने की अनुमति मिली हुई है, साथ में नत्थी किये गये विवरण के अनुसार नियमित करनी पड़ी है ।

---

†मूल अग्रजी में

त्रिपुरा में एल० एम० एफ० डाक्टर

†९२४. **श्री बागंशी ठाकुर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय त्रिपुरा प्रशासन में कितने एल० एम० एफ० डाक्टर सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** इस समय त्रिपुरा प्रशासन में ६० एल० एम० एफ० डाक्टर सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं ।

भारतीय सुपारी समिति

†९२५. **श्री वारियर:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सुपारी समिति के हैड क्वार्टर को कोजिकोडे से मैसूर स्थान्तरित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्तापना है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) जी, नहीं । हां, भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति द्वारा समिति के हैडक्वार्टर को केरल या मैसूर राज्य में किसी उचित स्थान पर स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उपसमिति स्थापित की गयी है, जो कि स्थान का निर्णय करते समय इस बात को ध्यान में रखेगी कि राज्य सरकारें समिति द्वारा शीघ्र काम करने में कितनी अधिक सुविधाएं दे सकेंगी । उपसमिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

व्यय-कर विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उप:स्थापित किया गया

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** मैं व्यय-कर विधेयक १९५७ संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उप:स्थापित करता हूं ।

बन-कर विधेयक और व्यय-कर विधेयक

प्रवर समिति क समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा गया

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं व्यय-कर विधेयक १९५७ और धन कर विधेयक १९५७ के बारे में प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस–२२७।५७]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

लामाकिन क्षेत्र के गिंग ग्राम में विमान दुर्घटना

†**श्री हेम बरुआ :** (गौहाटी) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

"१९ अगस्त १९५७ को लामाकिन क्षेत्र के गिंग ग्राम में हुई विमान दुर्घटना जिसके फलस्वरूप ९ व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।"

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर): : मैं सभा पटल पर एक वक्तव्य रखता हूं । आप की अनुमति से इस वक्तव्य को मैं संक्षेप में यहां बताता हूं ।

मुझे यह बताते हुए दुख होता है कि अनुसूचित चालक, इन्डामेर कम्पनी का एक डकोटा विमान वी०टी–ए० आर० एच० जो उत्तरी पूर्वी सीमान्त क्षेत्र में खाद्यान्न गिराने का कार्य कर रहा था, २० अगस्त, १९५७ के दिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया । विमान में बैठे हुए आठों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और विमान पूर्णत: जल गया ।

विमान ने इसके पूर्व दो उड़ाने की थीं यह दुर्घटना तीसरी उड़ान के समय हुई । इस समय यह विमान लामाकिन के खाद्यान्न गिराने के क्षेत्र से ३ या ४ मील पर था । अगले दिन वहां एक हेलीकोप्टर भेजा गया जो बड़ी कठिनाई से २२ तारीख को वहां पंहुचा ।

दुर्घटना के मुख्य निरीक्षक वहां गये । उन्होंने उस स्थान पर पंहुचने का प्रयत्न किया लेकिन हेलीकोप्टर का कैप्टन वहां जाने को सहमत नहीं हुआ क्योंकि उसने कहा यह स्थान बहुत भयानक है । उस क्षेत्र के ऊपर उड़ान करने का भी प्रयत्न किया गया लेकिन मौसम की खराबी के कारण वह भी सफल नहीं हुआ । मुख्य निरीक्षक यथासंभव शीघ्र उस स्थान में पहुंचने का प्रयत्न करेंगे । क्योंकि इस समय वहां पैदल ही जाया जा सकता है और वहां पंहुचने में १५ दिन का समय लगेगा । तथापि हम इस बात की जांच कर रहेहैं कि क्या मुख्य निरीक्षक को उस स्थान के सन्निकट पंहुचाने में हेलीकोप्टर का उपयोग किया जा सकता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : आठ व्यक्तियों में से कितने विमान कर्मचारी थे और कितने यात्री थे ?

†**श्री हुमायूंकबीर** : तीन व्यक्ति विमान कर्मचारी थे और पांच व्यक्ति माल को लाने ले जाने तथा उतारने वाले थे । उनमें कोई यात्री नहीं था ।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य सभा-पटल पर रखा गया वक्तव्य

मुझे यह बताते हुए दुख होता है कि अननुसूचित चालक इन्डामेर कम्पनी का एक डकोटा विमान वी० टी० ए० आर० एच० जो उत्तरी पूर्वी सीमान्त क्षेत्र में खाद्यान्न गिराने का काम कर रहा था २० अगस्त १९५७ के दिन दुर्घटना ग्रस्त हो गया विमान में बैठे हुए आठों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और विमान पूरी तरह जल गया ।

(२) डकोटा पहिले २० तारीख को मोहनवाड़ी से ०६.०९ बजे सामग्री गिराने के लिये आगोनता लिये उड़ा । सामग्री गिराने के पश्चात् यह विमान ०७.५४ बजे जोरहाट हवाई अड्डे पर पहुंचा । इसमें पुन: माल भरा गया और वह तोवांग के खाद्यान्न गिराने के क्षेत्र में पंहुचा । वहां से वह जोरहाट ११.४५ बजे लौटा । तब वह पुन: लेमौकग में सामग्री गिराने निमित्त उड़ा । पहिली दोनों उड़ानों की तरह विमान में चालक के रूप में कैप्टन एच० एस० सदरंगानी थे, श्री एच० एम० चन्दी, सहायक चालक और श्री एन० पी० ठाकुर रेडियो अधिकारी के रूप में थे । इनके अलावा पांच व्यक्ति सामान गिराने के लिये थे । उनके नाम सर्वश्री चैत सिंह, गणेश, देवी, देवानन्द और

†मूल अंग्रेजी में

केशर थे। २०५ इम्पीरियल गैलन पैट्रोल को जोड़ कर उस विमान का कुल वजन २६९५५ पौंड था। जोरहाट से लेमेकिन को उड़ते समय १२.१९ बजे विमान खाद्यान्न गिराने के पश्चात् मोहनवाड़ी को लौटने वाला था।

(३) मोहनवाड़ी यातायात नियंत्रण कार्यालय ने विमान से १२.२६ बजे उड़ान लेने के सम्बन्ध में संदेश प्राप्त किया। १२.३५ को विमान ने पुनः मोहनवाड़ी से सम्पर्क स्थापित किया और कहा कि वे २ घंटे के अन्दर लौटेंगे। तदन्तर विमान से कोई सम्पर्क स्थापित नहीं हुआ।

(४) १६.२५ बजे मोहनवाड़ी विमान यातायात नियंत्रण कार्यालय को, उत्तरी पूर्वी सीमान्त अभिकरण के अधिकारियों का यह संदेश प्राप्त हुआ कि डेढ़ बजे लेमेकिन से लगभग ४ मील पश्चिम में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।

(५) मैसर्स इन्डामेर कम्पनी ने २१ अगस्त से सहायता कार्य आरम्भ किया। २१ अगस्त को १२-०० बजे एक डकोटा विमान कलकत्ता से हेलीकोप्टर लेकर दापोरिजो पहुंचाहे लीकोप्टर के पुर्जों को जोड़ा गया और वह २२ अगस्त की प्रात को शव लाने के लिये दुर्घटना स्थल की ओर उड़ा। केवल कैप्टन सदरंगानी का शव पहिचाना जा सका और उसे मोहनवाड़ी लाया गया।

(६) दुर्घटना का मुख्य निरीक्षक जिसे दुर्घटनाओं का निरीक्षण करने के लिये नियुक्त किया गया था २२ अगस्त को मोहनवाड़ी पहुंचा। वे अब तक दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाये क्योंकि हेलीकोप्टर की उड़ान भी वहां तक के लिये भयानक समझी गई। मौसम खराब होने के कारण वे दुर्घटना स्थल के ऊपर भी उड़ान नहीं कर सके। यथा शीघ्र इस स्थान का निरीक्षण किया जायेगा तथापि दुर्गम स्थिति एवं अनिश्चित मौसम के कारण इसमें कुछ समय लगेगा।

(७) मुख्य निरीक्षक के द्वारा एकत्र जानकारी के अनुसार यह विमान लेमेकिन के सामग्री गिराने के क्षेत्र से ३ या ४ मील दूरी पर दक्षिण-पूर्व में एक ढालू स्थान पर गिरा है। यह ज्ञात हुआ है कि उस दिन सामग्री नहीं गिराई गई। उन्होंने यह भी बताया है कि दुर्घटनास्थल की ऊंचाई लगभग २००० फीट का ढालू खंड है जिसके दोनों ओर १५००० फीट से १६००० फीट के ऊंचे पर्वत हैं। इस स्थान की सीधी दूरी दापोरिजो से ५४ मील है तथा उपलब्ध जानकारी के अनुसार वहां पैदल के अलावा किसी अन्य प्रकार से नहीं पंहुचा जा सकता है।

वित्त संख्या (२) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब वित्त (संख्या २) विधेयक पर चर्चा करेगी। इस विधेयक के लिये १२ घंटे का समय निश्चित हुआ है। इस पर सामान्य चर्चा के लिये ६ घंटे, खंडवार चर्चा के लिये ५ घंटे, तथा तृतीय वाचन के लिये एक घंटे का समय निश्चित किया जाता है।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** (बरहामपुर): इस विधेयक पर विचार करने के लिये राष्ट्रपति अपनी सिफारिश कर चुके हैं लेकिन वित्त मंत्री इस पर कुछ संशोधन रखना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन पर विधेयक के भाग के रूप में विचार होगा या साधारण संशोधनों के रूप में? इनके लिये नियम ११७ के अनुसार राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता तो होगी ही।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि संशोधन द्वारा कर बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है तो राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता पड़ेगी। यह सब चीजें उचित समय पर ही देखने की हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नौशीर भरुचा** (पूर्व खानदेश) : कुछ संशोधन आयकर की दर से सम्बन्ध रखते हैं उनके द्वारा राज्यों को प्राप्त होने वाले आयकर के भाग में परिवर्तन न होगा। उन पर भी राष्ट्रपति की सिफारिश होना अनिवार्य है।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : इन बातों पर संशोधन के प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् विचार करना चाहिये। अभी तो मैंने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा कहना यह है कि यदि संशोधन के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश का होना अनिवार्य हो, तो सभा उस संशोधन पर विचार करने से इन्कार कर सकती है। इस आशा पर कि संशोधन स्वीकार होगा और सिफारिश आ जायेगी माननीय सदस्य उन संशोधनों पर अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि इन पर उसी समय विचार किया जाना चाहिये। जब तक ये संशोधन मेरे समक्ष न हों मैं इन पर निर्णय नहीं कर सकता। इन पर संशोधन प्रस्तुत करते समय ही विचार किया जायेगा।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं *कि वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।

यह विधेयक तीन महीनों से सभा के समक्ष है विधेयक के उपबन्धों पर सभा तथा सभा के बाहर भी पर्याप्त अलोचना हुई है। सामान्यतः विधेयक की आलोचना व्यक्तिगत आय-कर की छूट की सीमा को कम करने तथा आय के ऊंचे खंडों में आय-कर घटाने के कारण हुई। किसी विशेष एकांगी दृष्टिकोण के समर्थन में तर्क देन सरल होता है तथापि हमें सामान्त कर पद्धति पर ध्यान देना होगा तथा करारोपण प्रस्तावों में सन्निहित उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लियें भरसक प्रयत्न करना होगा।

मैंने अपने बजट भाषण के दौरान में भी कहा कि हमारी करारोपण नीति चार महत्वपूर्ण सिद्धांतों के अनुसार बनाई जानी चाहिये। मैं उन सिद्धांतों को पुनः दुहराऊंगा वे इस प्रकार हैं।

(१) उनसे सरकारी आय में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिये।

(२) उनसे अधिक आय पैदा करने व अधिक बचत के लिये प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

(३) उनसे उपयोग पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये जिससे मूल्य वृद्धि पर रोक लगे और विनियोग के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकें।

(४) उनसे कर व्यवस्था में इस प्रकार के परिवर्तन हों कि करों की आय उत्तरोत्तर बढ़ी हुई आय पर आधारित रहे और अर्थव्यवस्था का सुयोजित विकास हो और उन सामाजिक लक्ष्यों पर भी ध्यान दिया जाय जो सरकार ने स्वीकार किये हैं।

मैं ने सभा तथा जनता में हुई आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए, सभा के समक्ष रखे जाने वाल विधेयक के उपबन्धों पर पुनः विचार किया है। मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि विधेयक क उपबन्धों पर अनिवार्य पहलुओं की दृष्टि से कहीं भी असंतुलन या गम्भीर त्रुटि नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश स प्रस्तुत।

मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये तथा सदस्यों को बजट पत्रों के साथ परिचालित किये ज्ञापन में इन उपबन्धों की व्याख्या की गई है । एक अन्य टिप्पण, जिनमें विभिन्न कर प्रस्तावों की अधिक विस्तार से व्याख्या की गई है सदस्यों को परिचालित किया गया है । अतः मैं विधेयक के विभिन्न उपबन्धों पर अधिक विस्तार में नहीं बोलूंगा । मैं अधिक महत्व-पूर्ण संशोधनों तक ही अपना भाषण सीमित रखूंगा जिन्हें विधेयक के मूल उपबन्धों में शामिल करना बहुत आवश्यक समझा गया है ।

जहां तक प्रत्यक्ष कर का सम्बन्ध है केवल उन प्रस्तावों को छोड़ कर जिनका उल्लेख मैंने सामान्य चर्चा के अन्त में किया था, मैं व्यक्तिगत कर सम्बन्धी मूल प्रस्तावों पर अग्रेतर परिवर्तन नहीं करना चाहता हूं । मैंने सभा को एक ऐसे संशोधन की सूचना दी थी जिसके अनुसार ३०० रुपये प्रति बालक के हिसाब से, अधिकतम ६०० रुपये तक, बालक भत्ता, विवाह भत्ते में जोड़ा जायेगा । इसका यह तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति तब तक आयकर नहीं देगा, जब तक कि उसकी आय ३६०० रुपये से अधिक न हो । ३६०० रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों को मूल प्रस्तावों में उल्लिखित करों से कम कर देना होगा । यह बालक भत्ता भी २०,००० से अधिक आय वाले व्यक्ति को नहीं मिलेगा क्योंकि इस स्तर पर ये भत्ते अनावश्यक हैं । वस्तुतः मैं २०,००० से अधिक आय वाले लोगों को विवाह भत्ते की छूट भी नहीं देना चाहता हूं ।

प्रस्तावित व्यक्ति गत कर की दरों पर, किसी व्यक्ति की ७५०० रुपये की आय तक और हिन्दू संयुक्त परिवार की १५००० रुपये की आय तक कोई अधिभार नहीं लगेगा । इनसे अधिक आय पर ही अधिभार लगेगा । इस सम्बन्ध में भी यह आलोचना की गई है कि अंशधारियों को इस कारण असुविधा होगी कि वे उन कम्पनियों के धन कर को वापस लेने के अधिकारी नहीं होंगे जहां उनके अंश हैं । यह आंशका भी प्रकट की गई है कि कम्पनियों द्वारा धनकर के भुगतान से छोटे अंशधारियों के अंशों की आय में कमी होगी और इन से अंशों की कीमतें गिरेंगी । इस वर्ग के करदाताओं के अंशों में होने वाली कमी को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है । मैं अनुभव करता हूं कि इससे इन व्यक्तियों को कम्पनियों की साधारण पूंजी पर विनियोग करने में प्रोत्साहन मिलेगा । इसलिये मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि अधिभार की छट की सामान्य सीमा को साधारण अंशों से प्राप्त लाभांशों की राशि के बराबर, जिसकी अधिकतम सीमा १५०० रुपये हो, तक बढ़ा दिया जाय ।

मैं ने इस विधेयक में व्यक्तिगत कर की दरों की एक नई रूप रेखा प्रस्तुत की है । इसमें एक आधारभूत दरों की अनुसूची है जो सभी आयों तथा अधिभार के तीन मदों पर लागू होती है । एक मद अनुपार्जित आय पर अधिभार का है । वस्तुतः यह नाम सरल था अतः इसी का उपयोग किया गया । इसे केन्द्रीय अधिभार के रूप में लगाने का कोई इरादा नहीं था । यह कहा जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से अधिभार, केन्द्र के वित्त अधिनियमों में आवर्ती रूप से लगाया जा रहा है । सामान्य दरों को मूल भूतदरों और अनुपार्जित आय के अधिभार में विभाजित करने के फलस्वरूप विभाजन पुंज के लिये उपलब्ध करों में कमी होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

हमारा अभिप्राय यह नहीं है किन्तु इस तर्क में सत्यता है। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि अनुपार्जित आय के अधिभार के सम्बन्ध में, यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि यह विभाजन पुंज का एक अंग होगा। इस प्रश्न के उठाये जाने पर मेरे सलाहकारों ने यह राय दी कि इस प्रकार की व्याख्या की जा सकती है। मेरा अभिप्राय यह है कि केन्द्र ५ प्रतिशत सामान्य अधिभार तथा अन्य पांच प्रतिशत, अतिरिक्त अधिभार से अधिक न लेवे। अनुपार्जित आय पर लिये जाने वाले इस अधिभार के कारण राज्यों को उस धनराशि से वंचित नहीं किया जायेगा जो उन्हें इस धन राशि के विभाजन पुंज में जाने से प्राप्त होती। अवशेष अधिभार केन्द्र को मिलेगा।

मूल विधेयक में २३ कम्पनियों के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं उनका आशय यह है कि औद्योगिक कम्पनियां अपने लाभ को अपने व्यापार के विकास तथा संधारण में व्यय कर सकें। यह बात वर्तमान विधेयक में संभव नहीं थी। इस सम्बन्ध में मैं मूल प्रस्तावों पर परिवर्तन नहीं करना चाहता हूं तथापि मैं धारा २३ का इस प्रकार संशोधन करना चाहता हूं कि यह उन सच्ची सार्वजनिक कम्पनियों पर लागू न हो जो धारा २३ क के अन्तर्गत आती हैं। ऐसी प्रस्थापना है कि सरकार अथवा जीवन बीमा निगम जैसी संविहित संस्थाओं अथवा ऐसी कम्पनियों के, जिनमें जनता के पर्याप्त अंश हैं अंशों को जनता के अंश समझा जाय। यह निश्चय करने में भी कि क्या ६ व्यक्तियों से कम व्यक्ति अधिकांश अंशों के मालिक हैं या नहीं, सरकार, संविहित निगमों अथवा ऐसी कम्पनियों पर, जिनमें जनता के पर्याप्त अंश हैं, विचार नहीं, किया जायेगा।

हमें आशा है कि भविष्य में राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की समन्याय पूंजी के अंशों की उन अभिकरणों द्वारा सहायता की जायेगी जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है और केवल इस कारण कि वह समवाय अंशधारी हैं उनका स्वरूप नहीं बदलना चाहिए क्योंकि हो सकता है सरकार ३७०० लाख का तथा निगम अपने अन्तर्गत के सभी करदाताओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है। अतः इस संशोधन द्वारा हम इस त्रुटि को दूर करेंगे।

इस समय हम विदेशों से जो ऋण लेते हैं और जो धन इस प्रकार भारत में आता है उस पर आय-कर और प्रतिकर लिया जाता है। सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी बाहर से ऋण ले सके इस कारण इस विधेयक में यह उपबन्ध किया गया था कि ऐसी राशियों को कर से मुक्त कर दिया जाये। उस के बाद, हमने इस संबंध में आगे भी सोचा। अपनी वर्तमान विदेशी विनिमय की स्थिति में विदेशों से धन लेकर हम ने अपने उद्योगों को सहायता करना आवश्यक समझता हूं। इस संबंध में घोषणा मैं पहले एक प्रेस विज्ञप्ति में कर चुका हूं। इस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए मैं एक संशोधन पेश करना चाहता हूं जिसके अनुसार विदेशों की अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं से यदि भारतीय औद्योगिक उपक्रम ऋण लें तो उन ऋणों को कर-मुक्त रखा जाये। यदि कोई भारतीय औद्योगिक उपक्रम किसी विदेशी अकर्मण्य वित्तदाता से पूंजीगत मान खरीदने के लिए ऋण लेता है और इस प्रकार ऋण लेने का ठेका सम्पन्न होने के पूर्व सरकार का अनुमोदन ले लिया जाता है तो उस ऋण को भी कर मुक्त करने का भी प्रस्ताव है।

मूल उपबन्धों के कुछ और भी संशोधन हैं जो प्रक्रियात्मक मामलों से सम्बन्धित है या किन्हीं बातों का स्पष्टीकरण करते हैं वे संगत खण्डों पर विचार करते समय स्पष्ट हो जायेंगे।

अब मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के प्रश्न को लेता हूं । सभा को ध्यान होगा कि आय व्ययक की सामान्य चर्चा के समय बहुमत सदस्यों द्वारा असहमति प्रकट किये जाने पर मैं ने घोषणा की थी कि चाय और काफी पर वित्त विधेयक में जो उत्पादन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है उसे मैं वापस ले लूंगा । इस निश्चय को तुरन्त एक मुक्ति अधिसूचना निकाल कर कार्यान्वित किया गया था । अब मूल सुझावों को निकाल देने का विचार है और इसके लिए मैं अलग से एक संशोधन पेश करूंगा । साथ ही मैं ने सभा को यह भी आश्वासन दिया था कि मैं इस बात पर भी विचार करूंगा कि क्या दियासलाई बनाने के बड़े उद्योगों का मुकाबिला करने के लिए दियासलाई के छोटे छोटे उद्योगों को कुछ अग्रेतर सहायता देने की भी आवश्यकता है । इस प्रकार विचार करने के बाद हम दियासलाई उद्योग की इन दो श्रेणियों को काफी सहायता दे सके । इस संबंध में भी इस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए एक मुक्ति अधिसूचना निकाली गयी थी । विधेयक में इन संशोधनों को सम्मिलित करने के लिए हम अलग से एक संशोधन पेश करेंगे । इस प्रकार का एक संशोधन मिट्टी के तेल पर लगे शुल्क की, आय व्ययक के पूर्व की, दर को फिर से उतना ही कर देने के लिए भी पेश किया जायेगा ।

तम्बाकू की बात लीजिये । मैं तम्बाकू के उत्पादन शुल्क के संबंध में, जिसके संबंध में लोगों को काफी गलतफहमी है, विस्तारपूर्वक जिक्र करूंगा । इस विधेयक में दो परिवर्तन करने के प्रस्ताव हैं । एक बीड़ी में आने वाली तम्बाकू पर शुल्क १४ आने प्रति पौण्ड से बढ़ा कर १ रुपया प्रति पौण्ड कर दिया जाय और अन्य प्रकार की तबाकू पर ६ आना प्रति पौण्ड से बढ़ा कर ८ आना प्रति पौण्ड कर दिया जाये । दूसरा, तम्बाकू के प्रशुल्क वर्गीकरण में भी परिवर्तन किया जायेगा । जैसा कि मैं ने अपने आय व्ययक भाषण में बताया था कि अभी तक प्रशुल्क तम्बाकू की उपयोगिता क्षमता पर आधारित होता था अर्थात् जिस तम्बाकू को उत्पादन शुल्क विभाग तम्बाकू में इस्तेमाल होने लायक समझता था उस पर शुल्क अधिक था और जो तम्बाकू इस काम के लायक नहीं समझा जाता था उस पर शुल्क कम था । श्री रघुरामैया के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गयी उसने यह निश्चय किया कि तम्बाकू पर शुल्क लगाने के लिए उपयोगिता क्षमता को आधार न मान कर तम्बाकू के गुण-प्रकार के आधार पर शुल्क लगाया जाये क्योंकि गुण-प्रकार का आधार एक वस्तुगत आधार होगा जब कि उपयोगिता क्षमता का आधार एक विषय-गत आधार होगा और वह बहुत कुछ उस अधिकारी की इच्छा पर निर्भर रहता है जो तम्बाकू की श्रेणी निर्धारित करता है ।

विधेयक के प्रस्थापित होने के बाद प्रशुल्क वर्गीकरण में किये गये परिवर्तनों की अनेक लोगों ने प्रशंसा की है । मुझे कुछ अभ्यावेदन भी प्राप्त हुये हैं पर वे शिकायतें शुल्क की वृद्धि के संबंध में नहीं हैं बल्कि तम्बाकू के शुल्क की ऊंची दर के संबंध में हैं जिनके आधार पर पुराने 'आधार' के अनुसार कम शुल्क लिया जाता था । यह शिकायतें कुछ मामलों में ठीक भी हैं और उनका कारण भी स्पष्ट है । हमारे देश में पैदा होने वाली तम्दाकू के प्रकार, उनके परिष्करण की विधि तथा उनके उपयोग के कामों में इतनी विभिन्न हैं कि इस वर्गीकरण के बाद भी कुछ ऐसे प्रकार का तम्बाकू रह जाता है जो देखने में इस प्रकार का मालूम होता है कि उन पर अधिक शुल्क लगाया जाये पर उनका उपयोग ऐसे कामों के लिए किया जाता है कि उन पर शुल्क कम लगाया जाये ।

यह कठिनाई देश में पैदा होने वाले तम्बाकू के कुल उत्पादन के १० प्रतिशत से अधिक तम्बाकू के संबंध में नहीं है और मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस कठिनाई

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

को दुर करने के दो उपाय हैं । एक, हमें तम्बाकू पैदा करने वालों को समायोजन करने के लिए समय देना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए, यह घोषणा की जा चुकी है कि ३१ दिसम्बर, १९५७ तक ताप से सुखाई गयी तम्बाकू को छोड़कर अन्य प्रकार की घटिया किस्म की बिना तैयार की गयी चूरे की तम्बाकू पर शुल्क कम दर से लगेगा बशर्ते कि तम्बाकू का वह चूरा १६ मई, १९५७ के पूर्व तैयार किया गया हो । दूसरा, अन्य प्रकार की तम्बाकू के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां हैं उनकी छानबीन की जा रही है और शिकायतों को दुर किया जायेगा । यह निश्चय हो गया है कि उत्तर प्रदेश की कम्पिला तम्बाकू जिसे गुच्छे के रूप में नहीं बल्कि जिसके एक एक पत्ते को अलग अलग सुखाया जाता है और उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की कुट्टी, टिकिया, खंडिया और पकवा तम्बाकू को, जिसकी फसल तभी काट ली जाती है जब उसके पत्ते हरे रहते हैं, कम शुल्क वाली तम्बाकू की श्रेणी में रखा जाये । इसी प्रकार झांसी और उसके आसपास के क्षेत्र में जो हुक्का तम्बाकू पैदा होती है और जिसके समूचे पत्तों को सुखाया जाता है पर शुल्क निर्धारण के लिए जिसका चूरा बना कर पेश किया जाता है उसे भी कम शुल्क की श्रेणी में रखा गया है । मुझे पूर्ण आशा है कि इस प्रकार की अन्य कठिनाइयों का भी हल निकल आयेगा । माननीय सदस्य ध्यान रखें कि यह समस्यायें मूल समस्यायें नहीं हैं बल्कि प्रशुल्क के वर्गीकरण में हमने जो परिवर्तन किये हैं उनसे पैदा हुई है और परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप इन समस्याओं का पैदा होना आवश्यक था ।

अब, मूल रूप में डाक की दरों में जो वृद्धि के प्रस्ताव थे उनकी बात लीजिए । इस विषय पर आय व्ययक की सामान्य चर्चा के समय काफी विचार हुआ था । उसके उत्तर में मैं ने सरकार के इस निर्णय की भी घोषणा कर दी थी कि पोस्टकार्ड तथा पार्सल की दरों में वृद्धि के जो प्रस्ताव हैं उनको वापस ले लिया जायेगा । उसी समय मैं ने यह भी बता दिया था कि उन प्रस्तावों को वापस लेने से राजस्व में जो घाटा होगा उसकी पूर्ति के लिए अन्तर्देशीय पत्र का मूल्य १३ नये पैसे से बढ़ाकर १५ नये पैसे कर दिया जायेगा । साथ ही उनके वजन की मात्रा १ तोला से बढ़ा कर १ १।२ तोला कर दी गयी है । हर १ १।२ तोला अतिरिक्त वजन पर प्रति तोला ६ नये पैसे के बजाय १० नये पैसे लगेंगे । जैसा कि मैं ने आय व्ययक की सामान्य चर्चा के उत्तर में बताया था इसका प्रभाव केवल बड़े बड़े व्यापारियों पर ही पड़ेगा सामान्य जनता पर नहीं पड़ेगा । मैं उचित अवसर पर इस विधेयक के बारे में आवश्यक संशोधन पेश करूंगा ।

नये कराधानों तथा करों में वृद्धि के संबंध में जो परिवर्तन किये जा रहे हैं उनके संबंध में माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं थीं । मैं समझता हूं वह बातें डाक दरों के बारे में थीं । इस बात की सावधानी रखी गयी है कि संवैधानिकता उपबन्धों का पालन न करने के कारण यदि किसी त्रुटि के पैदा होने की संभावना हो तो उसे रोका जाये । मुझे विश्वास है कि हमने जो परिवर्तन किये हैं उनके संबंध में लोक सभा के सचिव ने आवश्यक प्राधिकार प्राप्त कर लिया है । हमारे सामने यह निश्चय करने की कठिनाई है कि यद्यपि यह परिवर्तन मूल विधेयक में किये गये कुछ परिवर्तनों के परिणामस्वरूप हैं, फिर भी क्या हम इन परिवर्तनों को एक नये विधेयक के रूप में पेश करें ? इस बारे में मैं ने परामर्श मांगा और हमें बताया गया कि मूल विधेयक में परिवर्तन किया जा सकता है नया विधेयक पेश करने की आवश्यकता नहीं है । इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक परिवर्तन के लिए समुचित लोगों से अपेक्षित प्राधिकार ले लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ इस प्रस्ताव पर एक संशोधन है कि विधेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाय । पर जिन माननीय सदस्य का यह संशोधन है वह अनुपस्थित हैं अतः उसका सवाल ही नहीं पैदा होता ।

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर) । वित्त मंत्री ने इस समय मूल समस्याओं का उल्लेख नहीं किया क्योंकि उनका उल्लेख वह अपने आय व्ययक भाषण में कर चुके हैं । पर उन्होंने बताया कि इन संशोधनों में भी उन महत्वपूर्ण आधारों को किया गया है जिन्हें उन्होंने अपने आय व्ययक भाषण में बताया था । हमें बताया गया कि यह नये कर मुख्यतः तीन कारणों से लगाये जा रहे हैं । (१) योजना को कार्यान्वित करने के लिए, (२) सम्पत्ति के वितरण की असमानता को कम करने के लिए और (३) व्यय कम करने के लिए । व्यय कम करने की बात को लीजिये । सरकार व्यय घटाने के बजाय अक्सर साधारण जनता के व्यय बढ़ा देती है । साधारण जनता के व्यय को कम करने के लिए वह प्रत्येक साधारण वस्तु पर कर लगा रहे हैं ।

हमें बताया गया है कि पंच वर्षीय योजना की अवधि में हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी है अतः प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई है पर सरकार लगातार साधारण जनता पर कर भी बढ़ाती गयी है अतः वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ते गये हैं । १९४८-४९ में प्रत्यक्ष करारोपण से हमारी आय १८३ करोड़ रुपये थी १९५६-५७ में यह आय १८९ करोड़ रुपये है । समझ में नहीं आता कि आयकर आदि के रूप में लखपतियों से कितनी राशि आई । मेरा खयाल है उनसे कुछ भी नहीं आई । इसके विपरीत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के आंकड़े देखिए । १९४८-४९ में इसकी आय केवल ५१ करोड़ रुपये थी १९५६-५७ में यह १८८ करोड़ हो गयी और इन नये करारोपण प्रस्तावों से ५० करोड़ रुपये और बढ़ जायेगी । यह सारा भार साधारण जनता पर है । हमसे सब कुछ त्याग कर उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा जाता है पर किनके लिए ? एकाधिकारवादियों के लिए । १९४८ से उनको रियायतें दी जा रही हैं । व्यापार लाभ पर से कर कम कर दिया गया ; अवितरित लाभ पर कर कम कर दिया गया ; समवायों के आयकर में भी कमी कर दी गयी; अधिकर में कमी की गई और पूंजी लाभ कर का उन्मूलन कर दिया गया । सरकार ने हमेशा उनकी मदद की पर क्या सरकार ने साधारण जनता के काम में आने वाली किसी वस्तु पर भी कर कम किया है ? मिट्टी के तेल की बात लीजिए । नया जो कर लगाया गया है उसे छोड़ दीजिये पहले १९४८ में इस कर से २० लाख रुपये की आय थी और आज करीब १० करोड़ रुपये की आय है । अब आप देख सकते हैं कि साधारण जनता पर करों की कितनी वृद्धि हुई है । पर, पूंजीपतियों के आय कर की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई । चीनी पर लगे कर से १९४८ में ६ करोड़ की आय थी १९५६ में १८ करोड़ की आय थी और यदि यह करारोपण प्रस्ताव स्वीकार हो जायेगा तो ३७ करोड़ रुपये की आय हो जायेगी । चीनी पर, हमें बताया जाता है, कर इसलिये बढ़ाया जा रहा है कि चीनी की खपत कम करके उसका निर्यात बढ़ाया जायगा । बड़ी अजीब बात है कि गरीब आदमी अपना व्यय करे मध्यवर्गीय भी बचत में सहायता करें और पूंजीपति बड़े बड़े लाभ कमायें ।

इसी प्रकार साधारण जनता द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले वनस्पति तेल, अन्य तेलों तथा दियासलाई पर भी कर बढ़ा दिये गये हैं । यदि आम चुनावों से पहले सरकार इन करों को बढ़ाती तो चुनावों में उसे पता लग जाता कि जनता उससे कितना असंतुष्ट

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नागी रड्डी]

है पर उन्होंने चालाकी से चुनावों के बाद यह करारोपण प्रस्ताव पेश किये । में रहता हूं कि इस विधेयक का विरोध किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार जिस ीति पर चल रही है उससे धनी वर्ग और अधिक धनी हो जायेगा और गरीब आदमी और अधिक गरीब हो जायेंगे ।

धनकर और व्यय-कर तो दिखावा मात्र था कि हम पूंजीपतियों पर कर लगा रहे हैं पर वास्तव में उसकी आड़ में गरीब जनता का गला घोटने के लिए उत्पादन शुल्क बढ़ाना था । कम से कम मैं तो जनता को धोखा नहीं दे सकता अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । गरीब जनता पर सभी तरफ से कर लगाये जा रहे हैं । केन्द्रीय सरकार कर लगा रही है राज्य सरकारें कर लगा रही हैं । किसी भी राज्य सरकार ने सम्पत्ति तथा कृषि आय पर कर नहीं लगाया । केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के आय व्ययक घाटे के हैं । देश में मुद्रास्फीति बढ़ रहा है । केन्द्र को चाहिए कि यदि राज्य सरकार सम्पत्ति तथा कृषि आय पर कर नहीं लगाती तो केन्द्रीय सरकार स्वयं यह कर लगाये और कर इकट्ठा करके राज्य सरकारों को दे दे । यदि हम इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे तो इस वित्त विधेयक से हमारी पंच वर्षीय योजना सफल नहीं होगी । हमें बताया जाता है कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ गयी है और इसलिए हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई है । पर सवाल यह है कि आय किन लोगों की बढ़ी है यह पता लगाया जाये । खेतिहर मजदूरों तथा गरीब जनता की आय तो बढ़ी नहीं । मध्यम वर्ग के लोगों की आय तो बढ़ी नहीं । फिर, निश्चित ही यह वृद्धि धनी पूंजीपतियों के ही हाथ लगी है । अतः हमें उन पर कर लगाना चाहिए । हमारे करों में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं और करों का अपवंचन होता है । व्यय कर विधेयक की स्थिति ऐसी ही है कि उसके द्वारा कर का अपवंचन हो रहा है ।

बड़े बड़े पूंजीपतियों को हमेशा रियायतें दी गई । आयकर कम हो रहा था अतः आयकर की न्यूनतम सीमा घटा दी गयी । पर इसका प्रभाव तो गरीब जनता पर पड़ा । धनी लोगों को आप प्रेरणा और प्रोत्साहन देते हैं और गरीबों पर कर बढ़ाते जाते हैं यह कहां का समाजवाद है ? इस समाजवाद में तो हम और भी अधिक गरीब हो जायेंगे ।

मुझे यह देख कर दुख हो रहा है कि हमारे देश में विदेशी पूंजी खूब चली आ रही है और हम उसके लिये तरह-तरह की रियायतें भी दे रहे हैं । प्रधान मंत्री ने अपने भाषणों में तथा पुस्तकों में स्वयं लिखा है कि विदेशी पूंजी जिस देश में आयेगी उस देश में राष्ट्रीय पूंजी का निर्माण नहीं होगा । पर हमारे देश में विदेशी पूंजी खूब आ रही है और उन्हें हम तरह-तरह की रियायतें भी दे रहे हैं । हमारे वित्त मंत्री अपने आय व्ययक भाषण में कहते हैं "काम को प्रोत्साहन दें" । "बचाओ" क्योंकि इससे विदेशी विनियोजन को प्रोत्साहन मिलेगा । माननीय मंत्री को विदेशी विनियोजकों की चिन्ता है पर देश के गरीब लोगों के प्रति तनिक भी उदारता नहीं है, जो परिश्रम करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं ।

मैं इस बात के पक्ष में हूं कि उत्पादन बढ़ाया जाये । मैं करारोपणों का भी विरोधी नहीं हूं और न ही मैं त्याग करने में भी पीछे हटने वाला हूं । पर मेरा तो कहना है कि समाज के लिए सभी वर्गों से समान त्याग कराया जाये । पर आज उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का धन इकट्ठा किया जा रहा है वह ठीक उपाय नहीं है । हमें देश के पूंजीपतियों तथा भूतपूर्व राजों से धन लेना चाहिये उनके पास बहुत धन गढ़ा हुआ है । आपने जनता से जो वादे किये हैं उनसे आप क्यों पीछे हटते हैं और उन वादों को क्यों पूरा नहीं करते ।

मैं माननीय मंत्री को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि १९२० या १९२६ में महात्मा गांधी ने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने राजे महाराजाओं से अपील की थी कि वे अपनी सम्पत्ति देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्र को सौंप दें। आज यदि कांग्रेस गांधी जी के बताये रास्ते पर चले तो सब काम ठीक हो सकता है पर यदि उस रास्ते को छोड़ कर यही रास्ता अपनाये जो आज है तो दो या तीन वर्ष में एक भयानक संकट आयेगा और उस संकट के लिए हमारी सरकार ही उत्तरदायी मानी जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को बताना है कि सचिव के पास वित्त मंत्री का पत्र आया है, जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि राष्ट्रपति ने, संविधान के अनुच्छेद ११७(१) और २७४ के अनुसरण में, संशोधन संख्या १, १३, १४ (जो एक नया खण्ड १६ पुरः-स्थापित करता है) और १५ तथा १६ को प्रस्तुत करने और उन पर विचार करने की सिफारिश की है । ये संशोधन सदस्यों में परिचालित किये जा चुके हैं ।

†**श्री च० दे० पांडे** (नैनीताल) : सरकार की वर्तमान कराधान नीति से कोई भी प्रश्न नहीं है । उसकी सभी ओर से आलोचना की गई है । सरकार ने अपनी कराधान नीति से न तो मध्यम वर्ग, न बुद्धि जीवियों और न मजदूर वर्ग को ही संतुष्ट कर पाया है ।

इस कराधान नीति का सब से अधिक प्रभाव मध्यम वर्ग के सब से उच्च और निचले स्तरों पर ही सब से अधिक पड़ा है । हमारे कराधान में कोई बड़ी बुनियादी गलती है ।

यह मुद्रास्फीति का जमाना है । मूल्य निरन्तर बढ़ते ही जा रहे हैं । ऐसे समय में एक बड़े परिवार के ३,००० रुपये की वार्षिक आमदनी पूरी नहीं पड़ सकती । लेकिन इससे अधिक राशि को सरकार ने कराधान से विमुक्ति नहीं दी है ।

मैं दो कारणों से इस नीति से सहमत नहीं हूं । पहला तो यह कि ३,००० रुपये की वार्षिक आय बहुत ही कम है और हम उस पर प्रत्यक्ष कर नहीं लगा सकते, उस पर अप्रत्यक्ष करों का भार ही काफी अधिक है । दूसरा कारण यह है कि ३,००० रुपये वार्षिक आय की सीमा निर्धारित करने से कर-संग्रह का कार्य काफी बढ़ जायेगा । उसमें २ या ३ लाख करदाता और भी बढ़ जायेंगे । इसलिये, कर-संग्रह करने वाले कर्मचारियों की वर्तमान संख्या उसके लिये पर्याप्त नहीं होगी । लेकिन यदि आप इस सीमा को बढ़ा कर ४,२०० रुपये या ५,००० रुपये वार्षिक आय तक कर दें, तो कर्मचारियों की वर्तमान संख्या से ही करो की अधिक राशि संग्रह की जा सकेगी ।

इसलिये आय कर से विमुक्ति की सीमा ४,२०० या ५,००० रुपये वार्षिक आय तक रखी जानी चाहिये ।

लेकिन क्या सरकार की कराधान नीति से उद्योगों को प्रेरणा मिली है ? हमारे देश में निजी क्षेत्र के विरुद्ध चुपके चुपके कार्यवही हो रही है । लेकिन, दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र भी समय के अनुसार देश की मांग पूरी नहीं कर पा रहा है । सरकारी क्षेत्र भी उत्पादन की समूची व्यवस्था का प्रबन्ध करने में असमर्थ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० द० पांडे]

सरकार ने इसके लिये अपना सामर्थ्य सिद्ध नहीं कर पाया है । नेपा मिल्स इसका उदाहरण है । निजी उद्योगपति क्या उत्पादन लागत से अखबारी कागज का उत्पादन कर सकते थे । सरकार के पास ऐसी व्यवसायिक संस्थायें चलाने के लिये न तो प्राविधिक प्रविणता है, न कार्य-क्षमता और न मितव्ययता ।

†**श्री ति० त० कृष्णमचारी** : मैं माननीय सदस्य को स्मरण दिला दूं कि नेपा मिल्स निजी क्षेत्र द्वारा चालू की गई थी और सरकारी क्षेत्र ने उसके उद्धार के लिये ही उसे अपने हाथ में लिया था ।

†**श्री च० द० पाण्डे** : उसे बन्द कर देना ही ठीक रहता । सरकार कब तक १५ लाख रुपये प्रति वर्ष की हानि सहन करती रहेगी ।

माननीय मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने स्वयं ही इस सभा में स्वीकार किया था कि सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संस्थाओं पर अपेक्षाकृत कुछ अधिक लागत पड़ती ही है । कोयला खानों का प्रबन्ध इसका एक उदाहरण है ।

इसका दूसरा उदाहरण हमें चुर्क की सिमेंट फैक्टरी में मिलता है । सरकार ने उसके सिमेंट का मूल्य अन्य फैक्टरियों से २० प्रतिशत अधिक निर्धारित किया है ।

अब आपने बीमा व्यवसाय भी अपने हाथ में ले लिया है । निजी प्रबन्ध में रहने पर तो इस बीमा व्यवसाय में प्रति वर्ष ३०–४० करोड़ रुपयों की वृद्धि होती थी, लेकिन सरकारी प्रबन्ध में आते ही अब गत अठारह महीनों में उसमें ६८ करोड़ रुपयों की कमी आ गई है ।

विदेशी मुद्रा के अभाव के सम्बन्ध में, विदेशों में रहने वाली हमारी आस्तयों के अपव्यय की बड़ी आलोचना की गई है । मुझे इसकी इतनी चिन्ता नहीं है । मुझे अधिक चिन्ता तो इस बात की है कि देश में अब योजना के लिये पहले जैसा उत्साह नहीं रहा है । लोग नये उद्योगों की स्थापना के लिये आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं । अब निजी क्षेत्र में उत्साह नहीं रहा है, और यह अधिक हानिकर है । निजी क्षेत्र देश की सेवा कर रहा है । देश को उसकी आवश्यकता है । उसका गला नहीं घोंटा जाना चाहिये ।

सरकार की कराधान नीति के फलस्वरूप, इन समवायों की पूंजी १,००० करोड़ से घटकर ८५० करोड़ रुपये ही रह गई है । गत पन्द्रह महीनों में अंशधारियों ने १५० करोड़ रुपये खो दिये हैं । राजकोष को भी उस राशि पर कर नहीं मिल सका है । आगामी दस वर्षों तक हमें उस राशि, पर अंशधारियों का कोई भी कर नहीं मिल सकेगा ।

मेरी समझ में एक बात नहीं आती। वह यह कि जिन मुट्ठी भर लोगों की क्रय शक्ति का सामान्य जनता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उनकी क्षमता सीमित कर देने से मुद्रा-स्फीति कैसे रोकी जा सकेगी ? सामान्य जनता की क्रय-शक्ति बढ़ने से ही मुद्रा-स्फीति होती है। ऐसी परिस्थिति में, मूल्यों में गिरावट लाने से ही मुद्रा-स्फीति रोकी जा सकती है । तभी मजदूर अधिक तनख्वाहों की मांग नहीं करेंगे । लेकिन, सरकार उसके लिये कोई भी उपाय नहीं कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कहा जाता है कि हमने उद्योगों और उद्योगपतियों को यथेष्ट प्रोत्साहन दिया है, उनको यथेष्ट रियायतें दी जा चुकी हैं । आज सारा जोर बचत पर दिया जा रहा है । मैं इस प्रकार की बचत के पक्ष में नहीं हूं । मैं तो चाहता हूं कि समाज में और अधिक धन हो, और अधिक आमदनी हो, तनख्वाहों के रूप में और अधिक राशि बांटी जाये, और इन सब का परिमाण बढ़ने के फलस्वरूप ही सरकार को करों के रूप में और अधिक राशि मिलने लगे । सरकार की आर्थिक नीति यही होनी चाहिये । जनता की क्रय-शक्ति घटाने या अधिक बचत पर जोर देने से कुछ नहीं होगा । मनुष्यों में बचत की प्रवृत्ति तो स्वाभाविक ही है, लेकिन बचत की गुंजाइश भी तो हो ।

सरकार का यह सोचना गलत है कि बचत करने की अपीलें करने मात्र से जनता बचत करने लगेगी । असल में, बचत के लिये गुंजाइश ही नहीं है । सामान्य जनता में तो कोई प्रेरणा ही नहीं रह गई है । मनुष्य बचत कर सकता है जबकि उसे अपने बचत के धन के भविष्य पर विश्वास हो । सरकार की नीति के फलस्वरूप आज सामान्य जनता का यह विश्वास डिग चुका है ? सरकार जनता को यह सिखाना चाहती है कि वह अपनी कमाई का और उत्तराधिकार का धन अपनी इच्छानुसार व्यय न करे । गरीब जनता को यह सिखाने में अभी वर्षों लगेंगे । इसलिये, इन करों को लगाने से पहले, सरकार को इनकी पृष्ठभूमि तैयार कर लेनी चाहिये थी ।

यह भी कहा जाता है कि हम ने भारत में विनियोजन करने वाली विदेशी फर्मों को काफी रियायतें दे दी हैं । लेकिन, इस कराधान ने विदेशी फर्मों को काफी चौकन्ना कर दिया है । सरकार ने उनका रास्ता रोक दिया है ।

हमें कराधान के विधानों की छानबीन करनी चाहिये । जनता को यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि उनके बचत के धन पर कर नहीं लगाये जायेंगे । बीमा और सम्पत्ति पर से जनता का विश्वास उठ गया है । उसके बिना, सरकार अपने स्वप्न को साकार नहीं बना सकेगी ।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के आंकड़े हमेशा बदलते ही रहते हैं । कभी कुल योजना की अनुमित लागत ४,८०० करोड़ रुपये थी और अब वह ७,००० करोड़ रुपये तक पहुंच गई है । अब विभिन्न परियोजनाओं की लागत और भी बढ़ चुकी है । इससे योजना की लागत में भी वृद्धि हो जायेगी ।

भाखरा नंगल में मितव्ययता करने की अपील की गई थी । लेकिन, हम मितव्ययता का अर्थ ही गलत लगाते हैं । स्टेशनरी आदि के व्यय में कमी करने से कोई बड़ी मितव्ययता नहीं हो सकती । वास्तविक मितव्ययता तो अपव्यय को रोकने से ही हो सकती है । क्या ४८०० करोड़ के आय व्ययक में २०० करोड़ रुपये की मितव्ययता करने की भी गुंजाइश नहीं है ? इन परियोजनाओं से सम्पर्क रखने वाले सभी लोगों का ख्याल है कि इनमें पांच प्रतिशत मितव्ययता करना बहुत आसान है । करारोपण ही जितना कम होगा, जनता धन कमाने और उसका व्यय करने को उतनी ही अधिक प्रेरणा रहेगी । हमें जनता में प्रेरणा पैदा करने की तो ही नीति अपनानी चाहिये ।

हमारी कराधान नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे जनता को धन की बचत और उसका विनियोजन करने की प्रेरणा मिले । सरकार को जनता की आर्थिक सक्रियता पर बंधन नहीं लगाने चाहिये । तभी देश में समृद्धि हो सकेगी । लेकिन, आज तो सभी आशंकित और असप्रन्न हैं । हमें सामान्य जनता को संतुष्ट करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

†श्री मसानी (रांची-पूर्व) : मैं अपने से पूर्व सत्ता की इस बात से सहमत हूं कि कराधान के विधानों की कई बातों के परिणाम स्वरूप सामान्य जनता में बड़े विशाल पैमाने पर आशंकायें, अउद्विग्नता और सुरक्षाहीनता की भावनायें हो गई हैं ।

मैं इस वित्त विधेयक के केवल एक ही पक्ष के संबंध में कहना चाहता हूं । मैं केवल उत्पादन शुल्क के संबंध में कहूंगा । उत्पादन शुल्क का भार मध्यम वर्ग और सब से गरीब जनता पर पड़ता है । स्वतंत्र संसदीय दल उसका समर्थन नहीं कर सकता ।

मैं ने जून में आय-व्ययक सम्बन्धी सामान्य चर्चा के समय भी तीन बातें कहीं थीं । पहली तो यह कि नये उत्पादन शुल्कों के रूप में मध्यम वर्ग और देश की गरीब जनता पर भार नहीं डालना चाहिये । दूसरी यह कि इन उत्पादन शुल्कों से मुद्रा स्फीति और अधिक बढ़ जायेगी । तीसरी यह कि विदेश के विकास सम्बन्धी और विकास से असम्बन्धित दोनों ही प्रकार के व्यय में कमी की जानी चाहिये ।

इन उत्पादन शुल्कों का भार अधिकतर दैनिक जीवन की आवश्यकताओं पर ही पड़ता है । गत पांच सात वर्षों में उत्पादन शुल्कों और सीमा शुल्कों की दरों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है । इस वर्ष भी, इनके द्वारा, सामान्य जनता से लगभग ५५ करोड़ रुपये वसूल किये जायेंगे । इससे मुद्रास्फीति और अधिक बढ़ेगी ।

भारत के रक्षित बैंक के जुलाई १९५७ के मासिक बुलेटिन को देखिये । उससे यह बात सिद्ध होती है । इन शुल्कों का प्रस्ताव रखने से ही सामान्य जनता की दैनिक आवश्यकता की कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने लगी है ।

चीनी और गुड़ के मूल्यों का स्तर जहां अप्रैल, १९५७ में ९६ था, वह जून, १९५७ में १०२ हो गया था । खाद्य तैलों का मूल्य-स्तर अप्रेल में १२२ था, और जून में वह १२८ हो चुका था । इसी प्रकार खाद्य वस्तुओं का मूल्य-स्तर भी अप्रैल में १०४ से बढ़ कर जून में १०९.३ हो गया था । और यह मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति अभी बढ़ती ही जा रही है । इनसे सिद्ध होता है कि ये शुल्क मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को बढ़ावा ही देते हैं ।

जनता की क्रय-शक्ति को कम करना इसका कोई इलाज नहीं है । मुद्रास्फीति का वास्तविक निराकरण देश में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि करना ही है । मुद्रा-स्फीति पैदा तभी होती है जबकि देश में परिचालित होने वाली मुद्रा का अनुपात वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से बढ़ जाता है । सरकार यह नहीं कर रही है । किसी भी उपभोग-वस्तु के मूल्य पर कर लगाने से, उस उपभोग वस्तु को लागत तब तक नहीं घटाई जा सकती, जब तक कि बाजार में उस उपभोग-वस्तु की मात्रा में वृद्धि नहीं की जाती । बिना मात्रा बढ़ाये कर लगाने से, वह कर उसके मूल्य में सम्मिलित हो जाता है और उपभोक्ता पर पड़ता है ।

पोलैण्ड के कम्युनिस्ट प्रधान मंत्री ने भी मुद्रास्फीति के बारे में कहा है कि बाजार में परिचालित मुद्रा के बिलकुल बराबर ही वस्तुयें होनी चाहियें । यही आर्थिक नियम है ।

तब आप पूछेंगे कि आवश्यक धन कहां से आयेगा ? मैं तो यह कहता हूं कि हमें करों से प्राप्त होने वाले धन की आवश्यकता ही नहीं है । श्री कल्डोर ने बताया है कि देश

†मूल अंग्रेजी में

लगभग २०० से ३०० करोड़ रुपयों तक के करों की अपवंचना होती है । अर्थात् हमारे २२-२३ प्रतिशत करों का अपवंचन होता है । इस अपवंचन को ही रोकने से १,००० से १,५०० करोड़ रुपये तक मिल जायेंगे । अतिरिक्त कराधान की आवश्यकता ही नहीं है ।

हमारी योजना की सब से बड़ी कमी यही है कि हम अपने वर्तमान संसाधनों से अधिक विनियोजन करते हैं । हमने गत दो वर्षों में भारी उद्योगों में सामर्थ्य से अधिक विनियोजन करने का प्रयत्न किया है । हमारी सारी कठिनाइयों का मूल कारण यही है ।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : भारी उद्योगों के कार्यक्रम में किस प्रकार की कटौती की जाये ?

†**श्री मसानी** : यह कार्यक्रम आरम्भ ही नहीं करना चाहिये था । हमने पहले ही आवाज उठाई थी कि यह योजना का ढांचा भ्रान्तिपूर्ण है । हमने बताया था कि इससे देश मुश्किल में पड़ जायेगा । लेकिन अब तो द्वितीय योजना आरम्भ ही हो चुकी है । मेरे पास वे आंकड़े और सूचना नहीं है जो सरकार के पास है, इसलिये मैं यह नहीं कह सकता कि कटौती कहां और किस प्रकार की जाये। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि कटौती हो सकती है यदि उसको करने की इच्छा हो तो । इस बात को कहते हुए मेरा ध्यान असैनिक तथा विकासातिरिक्त व्यय पर भी है । मैं उस सम्बन्ध में आगे बताऊंगा ।

हमसे कहा जाता है कि हम योजना में कमी कर रहे हैं । यह गलत बात है । वास्तव में विभिन्न पक्ष इसे विभिन्न दशाओं में बदल रहे हैं । आरंभ में योजना में ३८०० करोड़ रुपया लगना था और संसद ने भी इसे ही स्वीकार किया था किन्तु यह तो कभी भी मंजूर नहीं किया गया था कि योजना पर ५६०० करोड़ रुपया लगे या उससे भी अधिक लगे । अब योजना में परिवर्तन कौन कर रहा है—सरकार कर रही है ।

सरकार जो योजना का व्यय बढ़ा रही है वह ठीक नहीं है । योजना आयोग ने कहा था कि ४५ करोड़ रुपये के नये कर लगाये जा सकते हैं । किन्तु इसी आय व्ययक में ९३ करोड़ के नये कर लगाये जा रहे हैं । यदि इतने भार से देश की कमर टूट जाये तो क्या यह आश्चर्य की बात है । वास्तव में सरकार स्वयं ही योजना के लक्ष्यों में फेर बदल कर रही है ।

वास्तव में जहां तक असैनिक तथा विकासातिरिक्त व्यय का संबंध है इस ९३ करोड़ रुपये के नये करों में बड़ी कठिनाई से ही ४० करोड़ रुपया विकास कार्यों के लिये मिलेगा। अन्य व्यय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है । १९५०-५१ में अन्य व्यय ३०१ करोड़ रुपया था किन्तु १९५६-५७ में यह व्यय ५३४ करोड़ रुपये हो गया ।

इस व्यय का अधिकतर भाग नौकरशाही के परिपोषण में जाता है। देश में नौकरशाही को बढ़ावा दिया जाता है । जो लोग वास्तविकता से परिचित हैं वे जानते हैं कि आज सचिवालय में जहां दो तीन आदमी काम कर रहे हैं वहां एक आदमी काम कर सकता है । इसके अतिरिक्त छुट्टियां भी अधिक होती हैं । एक अनुमान के अनुसार ३६५ दिनों में एक सरकारी कर्मचारी १५१ दिन छुट्टी पर रहता है । हम तो यही सुझाव देते हैं कि अब और भर्ती बन्द कर दी जाये । मैं यह नहीं चाहता कि कोई छंटनी हो या किसी क्लर्क को बाहर निकाला जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य : दूसरे कहां नौकर होंगे ।

†**श्री मसानी** : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि लोगों को क्लर्क बना कर रोजगार दिया जाये तो मैं इस रोजगार का पक्ष नहीं करता । क्लर्क तो पहले ही बड़ी दयनीय दशा में हैं । वास्तव में रोजगार का रास्ता लोगों को उनको मेहनत का फल खाने देने से ही खुल सकता है । क्लर्क बनाने से देश की बेकारी की समस्या का हल न होगा ।

इस सम्बन्ध में हमें पोलैण्ड जैसे साम्यवादी देश का अनुकरण करना चाहिये । कुछ दिन हुए श्री गोमुल्का ने बताया था कि वह २७००० असैनिक कर्मचारी कम कर रहे हैं ताकि नौकरशाही का अवांछनीय प्रसार न हो । मैं ने तो किसी ऐसी बात का सुझाव नहीं दिया है । मैं तो यही चाहता हूं कि नई भर्ती बंद कर दी जाये ।

मैं इन बचत समितियों से भी संतुष्ट नहीं हूं । जिन लोगों को इन बातों का अनुभव है वह जानते हैं कि इन समितियों के काम से कोई नतीजा नहीं निकलता । मेरा वास्तविक सुझाव यही है कि आगे भर्ती बन्द कर दी जाये ।

समाप्त करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे पड़ौसी देश बर्मा में क्या हो रहा है । बर्मा को भी हमारे समान कठिनाइयां हैं---किन्तु उस देश के नेता श्री यू० नू० ने कहा है कि "हम ने बड़ी जल्दी की है---कई काम शीघ्रता में किये हैं---वास्तव में देश के विकास तथा देश की आत्मनिर्भरता की हमारे दिल में अतीव इच्छा थी और हमने कामों को शीघ्रता से कराना चाहा । किन्तु हमें अब पता लग गया है कि हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिये । और केवल वही परियोजनायें क्रियान्वित करनी चाहियें जो हमारे लिये अनिवार्य हैं । जो जापानी राशि (युद्ध क्षति पूर्ति की) हमें मिली है उसे हम यों ही व्यय नहीं करेंगे । उपभोक्ता वस्तुओं पर हम आवश्यक व्यय करेंगे ।"

उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकारी उपक्रमों में ठीक प्रकार का नियंत्रण न रखा गया तो हम निस्संदेह भ्रष्टाचारियों की जेबें भर देंगे । उन्होंने अन्त में कहा कि योजना वास्तविक होनी चाहिये ।

इससे अच्छे निष्कर्ष पर मैं नहीं पहुंच सकता ।

†**श्री सोमानी** (होमा) : माननीय वित्त मंत्री ने जो कर प्रस्ताव रखे थे उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मैं उन बातों को नहीं दुहराऊंगा । हमें इस समय विवाद में न पड़कर इन कठिनाइयों से निकलने का मार्ग ढूंढ़ना चाहिये ।

अभी पहले दो वक्ताओं ने बताया कि उत्पादन शुल्क लगाने से लोगों पर बहुत भार डाला गया है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

वैसे तो मैं भी नहीं चाहता कि उत्पादन शुल्क में अत्यधिक वृद्धि की जाये किन्तु माननीय सदस्यों के तर्क मेरी समझ में नहीं आये । मैं इस संबंध में मंत्रालय की कर प्रस्तावों संबंधी पुस्तिका का उल्लेख करता हूं जिसमें लिखा है कि १९५६-५७ में यह भार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में २.३४ तथा ४.३८ प्रतिशत क्रमशः होगा । सारांश यह है कि व्यय आदि में बहुत ही साधारण सी वृद्धि होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बात माननीय वित्त मंत्री ने बता दी है कि २५ करोड़ रुपया खाद्यान्नों की कीमतों में सहायता देने के लिये है । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि इससे देश पर अत्यधिक भार हो जायेगा ।

अब मैं प्रत्यक्ष करों का समवायों तथा व्यक्तियों पर प्रभाव बताऊंगा ।

जहां तक समवायों का सम्बन्ध है माननीय मंत्री ने बताया था कि जिस दर से हमने समवायों पर कर लगाये हैं वह दर दुनिया के अन्य सभ्य क्षेत्रों में लगे हुए करों की दरों से कम हैं ।

वास्तव में तो हमें अपने देश की तुलना किसी प्रगतिशील देश से नहीं करनी चाहिये । दूसरे हमारा देश विकासोन्मुख है इसलिये यहां केवल ऐसे ही कर लगाये जायें जिनसे विकास कार्यों को बढ़ावा मिले और हमारे कार्यक्रम पूरे हों ।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह तुलना ठीक भी नहीं है क्योंकि उन्होंने समवायों पर धन कर, पूंजीगत लाभ कर आदि अन्य करों को तो गिना ही नहीं । यदि समस्त करों को लिया जाये तो पता लगेगा कि दुनिया में हमारे देश में ही समवायों पर सब से ज्यादा कर हैं । लाभांश पर कहीं भी कर नहीं है—यहां है ।

इस संबंध में अधिक न कहता हुआ मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इन करों से समवायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे । हमारी औद्योगिक प्रगति में रुकावट पैदा होगी ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि नवम्बर, १९५६ से हमारी समवायों की प्रदत्त पूंजी में कमी हो गई है । १९५६-५७ के पहले आठ महीनों में जांयट स्टाक समवायों की प्रदत्त पूंजी में ५.८४ करोड़ मासिक वृद्धि हुई । किन्तु दिसम्बर से मार्च तक यह वृद्धि १.६१ करोड़ मासिक की रही—अर्थात् कमी अत्यधिक हुई ।

पूंजी निर्गम नियंत्रक के आंकड़ों से भी पता चलता है कि इन दस महीनों में पूंजी नियोजन भी कम ही हुआ । जनवरी-मार्च १९५७ में ३७.३९ करोड़ पूंजी की स्वीकृति के आवेदन आये जब कि ३१.१३ करोड़ पर स्वीकृति दी गई । अक्तूबर-दिसम्बर १९५६ में ११६.५९ करोड़ की स्वीकृति दी गई थी ।

इन आंकड़ों से प्रकट होता है कि पूंजी निर्माण तथा विनियोजन कम हो रहा है । विकास के स्थान पर ह्रास हो रहा है । इन करों से ह्रास की गति और भी तेज होगी ।

अब मैं एक छोटा सा उदाहरण रखता हूं । कल्पना कीजिये कि सरकार एक पांच करोड़ रुपये की राशि जो करों के रूप में ली जाती उसे समवायों के पास ही रहने देती है और उस राशि को किसी उत्पादक कार्यक्रम में लगाया जाता है—तो उसका परिणाम क्या होगा ? उस ५ करोड़ से समवाय आदि विनियोजन १०–१५ करोड़ रुपये धन लगाकर सरकार को बहुत ज्यादा लाभ दे सकते हैं । इस प्रकार सरकार ज्यादा कमा सकती है ।

इस समय जब कि हमें विदेशी मुद्रा की बड़ी सख्त आवश्यकता है हमें चाहिये कि हम विदेशी पूंजी को देश में आकर्षित करें । ऐसे समय यदि हम विदेशी विनियोजकों को कुछ रियायतें भी दें तब भी वह बात आपत्तिजनक नहीं है ।

[श्री सोमानी]

मैं समझता हूं कि विदेशी पूंजी के प्रश्न को सरकार ने प्रयोगात्मक आर्थिक गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद को सौंपा था ताकि वहां के विशेषज्ञ उस प्रश्न पर अपनी राय दें। मैं समझता हूं कि उन्होंने इस प्रश्न पर अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है । हम चाहते हैं कि उस प्रतिवेदन की प्रतियां सदस्यों को दी जायें ताकि हम सारी बात ठीक ढंग से जान सकें ।

अखबारों से हमें यही पता लगा है कि उन्होंने इस संबंध में निराशा प्रकट की है और कहा है कि जब तक कुछ प्रशासनिक तथा कराधान संबंधी कार्यवाहियां सरकार नहीं करती तब तक हमारी सरकार देश में विदेशी पूंजी आकर्षित नहीं कर सकती।

अब जब कि माननीय वित्त मंत्री विदेश जा रहे हैं तथा भारतीय वाणिज्यिक चैम्बर का सद्भावना मंडल विदेशों में गया हुआ है—सरकार को चाहिये कि उस प्रतिवेदन के अध्ययन के बाद पूरी पूरी कार्यवाही करे । हमें वित्त मंत्री से बड़ी बड़ी आशायें हैं और हम चाहते हैं कि उनकी विदेश यात्रा सफल हो ।

इस विदेश पूंजी के प्रश्न से कराधान की नीति का भी सम्बन्ध है । इसलिये हमें वास्तविक दृष्टिकोण से इस बात पर विचार करना चाहिये ।

रक्षित बैंक जो ऋण नियंत्रण की नीति अपना रहा है मुझे उस संबंध में कहना है। मुझे इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है कि अनाज पर ऋण न दिया जाये । किन्तु औद्योगिक वस्तुओं पर तो ऋण दिया जाना चाहिये । आजकल वस्त्रोद्योग के सामने एक बड़ा संकट आया हुआ है । वहां कपड़े के ज्यादा स्टाक पड़े हुए हैं — बैंकों को उन पर ऋण देना चाहिये ।

मैं क्षेत्रीय असमानताओं के बारे में दो क बातें कहूंगा । इस संबंध में पहले भी मैंने सुझाव दिये थे । शायद मंत्री महोदय उन्हें मानने को तैयार नहीं हैं ।

वित्त मंत्रालय को चाहिये कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में नये सरकारी कारखाने खोलने में अपना योग दे ।

श्री म० प्र० मिश्र (वेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री अभी कुछ दिन हुए यूरोप गए थे और वहां उन्होंने अपने भाषणों में कहा था कि भारतवर्ष में लोगों पर टैक्सों का बोझ काफी ज्यादा हो चुका है । हिन्दुस्तान दुनिया में सबसे अधिक टैक्सों से मारा हुआ देश है और अब हिन्दुस्तान के लोग टैक्सों का और अधिक बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं । इसके विपरीत हमारे वित्त मंत्री जी इसी हाउस में कहते हैं कि इस देश में लोगों पर टैक्सों का जो बोझ है वह बहुत कम है । मैं यह भी जानता हूं कि अभी थोड़े दिनों में हमारे वित्त मंत्री जी अमरीका तशरीफ ले जाने वाले हैं और वहां जाकर, हो सकता है कि वह कहें कि हमारे देश में लोगों पर टैक्सों का बोझ बहुत हो चुका है । हमारे प्रधान मंत्री तथा हमारे वित्त मंत्री शायद यह नहीं जानते कि दूसरे देशों में जाकर जब वे एक शब्द भी बोलते हैं वह दूसरे ही दिन यहां चला आता है और अखबारों में छप जाता है । यहां पर जो वे बोलते हैं, मुझे पता नहीं, वह विदेशों में चला जाता है या नहीं ।

जो नए टैक्स लगाये जा रहे हैं उनका हमारे देशवासियों पर क्या असर पड़ेगा ? हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश सब से अधिक टैक्सों का भार ढो रहा परन्तु हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि उन पर टैक्सों का बहुत कम भार है । कोई है सौ करोड़ के टैक्स जो कि नए हैं केन्द्रीय सरकार ने और कोई एक सौ से अधिक रुपये के नए टैक्स प्रान्तीय सरकारों ने देशवासियों पर लगाये हैं । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इन टैक्सों का सब से अधिक भार मध्य वित्त के लोगों पर पड़ेगा जिनकी बात आज कोई सुनता नहीं है । कार्ल मार्क्स को किताब जिन्होंने पढ़ी है वे समझते हैं कि बीसवीं सदी में दो ही वर्ग रह गए हैं । एक तो वह वर्ग है जिसको मजदूरों का वर्ग कहा जाता है और जो कारखानों इत्यादि में काम करता है और दूसरा वह जो कि पूंजीपतियों का है जिसमें सोमानी साहब जैसे सेठ लोग हैं । लेकिन यह जो भ्रम है यह बिल्कुल मिथ्या है । एक तीसरा भी वर्ग है जोकि बहुत भारी संख्या में है और जिसको मध्यवित्त वर्ग कहा जा सकता है, मिडिल क्लास कहा जा सकता है । अगर यह बात न होती तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की ही सरकार होती कंजरवेटिव पार्टी की सरकार न बनती । इस मध्य वित्त वर्ग की सबसे बुरी हालत है । यह वर्ग न सिर्फ इस देश में ही है बल्कि सारी दुनिया में है । जो टैक्स हमारे वित्त मंत्री जी ने लगाये हैं वे टैक्स इस मध्य वित्त के लोगों को कमर तोड़ रहे हैं । पांडे साहब ने अभी कहा कि जो कारखानों में मजदूर काम करने वाले हैं या सरकारी कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं व यूनियनें बनाकर, आन्दोलन चला कर, हड़तालों की धमकी देकर अपनी बात मनवा लेते हैं, अपने हक वसूल कर लेते हैं और आज उनके हाथ ही में ताकत है। यदि आप पिछले दस वर्षों के इतिहास को देखें तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हुआ है वह उन्हीं लोगों के फायदे के लिए हुआ है जिन के हाथ में ताकत है जो धमकी देकर अपनी बात मनवा सकते हैं और मिडल क्लास वालों के, मध्य वित्त वालों के लिए बहुत कम हुआ है । जिन के हाथ में ताकत है, जो पोस्ट आफिसिस में हैं, रेलवे में हैं और जो इसी तरह दूसरे विभागों में हैं, जो हड़ताल की धमकी देकर सरकार को झुका सकते हैं और झुका लेते हैं, उनके लिए तो सरकार सब कुछ कर देती है । आप टैक्स बढ़ा दीजिये, चीजों की कीमतें अपने आप बढ़ जायेंगी और इन लोगों की तरफ से हड़ताल का थ्रेट दे दिया जायगा और इसके नतीजे के तौर पर आप झुक जायेंगे । यह ठीक भी है कि आप कानून लायेंगे और हड़ताल को गैरकानूनी घोषित कर देंगे । लेकिन हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करना एक प्रजातंत्रीय राज्य के लिए, मैं ठीक नहीं समझता हूं । जब आप हड़ताल के थ्रेट के सामने झुक जाते हैं तो भी दुःख होता है लेकिन वह बहुत बड़ी बात नहीं है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ये लोग अपना काम करवा लेते हैं । लेकिन जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाने वाले हैं और जिनकी तादाद लाखों में है, तथा जो किरानिये हैं जोकि बहुत बड़ी तादाद में हैं, उनके हाथ में झुकाने की पावर नहीं है, वे सरकार से लड नहीं सकते हैं, उनकी मांगों को आप स्वीकार नहीं करते हैं । अगर शिक्षक कहते हैं कि हम हड़ताल करेंगे तो आप कह देते हैं कि हम स्कूलों तथा कालेजों को ही बन्द कर देंगे एक साल के लिए जिसका नतीजा यह होता है कि शिक्षक लोग मारे जाते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती है । किरानिये भी इसी डर से हड़ताल तक नहीं कर सकते हैं । इन लोगों की ओर देखने वाला कोई नहीं है । यही वे लोग हैं जिन पर आप टैक्सों का बहुत ज्यादा भार डाल रहे हैं। मैं उन दोस्तों के साथ एक राय रखता हूं जो यह कहते हैं कि अधिक टैक्स देश पर मत लगाइये, उसकी कमर मत तोड़िये और उसके बजाय सरकार का जो खर्च है, उसमें कमी कीजिये । सरकार के खर्चे में कमी करने के अभी भी हजार रास्ते हैं । कुछ भाइयों

[श्री म० प्र० मिश्र]

ने बतलाया है कि जो लोग टैक्स नहीं देते हैं और जो बच निकलते हैं उनके बारे में आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को कड़ा कीजिये और उनसे टैक्स वसूल कीजिये । काफी रुपया आपको इस तरह से प्राप्त हो सकता है । यदि यह रुपया आज आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसमें दोष किसका है । आज मैं देखता हूं कि जो लोग टैक्स वसूल करने के लिए रखे जाते हैं अधिकतर वही इसके दोषी हैं । लेकिन सरकार के लोग कह देते हैं कि इसके लिए लोग दोषी हैं और हमारा जो समाज है वह ही बिगड़ा हुआ है । आज सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता है कि यह जो भ्रष्टचार है, इसको रोकना बड़ा कठिन है, समाज ही बिगड़ा हुआ है । यह जो दलील दी जाती है, इसको मैं एक गलत दलील समझता हूं । इस दलील की शरण लेकर के बच निकलने की कोशिश करना गलत बात है । यह एक बहुत बड़ा धोखा है । हमारे अफसरों के बारे में यह कहना कि चूंकि समाज ही बिगड़ा हुआ है, समाज ही भ्रष्ट है, इसलिए हमारे सभी अफसर भी भ्रष्ट हैं ठीक नहीं है, उचित नहीं है । यह गलत बात है । हमारे जो अफसर लोग हैं बहुत अच्छे हैं, ऊंचे उठे हुए हैं और इन्होंने बड़े पवित्र और उच्च आचरण के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं । मैं आपसे कहता हूं कि ये जो आइ० ए० एस० के अफसर हैं, जो आइ० पी० एस० के अफसर हैं, जो उच्च पदों पर काम करते हैं ये जो सेक्रेटेरिएट के बड़े अफसर हैं बहुत ही उच्च कोटि के हैं और मैं पूछना चाहता हूं कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो चोर हैं । इस तरह के अफसर बहुत ही कम होंगे, अपवाद के तौर पर ही होंगे । मैं ने अपने यहाँ आइ० ए० एस० क्लैक्टरों को, आइ० ए० एस० मैजिस्ट्रैट्स को तथा पुलिस के बड़े अफसरों को देखा है और मैं ने देखा है कि उनका बहुत ऊंचा चरित्र है । इस तरह का बहाना करना और यह कहना कि सभी चोर हैं, चूंकि समाज चोर है बिल्कुल गल्त है और यह कहना कि हम इसको रोक नहीं सकते हैं, बिल्कुल निराधार है । जो चोरी इस प्रकार की बरबादी जो सरकार की दृष्टि में आती है, उसको बन्द किया जा सकता है और सरकार का उसको रोकना फर्ज है और इसका शायद उसको पता नहीं है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आप दिल्ली के किसी भी रैस्टोरां में बैठ कर किसी से भी पूछिये कि भाखड़ा नंगल के बारे में उसकी क्या राय है, वह आपको कहेगा कि जितना भाखड़ा नंगल पर खर्च किया गया है उसका मुश्किल से ५० सैकड़ा ही उस पर खर्च हुआ है और बाकी का नाली में चला गया है । रैस्टोरा में बैठा आदमी, अखबार के दफ्तर में काम करने वाला पत्रकार यही बतलाता है कि सरकार जो इतना खर्च बड़ी बड़ी योजनाओं पर कर रही है, उसमें से ५० प्रतिशत ही असल में उन योजनाओं में खर्च किया जाता है और बाकी का ५० प्रतिशत नाली में चला जाता है ।

अभी हमारे मित्र ने बताया कि जहां पर एक किरानी का मुश्किल से काम होता है वहां पर पांच किरानी काम करते हैं । पांच की बात तो मैं नहीं कहता और शायद यह न भी हो लेकिन तीन किरानी एक किरानी का मुश्किल से काम करते हैं । सात घंटे काम उनको करना होता है लेकिन मुश्किल से वे पांच घंटे ही काम करते हैं । इसके अलावा साल में कितनी ही छुट्टियां उनको मिल जाती हैं और छुट्टियों की भीड़ लगी हुई ही रहती है ।

तो मैं कह रहा था कि जो मजदूर वर्ग है और जो ऐसे कारखानों में काम करता है जिन कारखानों का जनता के जीवन के लिए बहुत महत्व है और वे कारखाने बड़े महत्व के होते हैं, वे तो हड़ताल की धमकी देकर अपनी चीज वसूल कर लेते हैं और जो ऊपर

के लोग हैं उनके हाथ में तो सत्ता है, वे अफसर हैं हीं, और उनकी आमदनी में आप कमी नहीं कर सकते हैं । साथ ही साथ मैं यह भी कहता हूं कि जो पार्लियामेंट के मैम्बर हैं, उनकी आमदनी में भी आप कमी नहीं कर सकते हैं तथा जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के मैम्बर हैं उनकी आमदनी में भी कमी कर सकना आपके लिए सम्भव नहीं है । लेकिन जो शिक्षक हैं या जो डाक्टर, वकील या किरानी हैं, और जिनकी तादाद लाखों में है, उनके ऊपर इन टैक्सों का बहुत अधिक बोझ पड़ने वाला है ।

†**श्री मा० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : कृषि मजूरों के बारे में क्या है ?

श्री म० प्र० मिश्र : किसान भी मध्य वित्त में ही आते हैं । उनके लिए भी मेरे दिल में दर्द है ।

मैं यह कह रहा था कि उन लोगों पर टैक्सों का बहुत अधिक बोझ पड़ रहा है और इस बोझ को आप कम करें तथा खर्चे को घटा कर आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और जो टैक्सों को घटाने से आपको नुक्सान होगा, उसको आप पूरा कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा यह जो आयोजन है, इस आयोजन के हम साथ हैं लेकिन आयोजन के बारे में जो एक आदर्शवादी चीज आ गई है, जो चीज ऐसी है कि हमारे मन में बैठ गई है और हम चाहते हैं कि हमें इतना काम करना है और इतना काम हम करेंगे और इतना हमें खर्च करना ही होगा, अपने रवैये को हमें बदलना होगा । योजना को व्यावहारिक होना चाहिए, योजना को प्रेक्टिकल होना चाहिए । और इसलिए उसमें कतर ब्योंत होनी चाहिए और इस तरह से होनी चाहिए कि ऐसी चीजों को उसमें से निकाल देना चाहिये जिनके बगैर हम अपना काम चला सकते हैं ।

मैं एक बात कहता हूं । आपने अशोक होटल बनवाया है । यह बहुत बढ़िया होटल है और देखने में बहुत अच्छा लगता है इसको मैं मानता हूं । देश की शान को भी यह बढ़ाने वाला है और जो विदेशी यहां आते हैं वे इसकी तारीफ भी करते हैं । लेकिन मैं पूछता हूं कि अशोक होटल जैसे मकान के लिए दो करोड़ रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी ? पटना में भी मैंने देखा है तथा देश के दूसरे भागों में भी देखा है कि अस्पतालों के लिए बड़े-बड़े मकान बनाये जाते हैं । डा० स्वाइटजर ने सिद्ध कर दिया है कि आश्रम के जैसे, सिर्फ जंगलों के पत्थर लेकर और कौरुगेटिड शीट्स लेकर अस्पताल बनाये जा सकते हैं और वहां स्वास्थ्य और सफाई का बढ़िया प्रबन्ध रह सकता है । हमारा देश बहुत कठिनाई में से होकर गुजर रहा है और इस प्रकार के खर्चों को हमें जरूर कम करना होगा और उन खर्चों को बन्द करना होगा जोकि इंतिजार कर सकते हैं । मैं मानता हूं कि ताजमहल बनवाने की भी जरूरत पड़ती है । लेकिन आज हमें ताजमहल बनाने के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहिए । जब समृद्धि हो जायेगी तब ताजमहल बनाना ठीक होगा । अभी हम अपने देश का एक एक पैसा उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जिससे देश की पैदावार बढ़े । हमारे दोस्त कहेंगे कि ये जो बड़े बड़े मकानात बनाये जाते हैं इनके द्वारा लोगों को रोजगार मिलता है । मैं भी मानता हूं कि लोगों को इनसे रोजगार मिलता है । लेकिन, यह नकली रोजगार है और हमको नकली रोजगार की जरूरत नहीं है । हमको वैसा रोजगार चाहिए जो कि एक आदमी को जिन्दगी भर उसमें लगाये रखे और

†मूल अंग्रेजी में

[श्री म० प्र० मिश्र]

उसके बाल बच्चे उस रोजगार में आवें और उस रोजगार को करें। लेकिन इन अस्पतालों के लिए बड़े बड़े मकान बनाना ठीक नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि आज देश को अस्पतालों की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि हर चार गांवों पर एक बढ़िया अस्पताल हो। पटना में, दिल्ली में, बम्बई में एक अस्पतालों के मकान पर, रिजर्व बैंक के मकान पर मैंने सुना है पांच पांच करोड़ रुपया खर्च हुआ.....

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : पांच करोड़ रुपया ?

श्री म० प्र० मिश्र: यदि पांच करोड़ रुपया नहीं, तो कितना रुपया खर्च आया है, आप ही बताइये ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब इनकी बारी आएगी तब ये बतायें, अब तो आपकी बताने की बारी है।

श्री म० प्र० मिश्र: मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी खर्च में बहुत कमी की जा सकती है और टैक्सों के भार से देश के मध्य वित्त वर्ग को बचाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जो हड़ताल की धमकी देते हैं उन्हीं-की मांगों को स्वीकार करना और दूसरों की मांगों की उपेक्षा करना भी ठीक नहीं है। ये जो शिक्षक लोग हैं या ये जो किरानिये हैं, जोकि हड़ताल नहीं कर सकते हैं, जोकि धमकी नहीं दे सकते हैं, क्या करेंगे ?

देश में यह वातावरण पैदा करना, देश में यह जलवायु पैदा करना कि हर वर्ग के लोग सरकार को धमकी दें और सरकार झुक जाया करे, इस का नतीजा आगे चल कर बहुत बुरा होगा। अगर वे लोग भी धमकी देने लगे जिन के हाथ में बहुत बड़ा बल है तो देश पर उस का बहुत खराब असर पड़ेगा और इस तरह तो देश ही खत्म हो जायगा। इसलिये इस चीज़ को रोकना चाहिये। दूसरी तरफ़ वह असन्तोष है जोकि चुपचाप गरीब शिक्षकों और किरानीयों के घरों में पलता रहेगा क्योंकि आप के इन बढ़े हुए टैक्सों के भार से उन की कमर बिल्कुल टूट रही है। यह ठीक है कि वे अगर हड़ताल करेंगे भी तो उस से कुछ नहीं बनेगा सरकार स्कूल बन्द कर देगी और वे हड़ताल से सरकार को न झुका सकेंगे लेकिन उस का नतीजा क्या होगा यह भी क्या आप ने सोचा है। अगर इसी तरह उन की खराब हालत बनी रही और उन के असन्तोष को दूर नहीं किया गया तो उन को कल या परसों कम्युनिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, उन को जनसंघी बनने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चले जाने और फ़ासिस्ट हो जाने से कोई नहीं रोक सकेगा और इस तरह वे एक दिन अपने भाग्य को और इस देश के भाग्य को आग में डाल देंगे। इसलिये सरकार को यह चीज़ देखनी चाहिये कि जनता के सब वर्गों में सन्तोष हो और सर्वत्र सन्तोष और शान्ति का वातावरण हो और तभी हम अपनी इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक चला कर कामयाब बना सकते हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बड़े जोश से कहा जाता है कि हम ने जो टार्गेट्स बना लिये हैं उन से पीछे हम नहीं हटेंगे चाहे कुछ हो और चाहे जान जाय या रहे, उन में हम कमी नहीं करेंगे और उन को पूरा कर के रहेंगे। ठीक बात है, योजना को पूरा करने के लिये सरकार और लोगों में इस तरह का साहस और संकल्प होना चाहिये लेकिन साथ ही ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि हम यथार्थता और वस्तुस्थिति से आंखें बन्द कर लें और हम स्वप्नों के संकल्प बनाते रहें। यह ज़रूरी नहीं है कि योजना के लिये जितना हम ने पैसा निश्चित किया है उतना पैसा हम ज़रूर ही खर्च करें

और जितना हम ने टार्गेट बनाया है उस को ज़रा भी कम न कर के पूरा करें। ज़रूरत इस बात की है कि हमें योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिये जनता के हर वर्ग का पूरापूरा सहयोग मिले और पूरी नेशन का दिल हमारे साथ हो और यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि उन में पूर्ण सन्तोष हो। इस सम्बन्ध में श्री सी० डी० देशमुख ने जोकि भारत सरकार के वित्त मंत्री रह चुके हैं जिन का कि इस योजना के बनाने में बड़ा भारी हाथ रहा है उन्हों ने भी इस तरह के विचार प्रकट किये हैं कि अगर जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिये ज़रूरी हो तो योजना में जो टार्गेट्स फ़िक्स किये हैं उन में अगर कुछ कमी भी करना पड़ जाय तो कर देना चाहिये। उन्हों ने जो "एकानामिक डेवलपमेंट्स इन इंडिया फ्रौम १९४६ टु १९५६" नामक किताब लिखी है, उस में उन्हों ने यह कहा है :

> "मुझे पूर्व निश्चित व्यय के प्रतिशत से कोई वास्ता नहीं—मैं तो यही बात महत्व की समझता हूं कि देश के लोगों ने अधिकतम परिश्रम किया है। यदि यह बात हो जाये तो योजना के व्यय में थोड़ा अन्तर होने से कोई भय नहीं होगा—जो योजना पूर्ण रूप से सफल होती है वह तो बहुत अनोखी चीज हुई।"

मेरा खयाल है कि श्री सी० डी० देशमुख कई वर्षों से न सिर्फ इस देश के वित्त मंत्री थे और देश का वित्तीय प्रबन्ध करना उन के हाथ में था बल्कि वह योजना को बनाने वालों में से थे और उन की राय है और मैं समझता हूं कि इस पर सरकार को गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये।

धीरे धीरे कर के आप ने जनता के किसी वर्ग को भी इन टैक्सों की मार से अछूता नहीं छोड़ा है। यह जो एक्सपेंडीचर टैक्स आप ने लगाया है, मैं ने पढ़ा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में एक्सपेंडीचर टैक्स नहीं लगा हुआ है। यह ठीक है कि इस टैक्स का असर बड़े लोगों पर पड़ता है। लेकिन यह जो हम दुनिया को दिखलाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम बड़े समाजवादी हैं, गलत चीज़ है। आखिर यह लोग भी अपने तरीके से देश को बनाने में कुछ न कुछ सहयोग कर रहे हैं। हम को अपने पूंजीपतियों से कोई प्रेम नहीं है लेकिन उन से ऐसी घृणा भी नहीं है कि हम कहें कि उन की गर्दन काट दो। मैं समझता हूं कि सिर्फ मजदूरों और कम्युनिस्टों को खुश करने के खातिर इस तरह की बात करना उचित नहीं है क्योंकि वे लोग भी देश को आगे बढ़ाने में हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। जो भी हो हमारे वित्त मंत्री महोदय को इस बात का संतोष तो ज़रूर हो जायगा कि आज तक जो यह कहा जाता था कि वित्त मंत्री महोदय पूंजीपतियों के बड़े दोस्त हैं, स्वयं पूंजीपति हैं, इन टैक्सों को लगा कर उन्हों ने अपनी पोज़ीशन साफ़ कर दी है और अब लोग उन को गाली नहीं देंगे। लेकिन इस से देश का क्या भला होगा और मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस ढंग से गलत चीज़ें नहीं की जानी चाहियें।

मैं मानता हूं कि इस सरकार और इस योजना के दो मूल उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि देश का उत्पादन बढ़े और दूसरा यह कि उत्पादन इस तरह से बढ़े जिस से कि देश में सामाजिक न्याय हो और देश में जो धन पैदा हो उस का सब लोगों में समता के साथ न्यायोजित ढंग से बंटवारा हो सके। हम को इन दोनों उद्देश्यों से पूरी दोस्ती है और हम सभी लोग इन दोनों उद्देश्यों को पूरा होते देखना चाहते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार योजना और टैक्सों के सम्बन्ध में जो नीति बरत रही है उस से न देश की पैदावार बढ़ेगी और न देश में समाजवाद बढ़ेगा और न ही देश की सम्पत्ति बढ़ेगी। इस सम्बन्ध में दूसरे देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। कम्युनिस्ट देशों में समाजवाद के नाम पर क्या हुआ ? खूब नारे लगाये गये और खूनखराबा किया गया लेकिन हम पाते हैं कि आज रूस में जनता की आमदनी का भाग अमेरिका, इंग्लैण्ड, स्वीडन और नार्वे से १० गुनी और २० गुनी ज्यादा है और इसलिये मेरा कहना है कि हमारी सरकार को सिर्फ नारों के पीछे नहीं बह जाना चाहिये। सरकार द्वारा विरोधी पक्षों से अक्सर कहा जाता है कि वे नारेबाज़ी में न पड़ें लेकिन

[श्री म० प्र० मिश्र]

मैं समझता हूं कि सब से ज्यादा ज़रूरत इस नसीहत की स्वयं हमारी अपनी सरकार को है जोकि मेरे समझ में नारों के चक्कर में पड़ी हुई है। उसको नारों से ऊपर उठ कर यथार्थता और व्यवहारिकता के स्तर पर आना चाहिये।

आज मैं देख रहा हूं कि इन्हीं नारों के फेर में पड़ कर यह सरकार और यह योजना वाले इस देश के बड़े भारी अंचल को और इस देश की अर्थ नीति के एक बड़े हिस्से को आग में झोंकने जा रहे हैं। वह इस तरह है कि वह कोशिश करने जा रहे हैं कि इस देश की खेती को सहकारी ढंग पर चलाया जाय। जहां तक सहकारी ढंग पर खेती करने का सवाल है, कम्युनिस्ट देशों को छोड़ कर दुनिया में अन्य कोई देश ऐसा नहीं है जहां सहकारी खेती चलती हो। किसी भी गैर कम्युनिस्ट देश में सहकारी खेती नहीं चलती। इस सम्बन्ध में इज़रायल ज़रूर एक अपवाद है लेकिन उस का आधार दूसरा है। वहां दूसरे देशों से लोग आ कर बसे हैं और उन के पास काफ़ी रुपया है और उन के पास एक भावना भी है और उन्हों ने आपस में मिल कर सहकारी ढंग से सफल खेती की है और मैं उन को उस के लिये मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारी सरकार समाजवाद के नारे के गोश में आ कर कहती है कि हम सहकारी ढंग के आधार पर खेती चलायेंगे। अभी पाटिल साहब एक प्रतिनिधिमंडल ले कर चीन गये थे और उन से वहां के प्रधान मंत्री चू० एन० लाई ने तीन बार मुलाक़ात की। उस का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे बड़े प्रभावित हो कर कहते हैं कि इस देश में सहकारी ढंग पर खेती शुरू करो। जहां तक किसानों से इस के लिये अपील का ताल्लुक़ है, मुझे उस से कोई ऐतराज़ नहीं, यह चीज़ उन पर छोड़ दी जाय। लेकिन आप लोगों को खास कर किसानों को इस सहकारी खेती में आने के लिये मजबूर न कीजिये। आज सैकड़ों वर्ष के बाद ज़मींदारी प्रथा समाप्त हुई है और किसान ज़मींदारों के चंगुल से आज़ाद हुए हैं और पहली बार किसानों के हाथ में उन की ज़मीन आई है और वे अपनी ज़मीन के मालिक बने हैं, तब उन किसानों की ज़मीनें सहकारी खेती के वास्ते छीन लेना और उन को मज़दूर बना देने की जो कोशिश है वह बहुत खतरनाक है और इस कोशिश को हमें रोकना होगा। पाटिल साहब हालांकि कहते हैं कि किसानों को सहकारी खेती में शामिल होने के लिये मजबूर नहीं किया जायगा लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सहकारी समितियों को तो ज्यादा मदद दें और किसानों को मदद न दें, तो यह मजबूर करना नहीं हुआ तो क्या हुआ ? चीन की एक बड़ी खतरनाक बात जिस को यह सरकार शायद मान लेगी वह यह है कि भूमिसुधार के नाम पर पाटिल साहब ने कहा है कि किसी किसान के पास उतनी ही ज़मीन रहे जितनी पर कि वह अपने परिवार के लोगों के साथ मेहनत कर सके और उस को उन्हों ने समझा भी दिया है कि जो गांव की फ़ैमिली होल्डिंग है, मुश्किल से इस देश में ढाई एकड़ फ़ैमिली होल्डिंग पड़ती है, उस की दुगनी एक किसान के पास होनी चाहिये, यह सीलिंग उन्हों ने रक्खी है और इस तरह एक किसान परिवार के पास पाटिल साहब के अनुसार पांच एकड़ से ज्यादा जमीन नही होगी। पाटिल साहब सहकारी ढंग पर खेती चलाने के लिये बहुत ख्वाहिशमन्द हैं और ज़ाहिर है कि उस के लिये किसानों से उन की जमीनें छीनी जायें। लेकिन मैं उन से कहना चाहता हूं कि सोवियट रूस अपने किसानों की ज़मीनें छीन कर खेती में ४० वर्ष बीत जाने पर भी सफल नहीं हो सका और आज वह एक आग के ऊपर बैठा हुआ है जो किसी क्षण भी भड़क सकती है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों से उन की सारी ज़मीनों को छीन लेना और सहकारी ढंग पर खेती करवा कर इस देश की तरक्की करना, यह एक बहुत खतरनाक रास्ता होगा।

डा० कृष्णस्वामी (चिंगलपट): श्रीमान् सभी मानते हैं कि हमारे सामने बड़े खतरे हैं। आज मैं विदेशी मुद्रा के बारे में ही बोलूंगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

यह ठीक है कि हम संकट में हैं किन्तु इस संकट से निकलना और भी कठिन है ।

रक्षित बैंक के जुलाई १९५७ के समाचार से पता चलता है कि हम ने ३०० करोड़ रुपये अधिक का माल आयात किया । अनाज और मशीनें आदि मंगवाई गईं । निर्यात में केवल ४ करोड़ की कमी हुई ।

वास्तव में कोरिया के युद्ध के बाद हमारे निर्यात में कभी भी वृद्धि नहीं हुई । वास्तव में हमारी सब से बड़ी कठिनाई यही रही है । इसी कारण हमें गत वर्ष ३२० करोड़ की विदेशी मुद्रा का घाटा रहा । गत मार्च से हमें ६ करोड़ प्रति सप्ताह की कमी हो रही है ।

रक्षित बैंक के समाचार में लिखा है कि इस कमी का कारण यह है कि १९५६ में आयात अनुज्ञप्तियां खुले तौर से दी गई जिस का प्रभाव पर्याप्त समय तक रहेगा ।

अनुज्ञप्तियां देने तथा माल आने में पर्याप्त अन्तर रहता है । यदि माल मंगाने की आज्ञा १९५६ में मिली तो माल १९५७ में आयेगा । इसलिये इस का दोष किसी को नहीं दिया जा सकता--किन्तु यदि जुलाई, १९५६ में ही हमें अकल आ जाती तो हम हालात पर अच्छी तरह काबू पा सकते थे ।

अधिक मामला भारी चीजों के भारी आयात के कारण बिगड़ा है । सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये बहुत सी मशीनरी आई है । द्वितीय योजना के अनुसार हमें बताया गया था कि १९५६-५७ के आयात का लक्ष्य ८७० करोड़ रुपये होना चाहिये था । यह आंकड़े रक्षित बैंक के परिपत्र के पृष्ठ ६४० में दिये गये हैं । पर, वास्तव में आयात १,०७० करोड़ रुपये का हुआ है । यह अन्तर थोड़ा नहीं है और इस के कारणों का पता लगाना चाहिये । यह गलती इस कारण हुई है कि हम अपने आयात का ठीक अन्दाजा नहीं लगा सके । और इस समस्या को विवेकपूर्ण ढंग से हल करना चाहिये । इस कठिनाई से निकलना ही होगा । सरकार माने चाहे न माने संसद सुझाव तो देगी ही । प्रश्न यह नहीं कि भूतकाल में क्या हुआ प्रत्युत यह है कि इस वर्तमान भयानक स्थिति से कैसे निकला जाये ।

इस समय देश और सरकार के समक्ष दो प्रश्न हैं । एक यह कि जो सामान का आयात करने में हमें जो अधिक विनियोजन करना है, उस के लिये धन की व्यवस्था कैसे हो । और साथ ही यह भी समस्या है कि देश में खपत भी बढ़ गई है । मैं इस बात से सहमत नहीं कि आयात और खपत को कम किया जाय । एक विकासोन्मुख देश में खपत बढ़ती ही रहती है । एक लोकतंत्रात्मक देश में हमें समाज द्वारा प्रयोग की जाने वाली चीजों का भी ध्यान रखना चाहिये, अन्यथा जनता में आवश्यक उत्साह नहीं पैदा हो सकता । इसलिये खपत की वस्तुओं के सम्भरण में सन्तुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

दूसरे हमें यह भी देखना चाहिये कि जो ऋण इस समय हम विदेशों से ले रहे हैं, उन को हम कैसे अदा करेंगे । वैसे तो इन ऋणों से बहुत लाभ है, किन्तु बाद में उन का भुगतान एक समस्या बन जाती है । मैं समझता हूं कि इन बातों पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है । यदि हम अभी से ही कोई तरीका निकाल लेंगे तो विदेशी लोग हमारे पर अधिक विश्वास करेंगे । इस सम्बन्ध में कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि हमें रुपये की कीमत कम करनी चाहिये । मैं इस के पक्ष में नहीं हूं । इस संकट का इलाज रुपये की कीमत कम करने से नहीं होगा । यदि हम अपना आयात कम नहीं करते पर हमें तो विकास के प्रयोजन के लिये बहुत अधिक सामान मंगवाना है तो रुपये की कीमत कम करने से क्या लाभ होगा ?

कुछ लोग यह कहते हैं कि नोट छापते समय या रुपया बनाते समय उस के मूल्य के बराबर जो सोना अथवा चांदी सुरक्षित रखी जाती है, उस को जमा न रखा जाय बल्कि इस समय उस का प्रयोग किया जाय ।

[डा० कृष्णस्वामी]

इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस से हमारे सम्बन्ध में लोगों का विश्वास कम हो जायेगा । हमारी रक्षित निधि में से जो राशियां व्यय हुई हैं उस से ही बाहर के लोगों में यह भावना पैदा हो गई हैं कि भारत की आर्थिक अस्थिरता अस्थायी नहीं है । और जब एक बार ऐसी लहर दौड़ जाती है तो आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जिस पर बाद में काबू पाना बहुत ही कठिन हो जाता है । यह सुझाव भी दिया गया है कि योजना में कमी की जाय । पहले तो सरकार इस बात को सोचना भी पसन्द नहीं करती थी, परन्तु अब उस के विचारों में कुछ परिवर्तन भी आया है । इस सम्बन्ध में हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना चाहिये ।

सब से पहले तो यह बात है कि भारी मशीनों के आयात के कारण हमें विदेशी मुद्रा काफी मात्रा में खर्च करनी पड़ती है । उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में भी हमें जो विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है उस की कठिनाइयां कुछ समय बाद हमारे सामने आयेंगी । इसलिये हमें यह सोचना चाहिये कि हम किस सीमा तक आयात की मात्रा को घटा सकते हैं, ताकि उपभोक्ता वस्तुओं की कमी न रहे । वैसे तो इस सम्बन्ध में कुछ भी अनुमान लगाना कठिन है किन्तु हमें यह देखना है कि हम कितनी पूंजी का आयात कर चुके हैं और उस से कितनी आय होगी । आयात को घटाने के बारे में सोचते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना ही चाहिये । जब हम योजना की काट छांट करने की बातें करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हम एक स्तर से नीचे नहीं जा सकते । उस का कारण यह है कि हम पहले ही कुछ करने का निश्चय कर चुके हैं । हम ने इस्पात के कारखानों पर व्यय किया है पर उस के साथ साथ हमें बिजली की भी आवश्यकता होगी । साथ ही परिवहन सम्बन्धी समस्यायें भी हल करनी होंगी । इसलिये इन बातों के सम्बन्ध में तो कोई कमी या काट छांट तो की ही नहीं जा सकती ।

योजना को कार्यान्वित करने के लिये हमें बहुत सा सामान आयात करना पड़ेगा । पहले तो सरकार बहुत कम अनुमान लगाती थी, परन्तु अब सरकार समझ गई है कि हमें बहुत ही अधिक चीजें बाहर से मंगवानी पड़ेंगी, और इस कठिनाई से बचने के लिये हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता है । हमें इस बात पर भी ध्यान देना है ।

योजना से बाहर की कुछ बातों को लीजिये । आप प्रतिरक्षा को ही लीजिये । आज हमारी प्रतिरक्षा की मांगें बढ़ गई हैं । हो सकता है यह ठीक हो किन्तु एक समय ऐसा आयेगा, जबकि हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें प्रतिरक्षा का व्यय बढ़ाना चाहिये कि नहीं । मेरा तो यह विचार है कि यदि हमें आक्रमण की आशंका हो, तो हमें अपनी नैतिक शक्ति पर निर्भर रहना चाहिये । और मित्रों पर भरोसा रखना चाहिये । यदि हमारा ऐसा विचार न हो तो सरकार को साफ साफ कह देना चाहिये कि प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि किये बिना काम नहीं चल सकता । इस से लोग सारी बातें समझ जायेंगे ।

यदि हम यह बातें नहीं कर सकते तो हमें अपना निर्यात बढ़ाना चाहिये जिस से हम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें । मैं सरकार का ध्यान कुछ वस्तुओं के निर्यात की ओर दिलाऊंगा । १९५२-५३ में मूंगफली का भाव काफी अधिक था । किन्तु हम ने फिर भी उस के निर्यात के लाइसेंस दिये ।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह बात ठीक नहीं है, कीमतें बढ़ने से पूर्व ही निर्यात के कोटे निर्धारित किये गये थे । १९५२-५३ में हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । निर्यात कोटा

†मूल अंग्रेजी में

कीमतों के बढ़ने से पूर्व ही निर्धारित किया गया था । हो सकता हो कि इस के परिणामस्वरूप ही कीमतें बढ़ी हों ।

†डा० कृष्णस्वामी : मैं इस बात को मानता हूं किन्तु मैं तो यह कह रहा हूं कि कीमतें उतनी नहीं बढ़ीं जितनी कि हमें आशा थी । पर एक बात का डर है कि हम कहीं अच्छे बाजार खो न बैठें । खैर अगर हमें इस सम्बन्ध में कठिनाई हो तो हमें दूसरा तरीका ढूंढना चाहिये । मैं तो केवल सुझाव ही दे सकता हूं । इस बात का निर्णय तो स्वयं सरकार ही कर सकती है ।

अब मैं विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । माननीय वित्त मंत्री विदेश जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि उन का उद्देश्य सफल होगा । हो सकता है कि विदेशी मुद्रा का कोई संसाधन वह वहां ढूंढें क्योंकि विदेशी पूंजी से ही हमारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं । वैसे तो हम विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिये बहुत सी बातें करते हैं किन्तु हम ने इन दो वर्षों में विदेशी पूंजी को आकृष्ट करने के लिये वास्तविक कार्यवाही क्या की है ? इस के विपरीत हम एक विरोधी नीति अपना रहे हैं । जैसेकि समवायों की रक्षित निधि के कुछ अंश को अनिवार्य रूप से जमा करने की बात है हम ने समवायों पर धन कर लगाया है । विदेशी विनियोजक तो इन सब बातों को सोचते हैं । इसलिये हमें ठीक मार्ग पर चलना चाहिये । यदि हम ठीक रास्ते पर चलेंगे तो हमें आशा है कि हम आयात के लिये भी धन प्राप्त कर सकेंगे और अपनी उपभोक्ता वस्तुओं की समस्या भी हल कर सकते हैं ।

योजना के लिये हमें बलिदान तो करना ही है, परन्तु जिन कठिनाइयों का हल हम कर सकें, कम से कम उन को तो हल कर ही देना चाहिये । मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इन सब बातों पर अच्छी प्रकार विचार करे ।

†श्री बर्मन (कूच बिहार---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : वित्त मंत्री की आलोचना यहां कई सदस्यों ने की है । कुछ ने कहा है कि मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति खराब है, और कुछ ने कहा है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों और मास्टरों की हालत खराब है । किन्तु इस बात की ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि गरीब किसानों पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा । मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूं कि उन लोगों का मामला सभा के समक्ष रखूं ।

सभा ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को स्वीकार किया है । योजना के अनुसार १२०० करोड़ रुपये के घाटे की व्यवस्था की गई है । और १२०० करोड़ रुपये में से ४५० करोड़ रुपये नये कर लगा कर एकत्रित किये जायेंगे । किन्तु अब परिस्थिति बदल गई है और इस के साथ ही हमें योजना में भी परिवर्तन करना पड़ेगा । वित्त विधेयक के द्वारा ही हम इस ४५० करोड़ रुपये की कमी की पूर्ति करेंगे । अतः उस की आलोचना करना ठीक नहीं । मैं समझता हूं कि योजना को सफल बनाने के लिये प्रत्येक गरीब, अमीर को बलिदान करना होगा । परन्तु मेरा निवेदन है कि प्रत्येक की अवस्था को देख कर ही उस पर समुचित कर का भार डालना चाहिये । इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय के समक्ष उस वर्ग के आंकड़े रखना चाहता हूं जिन्हें बहुत ही अधिक उत्पादन कर देना पड़ रहा है ।

हुक्का तम्बाकू पंजाब से ले कर आसाम तक पैदा किया जाता है, और इस पर कर बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है । वित्त (संख्या २) विधेयक में यह कर ६ आने पौंड से बढ़ा कर ८ आने कर दिया गया है । १९५१-५२ से आज तक यह छः आने पौंड था । इस का अर्थ यह हुआ कि यदि तम्बाकू

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बर्मन]

का भाव प्रतिमन ९० रुपये हो तो इस पर ४१-२-६ कर के देने होंगे। छः आने पौंड कर होने पर भी कई स्थानों पर लोग तम्बाकू इस भाव पर भी न बेच सके कि कर की व्यवस्था कर सकें। अब आठ आने प्रति पौंड की दर से तो उन की अवस्था और भी खराब हो जायेगी। माननीय मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये। इतना कर किसी भी वस्तु पर नहीं है। और इस से उन गरीब किसानों को बहुत हानि हुई है जिन का व्यवसाय ही तम्बाक् की खेती करना है। कर लगाते समय इस बात का तो ध्यान रखा ही जाना चाहिये कि व्यक्ति के पास कर अदा करने के बाद कुछ तो बच जाये। इस हुक्का तम्बाकू पर उत्पादन कर बढ़ने के विरुद्ध काफी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्री को अब भी इस पर विचार करना चाहिये और इस कर से उन्हें जो ६ करोड़ मिलने वाले हैं उस के लिये वे कोई और साधन ढूंढ लें।

धूम्रशोधित तम्बाकू अच्छे भाव में बिकता है। १९५४-५५ में इस का दाम २५९-९-० मन था। इस में से ८२-५ कर देना पड़ता है। खेतिहार को २०० रुपये के लगभग बच जाते थे। परन्तु हुक्का तम्बाकू का दाम ७२ रुपये मन है और उस पर ४१ रुपये कर लग जाता है। खेतिहर को बीज इत्यादि खर्चा तथा परिश्रम कर के ३० रुपये बचते हैं। तो आज की स्थिति में इस से क्या होता है। इस के अतिरिक्त चूरा तम्बाकू पर कर एक रुपया पौंड रखा गया है। इसलिये कर के डर से चूरे का तम्बाकू लोग नष्ट ही कर देते हैं। इस से लोगों को भी हानि होती है और सरकार को भी। माल बिकेगा ही नहीं तो कर किस पर लगेगा। निवेदन है कि इन दो बातों पर वित्त मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये।

†**श्री रामी रेड्डी** (कड़पा) : मैं वित्त विधेयक के अन्तर्गत रखे गये सभी करारोपण प्रस्थापनाओं का समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री को ऐसा करना ही होता है, अन्यथा काम नहीं चल सकता। इस पद पर रहने वाला व्यक्ति आलोचना से नहीं बच सकता। देश के विकास के कार्यों में सब को अपना अपना कर्त्तव्य पूरा करना चाहिये। परन्तु साथ ही यह भी देखना चाहिये कि गरीब और सामान्य व्यक्ति पर इन करारोपण प्रस्थापनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है।

इस सम्बन्ध में मैं उत्पादन शुल्क की वृद्धि का उल्लेख करना चाहता हूं। डीजल के तेल पर उत्पादन शुल्क लगा दिया गया है। और इसे ३० से ४० रुपये प्रति टन बढ़ाने की प्रस्थापना है। छोटे छोटे जमींदारों पर जिन के यहाँ पम्पों से खेती होती है इस का काफी प्रभाव पड़ेगा। कृषि उत्पादन का खर्चा १५ प्रतिशत बढ़ जायेगा। मेरा निवेदन है कि जहां डीजल तेल कृषि प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाया जाता है वहां इसे उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया जाये।

योजना के भले के लिये यह जरूरी है कि देश के सभी क्षेत्रों के सन्तुलित विकास का ध्यान रखा जाय क्योंकि देश की गरीबी और बेकारी की समस्या तो औद्योगिक विकास के बिना हल नहीं हो सकती। १९५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में भी देश के सन्तुलित विकास का ही उल्लेख है। बड़े पदाधिकारियों ने भी ऐसा ही आश्वासन हर समय दिया है। परन्तु आन्ध्र प्रदेश के साथ अन्याय किया गया है। आंध्र की जनसंख्या ३३० लाख है और यह देश की जनसंख्या का ९ प्रतिशत है। परन्तु इस को केवल २७ करोड़ ही दिया गया है। जनसंख्या के हिसाब से यह रकम २३० करोड़ होनी चाहिये थी। यह व्यवहार मुनासिब नहीं है। साथ ही काफी आग्रह के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने वहां कोई उद्योग आरम्भ नहीं किया। हालांकि पानी, बिजली और कोयला सभी कुछ यहां उपलब्ध हो सकते हैं। उर्वरक कारखाना खोलने के लिये बेजवाड़ा बहुत ही उपयुक्त स्थान है। परन्तु राज्य सरकार

†मूल अंग्रेजी में

की अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी केन्द्रीय सरकार ने वहां एक उर्वरक कारखाना नहीं खोला। अतः माननीय वित्त मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे स्थिति पर विचार करें क्योंकि प्रादेशिक विकास के बिना राष्ट्रीय विकास नहीं हो सकता।

कृषि की वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों के सम्बन्ध में देश में बहुत हाहाकार मचा हुआ है। कहा जाता है कि आंध्र में धान कूटने वाली मिलों के मालिक चावल नहीं देते। पर, वे तो अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अनुसार मूल्य पर चावल देने के लिये तैयार थे। अतः उन पर आरोप लगाना व्यर्थ है।

सिंचाई कार्यों के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आंध्र के तालाबों की मरम्मत के लिये कुछ करोड़ रुपया नियत कर दिया जाय तो वहां की भूमि से अधिक फसल प्राप्त की जा सकती है। इस में विदेशी मुद्रा का कोई सवाल नहीं है और इस का फल भी बहुत जल्दी मिल जायेगा।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : इस विधान पर सहमत होने से पूर्व सभा के लिये यह जानना आवश्यक है कि क्या इन कराधान प्रस्थापनाओं से अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध भी होगा अथवा नहीं। वर्तमान कराधान नीति पर तो योजना के प्रसंग में ही विचार किया जा सकता है। योजना निर्माताओं ने यह उपबन्ध किया है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें वर्तमान कराधान से ७० करोड़ रुपये और कराधान के अतिरिक्त संसाधनों से ९० करोड़ रुपये इकट्ठा करेंगे। इस प्रकार अगले पांच वर्षों में ८०० करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिये वार्षिक कराधान बढ़ाना अनिवार्य है। गत दो वर्षों में प्राक्कलनों से कहीं अधिक राशियां खर्च होती रही हैं। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री को चाहिये कि वे सभा पर विश्वास कर के बतायें कि क्या लक्ष्य प्राप्ति की कोई संभावना है अथवा नहीं ताकि बाद में हमें निराशा का सामना न करना पड़े।

[**श्री वर्मन** पीठासीन हुए]

इस आय-व्ययक पर हमें न केवल वित्तीय दृष्टिकोण से वरन् एक और दृष्टि से भी विचार करना है। योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि असमानताओं को दूर कर के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा किया जाय। एक समाजवादी समाज के लिये यह बात बहुत आवश्यक है। परन्तु असमानता को दूर करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया। यह खेद की बात है कि सम्पदा शुल्क का जो प्राक्कलन १८ करोड़ रुपये का था उसे कम कर के ९ करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रत्यक्ष कर के प्रश्न पर तो प्रोत्साहन और प्रशासन की समस्याओं की दुहाई दी जाती है। परन्तु अप्रत्यक्ष कर के लिये कोई रोक नहीं क्योंकि उस से साधारण जनता पीड़ित होती है। मेरा सुझाव है कि प्रति वर्ष इस सभा को बताया जाय कि हम असमानताओं को दूर करने में कितने सफल हुए हैं। सरकार भारतीय सांख्यिकीय संस्था से देश में असमानता के आंकड़े तैयार करवा कर के सभा के सामने प्रस्तुत कर सकती है।

मैं व्यय के प्रश्न को लेता हूं। हम नहीं जानते हैं कि कर से प्राप्त धन का ठीक उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। जनसाधारण को यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि सरकार के पास जो भी पैसा जाता है उस का उचित प्रयोग किया जाता है। यह धन प्रायः प्रशासन, बड़ी विकास परियोजनाओं और राज्यों को दिये गये अनुदानों और ऋणों पर व्यय किया जाता है। केन्द्र ने लगभग ८०० करोड़ रुपया राज्यों को परियोजनाओं के लिये दिया है। हम यह जानना चाहते हैं कि आवंटित राशि का व्यय कैसे किया जाता है।

यह अच्छी बात है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र विस्तृत हो रहा है। मैं इस का स्वागत करता हूं। परन्तु संसद का यह उत्तरदायित्व है कि उसे कार्यपालिका को दी गई धन राशि के बारे में पता हो।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

राज्य सरकारों की परियोजनाओं के जो संतुलन-पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं वे इतने बुरे ढंग से तैयार किये जाते हैं कि उन से कुछ भी पता नहीं लगता । इन प्रतिवेदनों में परियोजना की लागत, लगाई गई पूंजी, मंजूर की गई अवक्षयण निधि, कुल उत्पादन और लाभ आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये ।

लाल फीताशाही, बहुत अधिक फजूलखर्ची, और विलम्ब का बोल बाला है । जैसेकि रूरकेला इस्पात संयंत्र के ठेके कई सार्थों को दिये गये हैं पर उन के कार्यों में कोई समन्वय नहीं है । उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने बताया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की नियत राशि को उड़ीसा राज्य इस कारण व्यय नहीं कर सका कि केन्द्र से मंजूरी काफी देरी से मिली थी । अतः क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो यह पता लगाये कि राज्य सरकारें धन का उपयुक्त व्यय कर रही हैं अथवा नहीं । हमारे विकास कार्यों का लक्ष्य तो बस यही होना चाहिये कि राष्ट्र के जीवन-स्तर में सुधार हो । इस प्रयोजन के लिये उक्त व्यवस्था की आवश्यकता है जो इस सम्बन्ध में जांच कर के संसद् को प्रतिवेदन दिया करे । यह व्यवस्था निर्वाचन आयोग की तरह स्वतंत्र होनी चाहिये । उस में वित्त मंत्रालय, इस सभा और रक्षित बैंक के प्रतिनिधि होने चाहियें । इस व्यवस्था से मेरा अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि राज्य सरकारों अथवा राज्य परियोजनाओं के अधिकारों को कम किया जाये । इस व्यवस्था द्वारा तो केवल उपक्रमों के व्यय की ही जांच की जायेगी कि क्या राशियों का ठीक ठीक उपयोग हो रहा है या नहीं ?

अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि साधारण जनता इस से बहुत पीड़ित है और वे और कर नहीं देना चाहती । अतः बचत आदि जैसे और संसाधनों से रुपया इकट्ठा करना चाहिये । इस देश में सोना इकट्ठा करने की परम्परागत प्रथा है क्योंकि बैंक आदि की सुविधा नहीं है । लोगों को बैंक में धन जमा करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये । मेरा विचार है कि सोने के संसाधन से भी करोड़ों रुपये प्राप्त किये जा सकते हैं ।

सभी को पता है कि किस प्रकार सोने का तस्कर व्यापार किया जाता है अतः इस संसाधन से हमारी अर्थ-व्यवस्था को बहुत लाभ पहुंच सकता है । गांवों में भी बैंकों की व्यवस्था करनी चाहिये । चलते फिरते बैंकों की व्यवस्था कर के अथवा बैंकिंग विधि में आवश्यक संशोधन कर के लोगों को बचत के लिये प्रोत्साहन दिया जा सकता है ।

†श्री अंसार हरवानी (फतेहपुर) : माननीय वित्त मंत्री ने देश में समाजवादी व्यवस्था लाने और लोगों में समृद्धि तथा शांति पैदा करने के लिये जो कार्य किये हैं मैं उन के लिये उन्हें बधाई देता हूं । परन्तु उन्हें गरीबों और अमीरों के बीच जो असमानता है उसे दूर करने के लिये कुछ और कार्य करने चाहियें थे ।

एक ओर तो बेचारे गरीब क्लर्क हैं जो गुज़ारा भी नहीं कर सकते और दूसरी ओर उच्च पदाधिकारियों को खाना पचाने के लिये पाचक औषधियां खानी पड़ती हैं । एक ओर दरिद्र किसान प्रातः से सायं तक सख्त काम कर के भोजन प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर राजाओं को निजी थैलियां मिलती हैं । एक ओर मेरे जैसे व्यक्ति को संसदीय वेतन पर सब काम चलाने पड़ते हैं और दूसरी ओर दक्षिण भारत के अनेक बड़े बड़े कंजूस हैं जिन के पास बहुत धन है पर जिन्हें पता नहीं कि वह अपने पैसे का क्या प्रयोग करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसी वित्तीय कार्यवाहियां की जायेंगी जिन से यह असमानता दूर हो। उच्च पदाधिकारियों के वेतन कम करने चाहियें। संविधान में उन के लिये जिन प्रत्याभूतियों की व्यवस्था है उन में परिवर्तन किया जा सकता है। जिन नवयुवकों को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और अन्य सेवाओं में भरती किया गया है वे ४,००० रुपये प्रतिमास वेतन पाने वालों से कम वेतन पर काम कर सकते हैं। जब हमारे मंत्री और उपमंत्री अपने वेतनों में १० प्रतिशत कटौती कर सकते हैं तो ये सचिव तथा बड़े बड़े पदाधिकारी अपने वेतनों में से कुछ कटौती क्यों नहीं कर सकते ?

मैं स्वीकार करता हूं कि वे लोग कार्य कुशल हैं और देश भक्त हैं। परन्तु, यह कैसी देशभक्ति है कि वे अपने वेतनों में कटौती नहीं करा सकते ? मेरा निवेदन है कि जिन लोगों को निजी थैलियां, दी जाती हैं उन की थैलियों की राशियों में भी कमी की जानी चाहिये ताकि उन बचे हुए रुपयों को दरिद्र किसानों को बांटा जा सके।

जो व्यय हम कर रहे हैं उस में कमी करने की भी बहुत गुंजाइश है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ८० लाख रुपया प्रतिवर्ष विज्ञापन पर व्यय करता है। यह विज्ञापन कुछ यूरोपीय अभिकरणों को दिये जाते हैं और अभिकरण अपना १५ प्रतिशत कमीशन ले कर उसे समाचार पत्रों को देते हैं अतः सरकार को स्वयं अपना एक अभिकरण बनाना चाहिये और व्यय कम करना चाहिये।

यही स्थिति दूसरे मंत्रालयों की भी है। जब बचत का प्रश्न आता है तो चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी की बात की जाती है, क्लर्कों की छटनी की बात की जाती है। ५, १० या २० प्रतिशत क्लर्कों की छटनी से कोई बचत नहीं हो सकती। परन्तु निदेशकों और सचिवों के वेतनों में कमी कर देने से बचत हो सकती है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री बचत के लिये कुछ कार्यवाही करेंगे।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : आज एक माननीय सदस्य के यह कहने पर कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के व्यय के सम्बन्ध में हम जोखिम ले सकते हैं मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वस्तुतः यह मंत्रालय इतना महत्वपूर्ण है कि इस के व्यय में कोई कमी नहीं होनी चाहिये।

मैं ने प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुदानों पर बोलते हुए कहा था कि युद्ध के लिये हमें आधुनिकतम यंत्रों का उत्पादन करना चाहिये। उस के उत्तर में बताया गया कि इस प्रयोजन के लिये एक समिति नियुक्त कर दी गई है।

वित्तीय समस्याओं को लेने की बजाय मैं अपने जिला कनारा में कासरगोड के उपताल्लुक की समस्या की चर्चा करना चाहता हूं जो समस्या राज्य पुनर्गठन से पैदा हो गई है। इस ताल्लुक के बारे में यह विवाद था कि यह केरल राज्य को मिलना चाहिये अथवा मैसूर राज्य को। मैं ने राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ चर्चा की थी और उसने कहा था कि कासरगोड के लिये तो सीमा आयोग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि वहां नदी की एक परम्परागत सीमा है।

मैं उस क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख कर रहा हूं जो अब केरल के अधीन है। वहां पदाधिकारी आते हैं जो उस स्थान की भाषा नहीं जानते। वहां के छात्रों को मंगलौर के कालेजों में प्रवेश नहीं मिलता। यह समस्यायें वहां के लोगों के लिये रोज की समस्यायें हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार]

श्री अ० कु० गोपालन ने अपने निर्वाचन के समय कहा था कि मंजेश्वर और कुम्बला फिरके मैसूर में शामिल होने के लिये तैयार हैं परन्तु कासरगोड के मामले को मध्यस्थता द्वारा तय किया जायगा । कुम्बला और मंजेश्वर से श्री उमेश राव एक अनुभवी कांग्रेसी बिना किसी मुकाबले के चुने गये हैं । यह एक स्पष्ट प्रमाण है ।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य को वह प्रश्न नहीं उठाना चाहिये जिस पर पहले पूर्णतः चर्चा हो चुकी है । यह नियम विरुद्ध है ।

†**श्री आचार** : मैं ऐसी बात नहीं कह रहा जिस पर पहले चर्चा हो चुकी है वरन् उस बात का उल्लेख कर रहा हूं जो बाद में हुई है और जिस का प्रभाव प्रशासन पर पड़ता है । मैं जानता हूं कि वित्त विधेयक की चर्चा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है ।

मलाबार प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रधान ने कासरगोड के मित्रों को पत्र लिखा कि जिस में स्पष्टतः कहा गया है कि इस क्षेत्र का विलय मैसूर में होना चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष-महोदय** पीठासीन हुए]

इस से पता लगता है कि कर्नाटक का इस क्षेत्र के सम्बन्ध में जो दावा है वह न्यायोचित है । जैसाकि मैं ने अभी बताया, साम्यवादी दल के मेरे मित्रों ने इस से अपनी सहमति प्रकट की है । इसी-लिये मेरी यह अपील है कि उस क्षेत्र के लोगों की यह शिकायत दूर की जानी चाहिये ।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि दक्षिण कनारा जिले में एक विशेष जाति और रहती है जिसे तुलु या तुलव कहते हैं और इस की संख्या ७ अथवा ८ लाख है । यह कहना ग़लत है कि केवल चार प्रकार के द्रविड़ होते हैं और द्रविड़ भाषायें भी चार ही होती हैं । द्रविड़ पांच प्रकार के हैं और उन की भाषायें भी पांच ही हैं । पुनर्गठन के पश्चात् यह तुलु सम्प्रदाय विभाजित हो गया है । लगभग १,८०,००० व्यक्ति केरल में आ गये हैं और ६ अथवा ७ लाख मैसूर में चले गये हैं । मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि इन को दो प्रशासनों के अधीन रखना अन्याय है और मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह गृह-मंत्री को तब तक पर्याप्त धन न दें जब तक यह शिकायत दूर नहीं हो जाये ।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : उपाध्यक्ष महोदय राज्य तथा देश का प्रशासन चलाने के लिये वित्त की आवश्यकता होती है परन्तु साथ ही साथ हमें अपनी जनता की निर्धनता पर भी ध्यान देना चाहिये और प्रशासन में मितव्ययता करनी चाहिये ।

यदि हम दस वर्ष पूर्व के कार्यालयों से आज के कार्यालयों और अधिकारियों की तुलना करें तो पता लगता है कि आज प्रशासन का खर्च चार गुना बढ़ गया है ।

करारोपण सभी पर एक समान होना चाहिये । धनी व्यक्तियों से अधिक कर लिया जाना चाहिये तथा निर्धनों से कम । आप रूई के उत्पादकों को ले लीजिये । उन के साथ बड़ा अन्याय होता है । रूई का आयात होने पर २ आना प्रति पौंड शुल्क लिया जाता है । परन्तु निर्यात पर १ रुपया प्रति पौंड शुल्क लिया जाता है । इस से स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन किसानों का विरोधी है । वरना एक कृषि-प्रधान देश में आयात शुल्क से निर्यात शुल्क इतना अधिक कैसे हो सकता है ? यह कहा जा सकता है कि निर्यात शुल्क को विदेशी देते हैं । परन्तु अन्ततः इस का भार रूई उत्पादकों

†मूल अंग्रेजी में

पर ही पड़ता है। यदि विदेशी व्यापारियों को हमारे से कम दामों पर रूई मिल सकती है तो वे हम से क्यों खरीदेंगे ? इस के अलावा इतनी अधिक शुल्क होने के कारण हमारे किसानों को अपना माल देश के अन्दर ही बेचना पड़ता है और चाहे उस के दाम यहां कितने ही कम हों। इस प्रकार किसानों को हर हालत में नुक़सान ही उठाना पड़ता है।

हमारे किसान दो प्रकार की फसलें बोते हैं। एक तो खाद्यान्न की फसलें तथा दूसरे वाणिज्यिक फसलें। खाद्यान्नों की फसलों पर तो सरकार ने नियंत्रण लगाया हुआ है जिस से किसानों को अधिक धन नहीं मिलता है और वाणिज्यिक फसलों जैसे रूई, तम्बाकू, तिलहन पर निर्यात शुल्क लगाया हुआ है इस से भी उन को अधिक धन नहीं मिल पाता है और वह बेचारे गरीब ही बने रहते हैं। मेरा यही निवेदन है कि जब वह गरीब हैं तब क्या उन से कर के द्वारा और धन की मांग करना देश के हित में होगा ?

अब मैं तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मामूली तम्बाकू के वर्तमान मूल्य दो पैसे से पांच आने प्रति पौंड तक है। आप आठ आने और कुछ किस्मों पर १ रुपया तक शुल्क लगाना चाहते हैं। इस से किसानों पर क्या असर पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस मामले पर ध्यान दें।

हमारे देश की सम्पन्नता, पूंजीपतियों, मिल मालिकों अथवा प्रशासन में ऊंचे वेतन पाने वाले व्यक्तियों पर आधारित नहीं है। यह देश के किसानों पर ही आधारित है। इसलिये उन्हें सम्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिये ; वाणिज्यिक फसलों पर शुल्क लगा कर उन को बरबाद नहीं करना चाहिये।

कृषि कार्यों के प्रयोग में लाये जाने वाले अशोधित तेल पर भी अतिरिक्त कर नहीं लगाया जाना चाहिये। इस कर की छूट दी जानी चाहिये। देश के ८० प्रतिशत किसानों के वोटों पर ही हम सत्तारूढ़ हैं। इसीलिये हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिस से किसानों पर कोई भार पड़े। अमेरिका में खेती की वस्तुओं पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता है। परन्तु हमारे जैसे निर्धन देश में खेती की वस्तुओं पर ही निर्यात शुल्क लगाया जाता है। हमें इस पर उदारता से विचार करना चाहिये।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे ग्रामवासी धीरे धीरे शहरों में आ रहे हैं क्योंकि उन का ध्यान खेती से हट कर उद्योगों की ओर बढ़ रहा है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि हमें इस समस्या पर एक किसान के दृष्टिकोण से देखना चाहिये तभी हम अपने गांवों को बरबादी से बचा पायेंगे।

†**श्री मूलचंद दुबे** (फर्रुखाबाद) : मेरे माननीय मित्र श्री पांडे ने बताया था कि इस विधेयक की करारोपण प्रस्थापनाओं से जनता प्रसन्न नहीं है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति कर देने में प्रसन्न नहीं हो सकता। हमें करारोपण प्रस्तावों की जांच इस आधार पर करनी चाहिये कि जनता उन करों को देने की स्थिति में है अथवा नहीं।

अब मैं आप को बताता हूं कि जनता इन करों को किस प्रकार दे सकती है और यह कर अधिक नहीं हैं। प्रथम योजना काल के अन्त में राष्ट्रीय आय ११,८०० करोड़ रुपये थी। वर्तमान योजना के पूरे हो जाने पर राष्ट्रीय आय १४,००० करोड़ रुपये से अधिक हो जायेगी। यदि हम औसत निकालें तो यह आय १२,५०० करोड़ रुपये के लगभग होती है। इस को पांच से गुणा करने पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मूलचन्द्र दुबे]

यह ६२,५०० करोड़ रुपये हो जाती है। इस में से योजना के लिये केवल ५,२०० करोड़ रुपये की ज़रूरत है जिस का मतलब यह हुआ कि पांच वर्ष की राष्ट्रीय आय का यह केवल ८ प्रतिशत हुआ और इस को प्रति वर्ष आधार पर फैलाया जाये तो प्रति व्यक्ति कर भार केवल १।। या २ प्रतिशत आता है। इस प्रकार यह कहना ग़लत है कि लोगों को कर के रूप में बहुत देना पड़ रहा है। योजना के बनाने में कुछ बुराइयां रह गई हैं। उत्पादन में लगभग ४० प्रतिशत वृद्धि होने पर भी बेकारी में कोई अन्तर नहीं आया है। इसीलिये मेरा विचार है कि इस को बनाने में कहीं न कहीं कोई कमी है। योजना बनाते समय पहले तो अपने संसाधनों पर ध्यान रखा जाता है और बाद में अपनी समस्याओं को देखा जाता है। वित्तीय संसाधनों पर तो इस योजना को बनाने वालों का ध्यान था परन्तु उन्होंने अन्य विशेष समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे विचार से मानव शक्ति का सदुपयोग करने के सम्बन्ध में इस योजना में कोई व्यवस्था नहीं रखी गई। इसलिये हमें इस शक्ति का उपयोग करना चाहिये क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं को खरीदने के लिये हम विदेशी मुद्रा काफ़ी व्यय कर चुके हैं और हमारे संसाधन प्रायः समाप्त हो चले हैं। इसलिये मानव शक्ति का उपयोग कर के बेकारी की समस्या तथा विदेशी विनिमय की समस्या दूर की जा सकती है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह इस पर विचार करें।

रेलवे द्वितीय योजना काल के अन्त में सम्पूर्ण भार को ढोने में असमर्थ होगी। यह सभी जानते हैं। इसीलिये रेल और सड़क परिवहन के साथ साथ जल परिवहन का उपयोग करने का भी विचार करना चहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र को लीजिये। प्रथम योजना काल में फर्रुखाबाद से शाहजहांपुर को मिलाने का एक प्रस्ताव था परन्तु उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं मानता हूं कि इस पर दो पुल बनाने में २ से ३ करोड़ रुपया लगेगा। परन्तु इस के लाभ को देखते हुए इन पुलों पर यह लागत कुछ भी नहीं है। गंगा और रामगंगा के बीच का क्षेत्र बहुत ग़रीब लोगों से बसा हुआ है। इन पर पुल बन जाने से इन नदियों की बाढ़ को रोका जा सकता है और यहां खेती कर के बहुत सा अनाज उत्पन्न किया जा सकता है। खाद्यान्नों का केवल उत्पादन ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु खाद्यान्नों का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से यदि दोनों पुल गंगा और रामगंगा पर बना दिये जायें तो हमारी फ़सलें बची रहेंगी और देश को अधिक अनाज उपलब्ध हो सकेगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं श्री बर्मन के इस सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं कि तम्बाकू पर एक रुपया प्रति पौंड शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये क्योंकि इस को गरीब लोग व्यवहार में लाते हैं। मेरा भी यही कहना है कि यह शुल्क बहुत अधिक है और माननीय वित्त मंत्री को इस पर पुनः विचार करना चाहिये।

सरदार अ० सि० सहगल (जंजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो फाइनेंस बिल यहां पर रक्खा है, उस पर में अपने विचार रखना चाहता हूं। यदि आप फाइनेंस बिल नं० २, सन् १९५७ के क्लाज १३ के सब क्लाज (एफ) को देखें, तो आप को मालूम होगा कि जो हमारी तम्बाकू फ्लू क्योर्ड है और दूसरी किस्म की है, जिस के सम्बन्ध में हमारे सेन्ट्रल एक्साइज और साल्ट एक्ट के आइटेम १ (४), १ (५) और १ (६) हैं, उन की तरमीम कर के यह ड्यूटी लगाई जाएगी। हालांकि मैं तम्बाकू खाने वाला नहीं हूं, फिर भी मैं कहूंगा कि मैं जानता हूं कि हमारे प्रदेश में जो लोग तम्बाकू का व्यापार करते हैं उन पर इस का क्या असर पड़ेगा। उन की स्थिति को मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। आप किसी भी उसूल के लिहाज से इस को देखें, यह ठीक नहीं जंचता है। आप देखेंगे कि अब तक जो टैक्स लिया जाता था। अब भी वह कलेक्शन आफ टैक्सेज ऐक्ट, सन १९३० के मुताबिक लिया जाता था। अब भी उसी के मुताबिक लिया जाता है। इस से मेरे यहां के रहने वालों को सब से ज्यादा

तकलीफ होती है। जो लोग हुक्के की तम्बाकू का व्यापार करते हैं, उन की तरफ अगर आप देखें तो पता चलेगा कि जो लोग सिगरेट और बीड़ी वाले हैं उन के जरिये हुक्के के व्यापार वालों को बड़ा नुक्सान होता है। इस व्यापार का मुख्य केन्द्र बनारस है, इस के अलावा बिहार और बंगाल में भी तम्बाकू वालों का प्रतिनिधित्व बहुत है, उन बेचारों की हालत को आप देखिये। आज थोड़े से व्यापारियों ने तम्बाकू के काम को अपने हाथों में ले लिया है जिस से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं आप को एक बैसिक प्रिंसिपल बतलाना चाहता हूं जिस के आधार पर तम्बाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जानी चाहिये। आप को इस को चार क्लासेज में क्लासिफाई कर देना चाहिये। उस को क्लासिफाई करने के बाद आप देखिये कि किस से आप को ज्यादा आमदनी हो सकती है। क्लासिफाई आप इस तरह से कीजिये कि सिगरेट की तम्बाकू को अलग रखिये, बीड़ी की तम्बाकू को अलग रखिये, सिगार की तम्बाकू अलग रखिये और हुक्के और खाने की तम्बाकू को अलग रखिये। उस के बाद आप हिसाब से उन पर एक्साइज ड्यूटी लगाइए। मैं समझता हूं कि सब पर एक किस्म से टैक्स लगाना वाजिब नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज जो काश्तकार १ बीघा जमीन, २ बीघा जमीन या ४ अथवा पांच बीघा जमीन में अपनी जरूरत के लिये तम्बाकू लगाते हैं, उन के पास भी टैक्स लगाने वाले इन्स्पेकटर्स जाते हैं और उस को ले लेते हैं। मैं इस संबंध में कई मामले भूतपूर्व वित्त मंत्री के पास भेज चुका हूं। मेरी राय में यह चीज अच्छी नहीं है। हमें देखना चाहिये कि हम जनता को कितनी सहायता दे सकते हैं, उस भोली भाली जनता को जो खाली इस के ब्यापार के आधार पर ही जीवित है, उस को कितनी मदद दे सकते हैं। जो रेट आप की एक्साइज ड्यूटी का है, जैसे कि आप मान लीजिये १ रु० वह होने वाली है, तो हुक्के की तम्बाकू पर आप को २५ नए पैसे से ज्यादा वसूल नहीं करना चाहिये। लेकिन यह चीज आज आप नहीं कर रहे हैं। इस से लोगों में बड़ी परेशानी हो रही है और लोगों के ख्यालात हम लोगों के खिलाफ होते जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन चीजों पर फिर से गौर किया जाए।

आज हम देख रहे हैं कि एअरक्रैफ्ट कैरियर्स खरीदने के लिये ४० मिलियन पाउंड्स रक्खे गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम इस एअरक्रैफ्ट कैरियर को न खरीदें, तो इन्हीं दामों में १०० लांग रेन्ज बम्बर्स खरीद सकते हैं, या २५ सबमैरिन्स खरीद सकते हैं। यदि मान लिया जाय कि हम पर हमला हो सकता है, तो जो एअरक्रैफ्ट होगा उसका बहुत जल्दी नाश हो सकता है। फिर इस बात को अगर छोड भी दें तो एअरक्रेफ्ट कैरियर्स के प्रोटेक्शन के लिये, हम को एस्कोर्ट फोर्स या टास्क फोर्स और कम से कम २ क्रूजर्स, ४ या ६ डिस्ट्रायर्स तथा एन्टी सबमैरिन वेसेल्स रखने पड़ेंगे। खुदानख्वास्ता अगर लड़ाई छिड़ जाय तो ४० मिलियन पाउंड खर्च कर के जो एअरक्रैफ्ट कैरियर हम खरीदेंगे उस से उतना फायदा हम नहीं उठा सकेंगे जितना कि उस के जरिए हम को तकलीफ मिलेगी। इस लिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप इस एअरक्रैफ्ट कैरियर को छोड़ कर यह चीजें खरीदें। बात असल यह है कि जो चीज सस्ती हो वह हम को लेनी चाहिये, ४० मिलियन पाउंड का एअरक्रैफ्ट कैरियर खरीदने से हमें लाभ नहीं होगा। अगर आप एअरक्रैफ्ट का लेना मुल्तवी कर दें तो आप इस से भारत का ज्यादा फायदा कर सकते हैं जो यू० के० की रायल नेवी है हम उसी से लांग रेन्ज बाम्बर्स और सबमैरिन्स लें तो हम कम कीमत पर उन्हें खरीद सकते हैं और हम उन को जो डिफेंस बेसेज हैं अंडमान, साउथ ईस्ट कोस्ट, लकादिव आइलेंड्स तथा उत्तर पश्चिम कोस्ट पर, जो कि अनप्रोटेक्टेड (असुरक्षित) हैं, उन को प्रोटेक्ट करने के लिये काम में ला सकते हैं। मैं इन चीजों का एक्सपर्ट नहीं हूं इस लिये हो सकता है कि यह मंत्रालय इस बात के लिये तैयार न हो, लेकिन जो लोग इस तरह की बातों को पढ़ते हैं, विचारते हैं, भले ही उन की और मेरी विचारधारा में फर्क हो, मैं उन से कहना चाहता हूं कि यह

[सरदार अ० सिं० सहगल]

चीजें हमारे देश के डिफेंस के लिये जरूरी हैं। इस के बारे में सोचना चाहिये, विचारना चाहिये, और इस पर अमल करना चाहिये। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह जरा ध्यान से इस बात पर गौर करें। जिस वक्त कि हमारा नया मध्य प्रदेश बना उस समय उसमें भोपाल और विन्ध्य प्रदेश शामिल किये गये। विन्ध्य प्रदेश को सी० क्लास स्टेट होने के कारण मदद के लिये सेंटर से चार करोड़ रुपया मिलता था और भोपाल को दो करोड़ रुपया दिया जाता था। लेकिन नया मध्य प्रदेश बन जाने के बाद वह रुपया देना बन्द कर दिया गया है। मैं नहीं समझता कि नया मध्य प्रदेश बन जाने के बाद एक दम से इतना रुपया हमारे पास कहां से आ जायेगा कि हम अपनी जरूरियात को पूरा कर सकें। इस लिये मैं वित्त मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि इस चीज को कुछ समय तक और जारी रखें। जिस रोज हम अपने पैरों पर खड़े हो जायेंगे उस रोज हम केन्द्रीय सरकार से वह रकम नहीं मांगेंगे जो कि हम वह विन्ध्य प्रदेश और भोपाल को देती थी।

इस के साथ ही साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि केन्द्रीय सरकार राज्यों में किसी भी कार्य को करने के लिये पचास पचास का बेसिस रख रही है। लेकिन आज होता यह है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने हिस्से का ५० प्रतिशत पहले खर्च करे और दूसरा ५० प्रतिशत भी अपनी तरफ से खर्च कर दे और उस के बाद उस ५० प्रतिशत के लिये यहां बिल भेजे और पत्र भेजे और दरख्वास्तें भेजे उस के बाद वह रुपया मिलता है। इस तरह से कोई काम नहीं हो सकता। यह जरूरी है कि आपको जो ५० प्रतिशत रुपया देना है उसको पहले दीजिये तब मध्य प्रदेश की सरकार बराबर उस काम को हाथ में लेगी और उसको पूरा करेगी।

आपने जो रिआर्गेनाइजेशन करके वृहद् मध्य प्रदेश बना दिया उसके लिये तो हम आप को धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस के साथ ही साथ आप ने यह ख्याल नहीं किया जब नये मध्य प्रदेश राज्य की रचना होगी तो प्रबन्ध के लिये, सेक्रेटेरिएट, बढ़ाने में, विधान सभा के मेम्बर साहिबान के लिये घर बनाने में, जो काम करने वाले हैं, उन के लिये घर बनाने में कितना रुपया खर्च होगा। आज इतना रुपया खर्च हो जाने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार को इन कामों के लिये ११ करोड़ रुपये की आवश्यकता है तब जाकर आप का भोपाल बन सकता है। मेरे कुछ दोस्त कह सकते हैं कि इस खर्च को बचाने के लिये हमको चाहिये था कि जब मध्य प्रदेश बना था तो हम नागपुर को अपने साथ कर लेते। मैं आज भी समझता हूं कि अगर हम उन चीजों को अब भी लौटा सकते हैं तो उन को लौटा लें क्योंकि ऐसा करके हम इस रुपये को बचा सकते हैं, और इस को रुपया बचाना चाहिये। लेकिन हम इतने आगे बढ़ गये हैं कि इस रुपया को खर्च किये बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अब अगर हम कोई दूसरा सुझाव लाते हैं तो उससे हमको कामयाबी नहीं होगी।

अब मैं इनकम टैक्स के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हमारे यहां होता यह है कि बहुत से लोग इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं, जिसका एक नमूना हमारे वित्त मंत्री जी के पास मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले का है। उन लोगों ने अपने पैसे का एक ट्रस्ट बना दिया है और उसी के जरिये से सारा काम कर रहे हैं। अब ट्रस्ट पर किसी किस्म का इनकम टैक्स नहीं लगता। ट्रस्ट में काम करने वाले सब उन्हीं के आदमी हैं जिनका ट्रस्ट में पैसा लगा हुआ है। यदि कोई ट्रस्ट बनाना चाहता है तो मैं अर्ज करूंगा कि उसमें सरकार अपने आदमी रखे। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से जो लोग इनकम टैक्स इवेड (अपवंचन) करते हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई

करते हैं। आपको ऐसे बहुत से मामले मिलेंगे जहां लोग करोड़ों रुपया इस तरह चुरा चुरा कर रख रहे हैं। इसके लिये आपके पास बहुत से सुझाव आये हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो वित्त मंत्री की सलाहकार समिति है या जो उन के लोग हैं वे उनको ऐसी सलाह नहीं देते। हम लोग एक्सपर्ट तो हैं नहीं लेकिन सुझाव तो दे सकते हैं कि आप इस तरह से कार्रवाई करें। हमारा किसी खास व्यक्ति से द्वेष नहीं है। लेकिन जो लोग इस तरह से देश का रुपया चुरा रहे हैं उनके खिलाफ बराबर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिये जिससे कि हम अपने देश में ज्यादा उत्पादन कर सकें।

अब मैं सेल्स टैक्स के बारे में कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं। सेल्स टैक्स जो आपने लगाया है वह ठीक है। लेकिन इस तरह से लगाना चाहिये कि डबल टैक्स वसूल न किया जा सके। इस संबंध में मैं खासकर दिल्ली के भाइयों का जिक्र करना चाहता हूं जो कि डेपूटेशन पर डेपूटेशन लेकर गृह मंत्रालय के पास गये। इसलिये मेरी आपसे अर्ज है कि इस मामले पर भी आप गौर करें।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी जो बिल लाये हैं और जो उसमें संशोधन पेश किये गये हैं उनको पास करना हमारा कर्त्तव्य है।

श्री अजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त संख्या २ विधेयक का विरोध करने को खड़ा हुआ हूं और इसलिये विरोध करने खड़ा हुआ हूं कि इस बिल में जिन टैक्सों की व्यवस्था की गयी है, जो समाज का ढांचा बनाने की कोशिश है वित्त मंत्री महोदय की, वह इस तरह की है कि हिन्दुस्तान की गरीब जनता, किसान जनता, मजदूर जनता के और आम जनता के विरोध में जाती है।

यह एक ऐसा बिल है जो निहित स्वार्थों का पोषक है, जो चाहता है कि यहां पर निहित स्वार्थों की जो पूंजी है वह सुरक्षित रहे, उनकी निधि सुरक्षित रहे, और साथ ही साथ जो विदेशी पूंजी है वह भी सुरक्षित रहे और मुझे ऐसा लगता है कि विदेशी पूंजी को और आमंत्रण देकर उसको और भी सुरक्षित करना चाहते हैं।

जो बिल रखा गया है और उसके साथ में जो बजट है उसका अगर हम अध्ययन करें तो कुछ ऐसे नतीजे मिलेंगे जिनसे पता चलता है कि यह बिल निहित स्वार्थों की रक्षा करता है और खास तौर से किसानों और मजदूरों के खिलाफ जाता है। मैं उदाहरण के लिये एक बात कहना चाहूंगा। टैक्स से जो आमदनी हो रही है अगर हम उसका दो तीन साल का अध्ययन कर जायें तो पता चलता है कि आमदनी पर जो कर हैं उनसे कम आमदनी बढ़ी है और जो अप्रत्यक्ष कर हैं जो कि जाकर आम जनता पर पड़ते हैं उनसे ज्यादा आमदनी बढ़ी है। अगर हम देखें तो हमको मालूम होगा कि पूंजी पर कर से जो आमदनी बढ़ी है उसके मुकाबले में एक्साइज ड्यूटी से जो कि आम जनता पर जाकर पड़ती है बहुत ज्यादा आमदनी बढ़ी है। एक्साइज ड्यूटी से सन् १९५५-५६ में १४५.२५ करोड़ आमदनी थी, सन् १९५६-५७ में वह १८८.७३ करोड़ हो गयी और सन् १९५७-५८ में वह २०९.४३ हो जाती है। इस तरह से इसमें हम देखते हैं कि दो साल में ऐक्साइज ड्यूटी व अन्य अप्रत्यक्ष करों में करीब ८८ करोड़ की वृद्धि हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें कि आमदनी पर कितना टैक्स बढ़ा तो हमको मालम होगा कि बिजनेस प्राफिट्स टैक्स से सन् १९५६-५७ में २५ लाख की आमदनी थी लेकिन सन् १९५७-५८ में जाकर २० लाख ही रह गयी यानी यह घट रही है। इसी तरह से इनकम टैक्स म कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके मुकाबले में आप देखें कि बैजीटेबिल नान इसेंशियल आइल्स से सन् १९५५-५६ में २९ लाख की आमदनी हुई, जो कि १९५७-५८ में ५ करोड़ हो गयी। रिफाइन्ड

[श्री ब्रजराज सिंह]

डीजल आइल्स एंड वेपोराइजिंग आइल्स से सन् १९५५–५६ में १६ लाख की आमदनी थी वह सन् १९५७–५८ में तीन करोड़ हो जाती है। इसी तरह से काटन क्लाथ पर सन् १९५५–५६ में २८ करोड़ १८ लाख आमदनी थी जो कि सन् १९५७–५८ में बढ़कर ७२ करोड़ हो जाती है। हम यह देखते हैं कि अप्रत्यक्ष करों में किस तरह वृद्धि हो रही है। हम देखते हैं कि जिन करों का प्रभाव निहित स्वार्थों पर पड़ता है, वे कम बढ़ते हैं, और जिन करों का प्रभाव आम जनता पर पड़ता है, वे अधिक बढ़ते जा रहे हैं। जो रुपया इन करों से इकट्ठा हो रहा है, वह किस तरह खर्च हो रहा है, यह देखने से पता चलता है कि ज्यादातर रुपया निहित स्वार्थों के लिये खर्च किया जा रहा है, न कि आम जनता के लिये।

फ़ौज एक कोमल बिन्दु है, इस लिये उसके बारे में कुछ ज्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि उस में भी ५० करोड़ रुपये का खर्च बढ़ा है।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : लास्ट टाइम से खर्च कम है।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं यह कह रहा हूं कि जितना खर्च पिछले साल था, इस साल उससे ५० करोड़ रुपये बढ़ गया है। इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते हैं। इस विषय पर ज्यादा न कहते हुये मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि फौज पर जो खर्च हो रहा है, वह तो शायद देश में शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिये हो रहा है, लेकिन पुलिस पर जो खर्च बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस जनतंत्र में पुलिस पर खर्च बढ़े और वह इस लिये बढ़े कि जो लोग जनता की लड़ाइयों को लड़ते हैं, हड़ताल करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, उनको गिरफ्तार करके बन्द कर देने के लिये, उन पर लाठियां चलाने के लिये और अगर जरूरत पड़े, तो गोलियां चलाने के लिये पुलिस बढ़ाई जाय, तो यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि यह रिपोर्ट साबित करती है कि पुलिस पर खर्च बढ़ रहा है। जहां तक राज्यों का सवाल है, वह तो बढ़ हो रहा है, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ केन्द्र के बारे में कहना चाहूंगा। ज़रा देखिये कि केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में पुलिस पर खर्च किस तरह बढ़ा है। १९५६–६७ में पुलिस पर खर्च २,५५,८४ हजार रुपये था, जब कि १९५७–५८ में ४,८७,४३ हजार रुपये दिख या गया है, अर्थात् एक साल में पुलिस पर खर्च दुगना हो गया है। फ़ौज पर खर्च बढ़ना तो समझ में आ सकता है, लेकिन आखिर देश के अन्दर कौन सी ऐसी आफ़त आ रही है कि पुलिस पर खर्च बढ़ाया जा रहा है ? यह खर्च राज्यों में भी बढ़ रहा है और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है और यह तथ्य साबित करता है कि कर के रूप में जो रुपया जनता से लिया जा रहा है वह उस के विकास और उत्थान पर खर्च नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसकी लड़ाइयों को दबाने के लिये किया जा रहा है। यह भी कहा जाता है कि चोरियों डकैतियों को कम करने के लिये पुलिस पर अधिक खर्च किया जा रहा है। यह विषय केन्द्र का नहीं है, लेकिन राज्यों की रिपोर्टें देखने से पता चलता है कि चोरियां डकैतियां बढ़ रही हैं और पुलिस के खर्च में वृद्धि करने से उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस पर खर्चा जनता की लड़ाइयों का दमन करने के लिये, सत्याग्रह और हड़तालों को खत्म करने के लिये और जनता पर गोली चलाने के लिये किया जा रहा है। जनता से लिए गये रुपये का यह सदुपयोग नहीं है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार की उस नीति को स्पष्ट करता है, जो नीति गरीब लोगों को परेशान करने की और उनको दबाने की है।

विकास पर जो खर्च किया जा रहा है, उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सेंट्रल रोड फंड के लिये १९५६–५७ के बजट में ५,४४,६९ हजार रुपये रखे गये, लेकिन १९५६–५७ के रिवाइज्ड बजट में उनको कम करके ४,२७,५२ हज़ार कर दिया गया और १९५७–५८ में ४,२८,१९ हज़ार

कर दिया गया। इससे यह स्पष्ट है कि जहां तक विकास कार्यों का सवाल है, जनता के निर्माण कार्यों का सवाल है, उस पर खर्च होने वाली रकम को घटा दिया गया है, हालांकि हमारे बजट में लगातार वृद्धि हो रही है । १९५५–५६ में ५०४ करोड़ था १९५६–५७ में ५७१ करोड़ हो गया और १९५७–५८ में ६६८ करोड़ हो गया है। यह स्पष्ट है कि करीब हर साल ५० करोड़ बढ़ता जायगा और आगे चल कर, कुछ सालों के बाद १०० करोड़ भी हो सकता है । अगर यह देखा जाय कि इसको वसूल कैसे किया जाता है, तो स्पष्ट हो जायगा कि कर बढ़ाये जायेंगे। वैल्थ टैक्स के विषय में १५ करोड़ का अन्दाज़ किया गया है। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अब वह घट कर १२ करोड़ रह जायगा। वहां तो रकम घट रही है। आम जनता पर जो अप्रत्यक्ष कर हैं—चाहे वह सेल्ज़-टैक्स हो, यूनियन एक्साइज़ ड्यूटीज़ हों, या तम्बाकू पर टैक्स हो—उन में वृद्धि हो रही है और जो निहित स्वार्थ वाले लोग हैं, उन पर कोई विशेष कर नहीं लगाये जा रहे हैं। इसके बाद सिविल प्रशासन में आमदनी दिखाई गई है १९५६–५७ में १५,४९ लाख और १९५७–५८ में ४३,२१ लाख। उससे भी साबित होता है कि आम जनता से जो पैसा लिया जाता है, उसमें वृद्धि हुई है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की नीति उन वर्गों को फ़ायदा पहुंचाती है, जो कि निहित स्वार्थ वाले हैं, जिन के पास पूंजी है और जिनका आम जनता से विरोध और दुश्मनी है। इन्सेन्टिव (प्रोत्साहन) देने के नाम पर देशी पूंजी को रियायतें दी जाती हैं और विदेशी पूंजी को भी रियायतें देने की साज़िशें रचाई जा रही हैं। कमेटी की रिपोर्ट है कि हिन्दुस्तान में विदेशी पूंजी को बढ़ावा देने के लिये यहां पर लगी पूंजी को कुछ रियायतें दी जायें, इस तरह के कदम उठाये जायें कि जो मुनाफ़ा विदेशों में जाता है वह यहीं पर रहे और करों में छूट दी जाय और वह छूट विभिन्न नामों से दी जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की नीति से हिन्दुस्तान की आम जनता का फ़ायदा नहीं हो सकता है। गांधीजी कहा करते थे कि हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री झौंपड़ी में रहे और वह स्वयं यहां पर मेहतर कालोनी में रहा करते थे। सरकार की नीति गांधीजी के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है और उनको आगे बढ़ाने वाली नहीं है। भोपाल में कैपिटल बनाने के लिये ११ करोड़ रुपये की जरूरत बताई गई है। उसके बिना भी काम चल सकता है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इन बातों से हिन्दुस्तान बनने वाला नहीं है। इससे स्पष्ट है कि सरकार निहित स्वार्थों को बढ़ावा देना चाहती है, जिन का हिन्दुस्तान से वाकई कोई संबंध नहीं है। आज हिन्तुस्तान में ऐसे लोग हैं—ऐसे सरकारी अधिकारी हैं, जिन को पांच हजार रुपये माहवार वेतन मिलता है, और ऐसे छोटे छोटे कर्मचारी भी हैं, जिन के लिये अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा है । वैल्थ टैक्स और एक्सपेंडीचर टैक्स के बारे में कई माननीय सदस्यों की तरफ से कहा जाता है कि इससे पूंजी सिकुड़ जायगी। लेकिन निहित स्वार्थों पर जब छोटा सा भी प्रहार होने लगता है, तो उनकी वकालत करने के लिये कई लोग आगे आ जाते हैं। हम जानते हैं कि सरकार चाहती है कि इस तरह के टैक्स कम से कम लगाये जायें। हम जानते हैं कि उस रकम को १५ करोड़ के बजाय १२ करोड़ कर दिया गया है। तो जब आप इस तरह के टैक्स लगाते हैं तो इनका किस तरह से स्वागत किया जा सकता है । आप कहते हैं कि आप सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना करना चाहते हैं, समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं और इस काम में आप सब का सहयोग चाहते हैं । लेकिन जिस तरह से आप टैक्स लगा रहे हैं, वे तो इस समाजवादी समाज की रचना में सहायक नहीं हो सकते हैं। इस वास्ते में प्रार्थना करता हूं कि इस फाइनेंस बिल नम्बर २ का सख्त विरोध किया जाना चाहिये और इसको कतई भी किसी भी हालत में पास नहीं किया जाना चाहिये । जिन नए टैक्सों को लगाने का अधिकार वित्त मंत्रालय द्वारा मांगा जा रहा है, वह उसको नहीं दिया जाना चाहिये । इन टैक्सों का बोझ हिन्दुस्तान की उस जनता पर पड़ने वाला है जो कि रूखी सूखी रोटी खा रही है और उससे इस रूखी सूखी रोटी को नहीं छीना जाना चाहिये । आप आम जरूरत की चीजों पर

[श्री ब्रजराज सिंह]

पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, जिसका स्वागत नहीं किया जा सकता । आप आज तम्बाकू पर, चाय पर, काफी पर तथा शूगर इत्यादि पर टैक्स लगा रहें हैं, जोकि आम जरूरत की चीजें हैं । इन की कीमतें यदि बढ़ गईं तो इस का आम जनता पर बुरा असर पड़ेगा ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आमदनियों में जो फर्क है उसको भी कम किया जाना चाहिये । इस दिशा में आज कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं । यह दो तरह से हो सकता है । एक तो हम उनकी आमदनी को कम कर सकते हैं जो कि बहुत अधिक पा रहे हैं या जिन की बहुत अधिक आमदनी है और दूसरे हम उन लोगों की आमदनी बढ़ा सकते हैं जोकि बहुत कमा रहे हैं । मैं चाहता हूं किसी भी व्यक्ति की आमदनी एक हजार से किसी भी सूरत में अधिक नहीं होनी चाहिये । यह चीज़ सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू नहीं होनी चाहिये बल्कि जो लोग कारखानों के मालिक हैं या दूसरे काम करते हैं और लाखों रुपया माहवार कमाते हैं तथा जो प्राइवेट सैक्टर में काम करते हैं, उन पर भी लागू होनी चाहिये । एक हज़ार रुपया उन सब के लिये काफी होना चाहिये और इसमें से उनका गुज़ारा चल सकता है, उनका खर्चा चल सकता है । इसके साथ ही साथ नीचे की आमदनी वाले लोग हैं उनको हमें ऊपर लाने का प्रयत्न करना चाहिये । आज हम सर्वोदय की बात करते हैं, भूमि दान की बात करते हैं तथा कई दूसरी बातें करते हैं लेकिन जब इन चीज़ों को अमल में लाने का वक्त है तो उस पर अमल नहीं किया जाता है, उस पर आचरण नहीं किया जाता है ।

भारत सरकार की ओर से अम्बर चर्खे के बारे में जो एक जांच समिति बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट हमें दी गई है । इसमें यह दिखाया गया है कि जिस खादी के लिये महात्मा गांधी ने ज़ोर दिया था उसका उत्पादन सरकार द्वारा खादी खरीदे जाने पर भी और ज्यादा मात्रा में खरीदे जाने पर भी कम हुआ है । १९५४–५५ में ३,१४,३१,०५७ वर्ग गज़ खादी तैयार की गई जबकि १९५५–५६ में वह घटकर ३,१३,२६,८११ वर्ग गज़ रह गई । मूल्य भी जो १९५४–५५ में था वह १, ६५,२१,४१४ रुपये था जबकि १९५६–५७ में घटकर वह १,६१,००,००० के करीब करीब रह गया । बिक्री भी १९५४–५५ के मुकाबिले १९५५–५६ में कम हुई लेकिन सरकार की खरीद १९५५–५६ में बढ़ गई । सरकार ने १९५४–५५ में २८,७८,००० की खादी खरीदी जबकि १९५५–५६ में इससे कई गुना यानी ६७,३४,००० की खादी खरीदी गई । इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उत्पादन घटा है । महात्मा गांधी जी ने खादी के नाम पर और खादी की खातिर कितनी ही कुर्बानियां दीं और उन्हीं के नाम पर आज शासन चलाया जा रहा है लेकिन अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि खादी उत्पादन बढ़ने के लिये कोई कोई भी कारगार प्रयत्न सरकार द्वारा नहीं किये जा रहे हैं ।

आज हम देखते हैं कि जो टैक्स लगाये जाते हैं और जो टैक्स बड़े बड़े लोगों पर लगाये जाते हैं उनमें बड़े बड़े आदमियों को बाद में रियायत देने की घोषणा कर दी जाती है और अगर हमारे वित्त मंत्री ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जो कांग्रेसी भाई हैं वे दलीलें देते हैं कि यह जो वैल्थ टैक्स है, यदि इसमें रियायतें नहीं दी गईं तो हमें कम पूंजी मिल पायेगी, इससे पूंजी कम हो जायेगी । इस तरह से समाजवादी व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती है । आज हम ९३ करोड़ के नये टैक्स लगाने जा रहे हैं । इसमें कुछ प्रत्यक्ष टैक्स हैं और कुछ अप्रत्यक्ष । हमें उन टैक्सों को नहीं लगाना चाहिये जिन का असर आम जनता पर पड़ता है ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हमको वाकई में उस आदर्श पर चलना है जिस पर महात्मा गांधी हमें चलने के लिये बता गये हैं, तो सरकार को कोई ऐसा काम नहीं

करना चाहिये जिससे कि महात्मा जी की आत्मा को कष्ट पहुंचे। आज हम देख रहे हैं कि जो निहित स्वार्थ हैं उनको तो राहत पहुंचाने का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है लेकिन जो आम जनता है उसकी पूरे तौर पर उपेक्षा की जा रही है। इसको किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस हेतु मैं निवेदन करता हूं कि इस फाइनेंस बिल को किसी भी हालत में स्वीकृति न दी जाये। अगर हमने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी तो हम आगे के लिये एक परम्परा कायम करेंगे और वह यह है कि इस साल तो ३३ करोड़ के नए टैक्स लगे हैं और अगले साल सरकार ५० करोड़ रुपये के नये टैक्स लगा देगी। राज्य सरकारों ने भी पिछले छः सालों में टैक्सों की मात्रा को तकरीबन दुगुना कर दिया है। इस वास्ते मैं कहता हूं कि कम से कम उन टैक्सों को तो न लगाया जाए जिन का असर आम जनता पर पड़ता है।

आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहां ढाई तीन सौ करोड़ रुपये के टैक्सों की चोरी हो रही है। इसको भी रोका जाना चाहिये और टैक्सों को सख्ती से वसूल किया जाना चाहिये। आपको यह भी मालूम होना चाहिये कि जो हमारे उच्च अधिकारी रिटायर होते हैं वे बड़े बड़े लोगों के पास जाकर बाद में नौकरी कर लेते हैं और उनको टैक्सों में चोरी करवाने में मदद देते हैं। इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं सहगल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नेवी के संबंध में उन्होंने इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। हमारे ठाकुर साहब ने अपने व्याख्यान में कहा है कि भारत में सुरक्षा पर ५० करोड़ रुपया ज्यादा व्यय हो रहा है। मैं उनके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। १९५६–५७ में कुल बजट का ४३ परसेंट हम लोगों ने सुरक्षा के ऊपर व्यय किया था और सन् १९५७–५८ में कुल ३५ प्रतिशत ही हम खर्च करने जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया के मुल्कों में केवल भारत ही एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने सुरक्षा व्यय में कमी की है। हमारा सुरक्षा का जो बजट है वह केवल २५२ करोड़ है जबकि इस समय कुल बजट ६६३ करोड़ का है। अब आप यू० एस० ए० की जो आमदनी है और उसका जो बजट है, उसको भी देखिये। अगर आपने इस चीज़ को देखा हो तो आपको पता चलेगा कि वह ५२ परसेंट अपने सारे बजट का केवल सुरक्षा पर खर्च कर रहा है। यू० के० में करीबन ८२७ मिलियन पाउंड सुरक्षा पर व्यय किया जाता है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि साढ़े सात पाउंड सौ रुपये के बराबर होते हैं। अब आप पाकिस्तान की मिसाल को लें। वहां पर कुल बजट का ८० प्रतिशत सुरक्षा पर व्यय किया जाता है। अमरीका पाकिस्तान की सुरक्षा के ऊपर होने वाले खर्च में से ४० परसेंट की सहायता देता है।

इस कंटैक्सट (सम्बन्ध में) अगर आप देखें तो आप को पता चलेगा कि हिन्दुस्तान की एक बिचित्र अवस्था है। मैं तो आशा करता था कि ठाकुर साहब सका समर्थन करेंगे और कहेंगे कि सुरक्षा पर ज्यादा व्यय होना चाहिये लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। आज एक विषम स्थिति हमारे सामने है। आज हम देख रहे हैं कि हिन्दुस्तान को ही नहीं बल्कि सारे एशिया को एनसर्किल कर लिया गया है और वह एनसर्किलमेंट विश्व के दो महान राष्ट्रों द्वारा किया गया है। एक एनसर्किलमेंट तो यू० के० ने इस तरह से कर लिया है। साइप्रस, अदन, केनिया, सिंगापुर, हांगकांग तथा ट्रिंकोमैली में जहां पर उस का नेवल बेस था और जहां से उसको लंका के साथ एक समझौता हो जाने के कारण हटाना पड़ा है, उसने तुरन्त केनिया में मोमबासा में अपना नेवल बेस स्थापित कर लिया है। इस तरह से एक एनसर्किलमेंट तो यू० के० के द्वारा हुआ है। दूसरी पालिसी यू० एस० ए० की है जोकि वह एल्यूशियन आइलैंड्स, जापान, कोरिया, फार्मूसा, बैंकोक, कराची, मनीला के बारे में पर सू कर रहा है। इस तरह से अगर आप एशिया के मैप को देखें तो आप को पता चलेगा कि दोनों मुल्कों ने एशिया को एनसर्किल किया है। मैं

[श्री रघुनाथ सिंह]

पूछना चाहता हूं कि एशिया को क्यों एनसर्किल किया जा रहा है । किस की सुरक्षा के लिये ऐसा किया जा रहा है । सारे एशिया में चार मुल्क हैं जिन के खिलाफ यह सारा जाल रचा जा रहा है और वे हैं, हिन्दुस्तान बर्मा, रूस और चीन । मैं पूछना चाहता हूं कि वे कौन से मुल्क हैं जिन के खिलाफ यह पालिसी अपनाई जा रही है ।

अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बगदाद पैक्ट को देखिये । उस में पांच राष्ट्र आते हैं, तुर्की, यू० के०, ईरान, ईराक तथा पाकिस्तान और इन इलाकों में फौरन बेसिस मौजूद हैं । सीटो को आप देखें तो आप को पता चलेगा कि उसमें यू० के०, यू० एस० ए०, थाईलैंड, फिलिपींस, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड तथा पाकिस्तान हैं । इस तरह आप देखें कि हिन्दुस्तान के दोनों तरफ सेनायें सुसज्जित खड़ी हैं । इस सूरत में हमारी रक्षा कैसे होगी । अगर भारत पर आक्रमण हो गया तो हमको सहायता कहां से मिलेगी । हिमालय पार करके चीन या बर्मा या सोवियत रशिया हमारी सहायता नहीं कर सकते हैं । हमारी सहायता अगर होगी तो वह केवल सी के रास्ते से ही हो सकती है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक नौसेना का सम्बन्ध है हमारी सरकार ने इस की बड़ी उपेक्षा की है । सहगल साहब ने थोड़ी सी बात इस सम्बन्ध में की है । आपको मालूम ही होगा कि सैकिंड वर्ल्ड वार जो कि पैसिफिक में लड़ी गई थी उस समय जापान के पास चार एयरक्राफ्ट कैरियर थे । लेकिन जिस दिन अमरीका की सब-मैरिन ने उन का नाश किया उसी दिन जापान पराजित होने लग गया । हमारे सहगल साहब ने कहा कि एक एयरक्राफ्ट हम खरीदने जा रहे हैं और वह भी पुराना । मालूम नहीं कहां तक वह कारगर सिद्ध होगा । लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ सब-मैरिन नहीं होगी तो एयरक्राफ्ट बिल्कुल यूजलैस होगा, वह किसी काम का नहीं होगा क्योंकि कोई सबमैरिन आकर आप के चार करोड़ रुपये के एयरक्राफ्ट कैरियर का नाश कर सकती है । अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जो सीमा है वह ९३०९ मील लम्बी है, यह हमारा फ्रंटियर है । इस फ्रंटियर में ३५०० मील सी कोस्ट (समुद्र तट) है अर्थात् हमारी सीमा का ३३ परसेंट खाली सी लाइन है जिस की कि हमें दो दृष्टियों से रक्षा करनी है । एक तो विदेशी आर्मी हमारे देश में लैंड न कर सके और दूसरे लड़ाई के समय हमें विदेशों से सहायता मिल सके अगर इंगलैंड की नैवेल पावर मज़बूत नहीं होती तो आज इंग्लैंड की रक्षा असम्भव थी । जैसी इंग्लैंड की अवस्था थी वही आज हिन्दूस्तान की है । आज हिन्दूस्तान को भी एक आइलैंड ट्रीट करना चाहिये और इस दृष्टि को सामने रख कर चलेंगे तो हम हिन्दूस्तान की रक्षा करने में समर्थ होंगे अन्यथा असफल रहेंगे ।

अब आप देखिये कि हम नेवी के वास्ते क्या खर्च करते हैं । अब आप देखेंगे कि चूंकि हमारी कोस्ट लाइन का ३३ परसेंट सी कोस्ट है, इस लिये ३३ परसेंट नेवी पर खर्च होना चाहिये । यू० एस० ए० के परसनल में १२,६६,००० आदमी काम करते हैं, यू० के० में १, २१,५०० आदमी काम करते हैं, हिन्दूस्तान में ७७०० और पाकिस्तान में ७२०० आदमी काम करते हैं । आप देखेंगे कि पाकिस्तान में और हमारे बीच में सिर्फ ५०० आदमियों का फर्क है । अब आप समझ सकते हैं कि हिन्दूस्तान की रक्षा ऐसी अवस्था में कैसे हो सकती है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दूस्तान के लिये इस वक्त जो सब से बड़ी जरूरत है वह यह है कि हम सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दें । आज क्या कारण है जो हर जगह एक्स-प्लोजंस हो रहे हैं, काश्मीर में दो बार धड़ाका हो चुका है और दिल्ली में में तो यह धड़ाके कई बार हो चुके हैं । इस के अलावा आज तक यह सुनने में नहीं आया कि ट्रेन में वैगन का वैगन ही उड़ गया हो । आखिर बात क्या है जो इधर एक दो महीने के अन्दर जगह जगह पर

घड़ाके हो रहे हैं । पाकिस्तान का एक हवाई जहाज अभी जम्मू काश्मीर प्रदेश पर उड़ान करके चला गया, पुर्तगाली हवाई जहाज हमारे देश पर उड़ करके चला जाता है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यह सब क्या है। यह वही पालिसी है जो कि हिटलर ने ऐडाप्ट की थी कि पहले मुल्क में फीलर छोड़ा जाये। यह जो विदेशों के हवाई जहाज़ हिन्दुस्तान की भूमि पर घूम फिर कर चले जाते हैं यह देखते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हम कहां तक दूसरे मुल्कों का सामना कर सकते हैं । लिहाज़ा आज मेरी यह प्रार्थना है कि डिफेंस के वास्ते जो रुपया रक्खा गया है यह बहुत कम है और कम से कम २५२ करोड़ में से ८० करोड़ रुपया नेवी के वास्ते खर्च करना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो प्लान सामने है उससे यह ज़ाहिर हो जाता है कि दुनियां का जितना प्रोडक्शन इस वक्त स्टील एंड आयरन का है, उसका डेढ़ गुना हमारा प्रोडक्शन हो सकता है । यू० एस० ए० और सोवियट रूस, इनका जितना प्रोडक्शन स्टील एंड आयरन का है उसका डेढ़ गुना प्रोडक्शन अकेले हमारे देश में हो सकता है। जब इतना अधिक प्रोडक्शन स्टील और आयरन का हिन्दूस्तान में हो सकता है और रूरकेला से ७५ परसेंट स्टील मिलने जा रहा है और जब यहां पर इतनी अधिक मात्रा में स्टील मौजूद है तो आप को सबमैरिन, माइन लेयर, क्रूज़र, आदि बनाना चाहियें। आपके पास एक भी बैटिलशिप नहीं है और जब आप के पास सबमैरिन, बैटिलशिप आदि नहीं हैं तो आप हिन्दूस्तान की कैसे शत्रुओं से रक्षा करने में समर्थ हो सकेंगे। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि आज आप पाकिस्तान का सामना करने के लिये जितने मज़बूत होने चाहियें, उतने मज़बूत आप नहीं हैं क्योंकि आप की नैवेल पावर मज़बूत नहीं है । इसलिये मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि कम से कम एक हमारे यहां नैवेल शिपयार्ड तो अवश्य होना चाहिये । आप के पास जब इतना स्टील एन्ड आयरन है तो कम से कम एक नैवेल शिपयार्ड होना चाहिये, जहां आप सबमैरिन बना सकें, क्रूज़र्स बना सकें, और बैटिल शिप्स बना सकें और यदि ऐसा हम कर सके, तो हिन्दूस्तान की तरक्की होगी और हिन्दूस्तान की रक्षा हो सकेगी।

आखिरी चीज़ मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने फर्स्ट फाइव इयर प्लान और सैकेंड फाइव इयर प्लान बनाया । पहला प्लान तो पूरा हो गया और अब आपका दूसरा प्लान चल रहा है। लेकिन मैं आप से पूछना चाहूंगा कि आपने अभी तक भारतवर्ष की सुरक्षा के वास्ते क्या प्लान बनाया है। आपने अपने प्लान में बड़ी बड़ी स्कीमें और प्राजेक्ट्स रक्खे हैं और उन पर कुछ कार्य भी चल रहा है लेकिन भारत वर्ष की सुरक्षा के वास्ते आप के पास कोई प्लान नहीं है। आपको डिफेंस की भी प्लानिंग करनी चाहिये और वार (युद्ध) की प्लानिंग होनी चाहिये ताकि कुसमय आने पर हम लोग भली भांति शत्रु का सामना कर सकें और अपनी रक्षा कर सकें। उस प्लानिंग के अनुसार आप को चलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे पास तेल और पैट्रोल नहीं है। आज अगर हिन्दूस्तान पर हमला हो जाय और बाहर से तेल और पैट्रोल आना बन्द हो जाय तो हम लोग जैसे बिल में चूहा मरता है उस तरह से मारे जायेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम एटम की शक्ति को बढ़ायें ताकि हमारी सबमैरिन्स एटम से चल सकें, हमारे वारशिप्स ऐटम से चल सकें, और हमारे डेज़र्स ऐटम शक्ति से चल सकें। सौभाग्य से ऐटम के वास्ते हमारे यहां काफी खनिज पदार्थ मौजूद हैं और हम आयल को ऐटम से रिप्लेस कर सकते हैं। यह ठीक है कि ऐटम का उपयोग हम इस तरह के कामों के लिये नहीं करना चाहते हैं । पीसफुल परपजेज के

[श्री रघुनाथ सिंह]

वास्ते करना चाहते हैं लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है। यकीनी बात है कि अगर कोई सांप काटने को हमें आता है तो हम उसको दंडवत न कर उससे लड़ेंगे और उसका सामना करेंगे, यही हमारा पीसफुल मैथड है। स्वयं पूज्य महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कोई पागल कुत्ता तुम्हें काटने आये तो उस पागल कुत्ते को मार देना ही अहिंसा है, उस को छोड़ देना अहिंसा नहीं है क्योंकि अगर उस पागल कुत्ते को मारा नहीं जाता है और छोड़ दिया जाता है तो वह न मालूम कितने लोगों को जान ले लेगा। हिन्दुस्तान की रक्षा करना ही अहिंसा है, महात्मा गांधी ने काश्मीर में भारतीय फौजों द्वारा सहायता के लिए जाने पर यही कहा था कि भारतीय फौज जाकर पाकिस्तान का सामना करे। आज हममें इतनी ताक़त होनी चाहिये कि दुनिया का कोई मुल्क हमारी तरफ आंख उठा कर न देख सके। इस वास्ते मैं कहता हूं कि कम से कम एक नैवेल शिपयार्ड हिन्दुस्तान में बनना निहायत जरुरी है। हमें इस ओर उपेक्षा नहीं बर्तनी चाहिये और दुसरों के भरोसे नहीं बैठा रहना चाहिये और मैं चाहता हूं कि नेवी के वास्ते कम से कम ८० करोड़ रुपया इस बजट में रक्खा जाय।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इन प्रपोजल्स पर जो कि फाइनेंस बिल की शक्ल में हाउस के सामने हैं और जिनके कि बारे में हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच के समय बहुत अच्छे ढंग से बहस कर चुके हैं, फिर से बहस हो रही है। हमें इस फाइनेंस बिल को कंडेम या उसकी तारीफ करते वक्त यह देखना चाहिये कि जो उसमें प्रपोजल्स् हैं, वह हमारे देश के सोशलिस्ट आवजेक्टिव को आगे ले जाते हैं या उसको पीछे ले जाते हैं।

एक और कसौटी यह है कि आया इन प्रपोजल्स् से जो हमारा सेकेंड फाइव इयर प्लान है जिसका कि दूसरा साल शुरु है, उस दूसरे साल की जो डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को यह बिल पूरा करता है या पूरा करने की उसने कोशिश की है। इन कसौटियों पर अगर इस फाइनेंस बिल को परखें तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता। मुझे हाउस के कुछ मैम्बरान की तकरीरें सुन कर बहुत हैरानी हुई। मैं जब उनकी तकरीरें सुनता था तो सोचता था कि क्या दरहकीक़त उन मासेज़ जनता को नुमायन्दगी हो रही है जिन मासेज़ के नाम पर इतनी सारी तकरीरें की गईं।

यह जो ९३ करोड़ रुपये के नये टैक्सेज लगे हैं और इन ९३ करोड़ के नये टैक्सेज़ पर वह नुक्ता-चीनी की गई है कि हमारी जनता पर बहुत अधिक बोझ लाद दिया गया है। तरह तरह से हर साल हर जगह इस की नुक्ता चीनी हो रही है। ऐसा मालूम होता है कि जब हम खांड पर ड्यूटी बढ़ते देखते हैं या दियासलाई पर ड्यूटी बढ़ते देखते हैं, तो सोचते हैं कि बस, हिन्दुस्तान के गरीब लोग भी बोझ से दब गये। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर हम इन एक्साइज ड्यूटीज की तरफ देखें तो पता लगेगा कि जो ८० फी सदी लोग देहातों में रहते हैं, जो हिन्दुस्तान की गरीब जनता है, या जो काफी से ज्यादा शहरों में भी रहते हैं वह किस हद तक उन अशिया को कंज्यूम करते हैं जिन पर कि टैक्स बढ़ाया जा रहा है। मैं बिल्कुल एक्स्क्लूड तो नहीं कर सकता कि उन पर टैक्सेज का बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि गरीब और दर्म्यानें दर्जे के लोगों पर भी एक्साइज ड्यूटीज का बोझ पड़ता ही है, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं कि अगर एक गरीब आदमी महीने में ५ सेर खांड खाता है तो एक अमीर १ मन खाता है। इस तरह से ड्यूटी का बोझ अमीर पर ज्यादा हुआ न कि गरीब पर।

एक माननीय सदस्य : सब मिला कर देखिये।

श्री मू० चं० जैन : मैं सब मिला कर देखता हूं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर को भी इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने जिन जिन चीजों पर एक्साइज ड्यूटी लगाई है, वह इस ढंग से लगाई है कि

हमारे देश में जो अमीर तबका है वह उन को ज्यादा कंज्यूम करता है, गरीब कम । मैं इस बात को फिर दोहराता हूं कि मैं इस से इंकार नहीं कर सकता कि कुछ बोझ गरीबों पर भी पड़ा है, लेकिन क्या हम ने इसी हाउस में दो वर्ष पहले अपनी दूसरी पच वर्षीय योजना को मंजूर नहीं किया ? क्या उस में यह बात नहीं थी कि जो ४८०० करोड़ रुपये हम उस पर खर्च करेंगे उस के लिये देश पर पांच साल में हम ८०० या ९०० करोड़ रुपये के नये टैक्सेज लगायेंगे ? और मैं कहना चाहता हूं कि इन पांच वर्षों में से यह १९५७–५८ का भी साल है और निस्बत जो टैक्स हम ने लगाने की व्यवस्था की थी, वही आज लगा रहे हैं । इस में परेशानी की कौन सी बात है, ताज्जुब की कौन सी बात है ?

यहां टैक्सेशन की बहुत सी बातें कही गई हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक्साइज ड्यूटीज की तरह से इस बजट में डाइरेक्ट टैक्स भी तो लगाये गये हैं, मिसाल के तौर पर वेल्थ टैक्स, एक्स्पेंडिचर टैक्स, आदि । यह तो बिल्कुल सीधे अमीरों पर ही लगाये गये हैं । हमारे देश का जो टैक्स स्ट्रक्चर अंग्रेजों के जमाने से रहा है, और उस के बाद के पांच, सात वर्षों से, वह इतना निकम्मा था कि अमीरों पर तो बोझ कम था और गरीब जनता पर ज्यादा था । इस बजट में पहली बार इसे बदलने की कोशिश की गई है और अमीरों पर सीधे तरीके से टैक्स लगाया जा रहा है । दरअस्ल अमीरों ने इस देश का वातावरण इतना बिगाड़ा है जितना कि हम अन्दाजा नहीं लगा सकते । आज प्रेस अमीरों के ही हाथ में है, टाइम्स आफ इंडिया है, हिन्दुस्तान टाइम्स है, दूसरे अखबार हैं, वीकली हैं, फोर्टनाइटली जो कि डे इन और डे आउट आर्टिकल्स लिखते हैं ; इन नये टैक्सों के नाम पर उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बहुत जहर उगला है । जहर उगलते वक्त बहाना तो करते हैं गरीबों का, कहते हैं कि गरीब पर बोझ बढ़ गया, लेकिन दरअस्ल रोना अपना रोते हैं । पता नहीं कौन सा फोरम है, फोरम आफ फ्री एंटरप्राइज वगैरह की जो किताबें हैं, वह पार्लियामेंट के मैम्बरान के पास भेजी गई हैं, पता नहीं किस किस जगह भेजी गई हैं । देख कर नफरत होती है कि किस तरह से सरमायेदार लोग गरीब लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं और उन को भड़काते हैं कि टैक्सों के बोझ से उन का कचूमर निकाल दिया है । दर अस्ल यह हुकूमत आज देश में सोशलिस्ट पैटर्न लाने के लिये हिम्मत से काम कर रही है और आये बरस एक दो कदम उठाती है । वह लोग चाहते हैं कि इस तरह के कदम हुकूमत न उठाये । मुझे तो सरमायेदारों की यह हरकत देख कर एक कहानी याद आ जाती है । एक सेठ रेल में सफर कर रहा था । उस के पास १० हजार रुपया था । सफर करते करते वह ग्वालियर के पास भिंड के इलाके में भी पहुंचा जहां कि रोज ही डकैती की वारदात होती रहती हैं । किसी ने उस से कहा : सेठ साहब, आप तो बड़े सेठ मालूम होते हैं, लेकिन इन लाइन पर चोरी, डाके और लूट की वारदात होती रहती है । यह सुन कर सेठ घबराया । उस ने किसी से कहा नहीं था कि उस के पास रुपया है, लेकिन सोचने लगा कि किस तरह से बचूं । रात भी हो गई थी । एक पड़ौसी से पूछने लगा कि भाई, तुम कहां जा रहे हो । उस ने भी उसी स्थान का नाम ले लिया जहां कि उस अमीर आदमी को जाना था । अमीर ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, मेरा आप का साथ हो गया । फिर पूछा कि तुम्हारे पास क्या है ? गरीब मुसाफिर ने जवाब दिया कि मेरे पास तो २० रुपये हैं । सेठ साहब ने उस से कहा कि तुम्हारे पास २० रुपये हैं, लेकिन जानते हो कि यहां रात में वारदातें हो जाया करती हैं । कहीं तुम्हारा रुपया न कोई उड़ा ले । गरीब बेचारा घबरा गया सेठ से पूछा कि क्या किया जाये । सेठ ने कहा कि तुम रात भर जागो नहीं तो यह २० रुपया बचेगा नहीं । इस तरह उस गरीब के दिल के अन्दर उस ने बड़ा डर पैदा कर दिया । नतीजा यह हुआ कि गरीब बेचारा तो रात भर जागता रहा और सेठ मजे से सोया । बिल्कुल इसी तरह सरमायेदार अपने ऊपर टैक्स नहीं लगने देना चाहते और टैक्सों का डर गरीबों को दिखा कर उन्हें भड़का रहे हैं । हकीकत यह है और मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से यह कहना

[श्री मू० चं० जैन]

चाहता हूं कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे सोशलिस्ट पैटर्न के आदर्श को, जो हम ने मुकर्रर किया है, पसन्द नहीं करते । ऐसे लोग हमारी कांग्रेस पार्टी में भी हैं । कांग्रेस पार्टी में आ कर, अपनी इस पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं । वह हमारी हायेस्ट कमेटियों में जा कर बड़े बड़े लीडरों के दिमाग में यह डर पैदा करते हैं कि पता नहीं क्या होगा अगर यह टैक्स लगाये गये । मगर हमारे जो टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं वह गरीब पर बोझ ज्यादा नहीं है। मैं इस चीज को जानता हूं क्योंकि मैं देहात का ही रहने वाला हूं । यह बात नहीं है कि इस टैक्सेशन का बोझ गरीबों पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस हकीकत को मानने से इनकार नहीं कर सकता कि गरीबों की आज जो परेशानी है, और वह टैक्सेशन प्रपोजल्स की जो नुक्ता चीनी करते हैं, वह इस वजह से नहीं कि वाकई उन का ज्यादा बोझ गरीब पर पड़ा है । बल्कि इस लिये कि गरीबों को इन्साइट किया गया है । प्रेस का एक एक पर्चा निकलता है, उस में किसी न किसी तरीके से यह कहा जाता है कि कामन मैन पर टैक्स लगेगा, यह होगा, वह होगा । इस लिये अगर मुझे गवर्नमेंट से कोई बात कहनी है, इस फाइनेंस बिल के सम्बन्ध में, तो यही कहनी है कि आप का भी क्या कोई काउन्टर प्रोपेगैन्डा है । आज फ्री एंटरप्राइज वगैरह के जो पैम्फलेट निकलते हैं, उन के लिये आप क्या करते हैं ? कौन सा आप का डेली पेपर है जिस में बार बार यह कहा जाय कि जो हमारा पुराने समाज का ढांचा है उस को हम बदलने पर तुले हुए हैं, अधिकारियों की पुरानी विचार-धारा को बदलने पर तुले हुए हैं ? आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, और अफसोस इस वजह से हुआ कि इस हाउस में हम अपने देश गरीब की जनता की नुमाइन्दगी करते हैं, हम लोग आज यहां पर ७ और ८ लाख आदमियों के नुमाइन्दे हैं, और अगर कहीं लोग डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसी से आए हैं, तो वह १५ ,१५ लाख आदमियों तक नुमाइन्दगी करते हैं, इस डिमाक्रेसी का नुक्स है कि जो मेम्बर आते हैं तो गरीब की राय ले कर आते हैं, उन की नुमाइन्दगी करने के लिये आते हैं, लेकिन उन की नुमाइन्दगी करते करते, जब वह भी कुछ अमीर हो जाते हैं या अमीर तबके से आते हैं, तो गरीबों के बजाय अमीरों के नुमाइन्दे हो जाते हैं कहीं यहीं बात आज भी तो नहीं साबित हो रही है, इस लिये मैं आप की मारफत फाइनेंस मिनिस्टर से और फाइनेंस मिनिस्टर की मारफत सारी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि आज गवर्नमेंट की टैक्स तजवीजों के खिलाफ जो जहरीला प्रोपैगेंडा हो रहा है, वह इस लिये कि आज तो यह टैक्सेशन वेल्थ और एक्सपेंडिचर टैक्सेज की शक्ल में थोड़े रेट से आया है, कहीं अगले साल यह न हो कि और रेट और भी बढ़ जायें । और इस तरह से जो हमारे टैक्सेशन का पुराना ढांचा है, निकम्मा ढांचा है, कहीं वह न बदल जाये , इस के लिये यह तमाम जहर फैलाया जा रहा है ।

टैक्स गरीबों पर सही, मगर खर्च कैसे होगा । नये टैक्सों के ९८ करोड़ रु० में ७३ करोड़ तो सेन्टर के पास रहेगा और १५ करोड़ रु० स्टेट्स को चला जायगा । अब जो रुपया बच जाएगा सेन्टर के पास, उस में से डिफेंस पर ५० करोड़ रुपया ज्यादा खर्च किया जा रहा है । और २५ करोड़ फूड सब्सिडी स्टेट्स को दी जा रही है । अनाज मंहगा हो आया । अनाज के दाम बढ़ने पर जो सब्सिडीज स्टेटस को दी जाएंगी वह गरीब लोगों का ही तो दी जाएंगी । क्या वह अमीरों को दी जायंगी ? तो उस ७८ करोड़ में से ७५ करोड़ इस तरह से खर्च हो जाता है । फिर भी टैक्स पर इस तरह से क्रिटिसिज्म किया जाता है ।

मैं तो जितनी ही गहराई से इस बजट को पढ़ता हूं उतनी ही मुझे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की दाद देनी पड़ती है कि न सिर्फ उन्होंने ईक्वीटेबिल बेसिस पर टैक्स लगाया है बल्कि टैक्स के ढांचे को प्रोग्रेसिव बनाया है यानी जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे खुद ब खुद उस पर टैक्स की रकम बढ़ती जाती है ।

इसके अलावा इस बजट के द्वारा वित्त मंत्री जी ने देश में सेविंग करने को एनकरेज किया है। मिसाल के तौर पर पहले इंश्योरेंस पर एक हद तक की आमदनी का पांचवां हिस्सा फ्री होता था, अब चौथा हिस्सा फ्री कर दिया गया है। इसी तरह से प्रावीडेंट फंड में रियायत दे कर उन्होंने सेविंग को एनकरेज किया है। इस लिये यह कहना कि इन टैक्सों से गरीब जनता पर बोझ पड़ा है, यह सिर्फ हिन्दूस्तान के सरामायेदारों के हाथों में खेलना है जो कि देशभक्त नहीं है, जो कि हमारे सोशिलस्ट पैटर्न को पसन्द नहीं करते हैं। मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि वह बाखबर रहे क्योंकि तरह तरह से ये सरमायेदार लोग अनेक क्षेत्रों में जा कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के मेम्बरों तक पर यह अपना असर डाल रहे हैं।

इसके अलावा मैं वेस्ट से बचने के बारे में, सेविंग करने के बारे में और इसी तरह से टैक्स इवेजन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वैसे तो वैल्थ टैक्स और एक्सपेंडीचर टैक्स लगाने से टैक्स इवेजन कम हो जायेगा। लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत टैक्स इवेजन होता है। मैं जानता हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का इस तरफ ध्यान है। लेकिन फिर भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि उनका ध्यान इस तरफ दिलाऊं।

बचत की तरफ कई मेम्बरान ने ध्यान दिलाया है। मुझे खुशी है कि पिछले महीने से इकानमी ड्राइव मुख्तलिफ मुहकमों में शुरू किया गया है। अच्छा होता अगर यह ड्राइव दो तीन साल पहले आता। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। इस को बराबर चलते रहना चाहिये।

एक बात कह कर मैं खत्म करूंगा। मैं कुछ नये टैक्स प्रोपोजल सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मेम्बरान यह सुन कर हैरान होंगे क्योंकि वे समझते हैं कि पहले ही टैक्स इतने लग रहे हैं और मैं नये टैक्सों की तजवीज कर रहा हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के कुछ अमीर लोग टैक्स का इवेजन कर रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पर आप को बतलाना चाहता हूं कि एस्टेट ड्यूटी टैक्स किसी आदमी के मरने पर लगता है। अब होता यह है कि लोग मरने के पहले अपने बेटों, बेटियों और दूसरे खानदान वालों के नाम अपनी जायदाद कर देते हैं, और इस तरह अपनी जायदाद बहुत कम कर लेते हैं। बिल की रजिस्ट्री होती नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कानून बना दिया जाये कि बिल का रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी हो जाये जैसे कि गिफ्ट्स के बारे में है। इस तरह से यह इवेजन रुक सकता है।

दूसरे मुझे ट्रांस्पोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में अर्ज़ करना है। मुमकिन है ह वचीज और राज्यों में भी हो, पर पंजाब में कुछ लोग मिल कर ट्रांस्पोर्ट कम्पनी बना लेते हैं और रुपया पैदा करते हैं। कोआपरेटिव सोसाइटी पर टैक्स नहीं लगता। इस तरह से ये लोग टैक्स से बच जाते हैं। मेरा सुझाव है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाय कि इन ट्रांस्पोर्ट कम्पनियों से या तो स्टेट गवर्नमेंट को या सेन्ट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिल सके। इन पर कोई टैक्स नहीं लगता। जो दो बातें मैं ने ऊपर कही हैं इन पर खास तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ऐसा किया गया तो करोड़ों रुपये की आमदनी बढ़ जायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं बहुत जोरों से इस फाइनेंस बिल की हिमायत करता हूं और मैं चाहता हूं कि हाउस इस को इतिफाक राय से पास करे, न कि इस को नामंजूर करे जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है।

†उपाध्यक्ष महोदय : श्री भरूचा।

†श्री नोशीर भरूचा : वित्त संख्या (२) विधेयक द्वारा कुछ उत्पादन शुल्क लगाये जा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ ही वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है।

†उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २७ अगस्त, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २६ अगस्त, १९५७]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ४४७७–४५०९

तारांकित प्रश्न संख्या — विषय

११५७	पाकिस्तान की ओर नहरी पानी की बकाया राशि	४४७७–७८
११५८	कृषक पर्यटन कार्यक्रम	४४७८—८०
११६०	बिहार में रेलवे लोक सेवा आयोग	४४८०–८१
११६२	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से तार भेजना	४४८१
११६५	रेलवे इंजन	४४८२—८४
११६६	नीदरलैंड से आर्थिक सहायता	४४८४–८५
११६९	मालाबार और कोचीन एक्सप्रेस में अधिक भीड़	४४८५–८६
११७१	आन्ध्र प्रदेश में पोचमपाद में परियोजना	४४८६–८७
११७३	वरेठा-टिम्बा रोड रेलवे लाइन	४४८७
११७५	आस्ट्रेलिया की गेहूं का पाकिस्तान भेजा जाना	४४८७–८८
११७६	दिल्ली में आवास बस्तियां	४४८८
११७७	देहरादून में कागज़-संयंत्र	४४८९–९०
११७८	समुद्र का तेल से कलुषित होना	४४९०
११७९	डाक परिपत्रों की कमी	४४९१–९२
११८२	कलकत्ता पत्तन का चेयरमैन	४४९२–९३
११८४	मचकुंड की मिट्टी के कटाव सम्बन्धी योजना	४४९४
११८५	भेषजीय जांच समिति का प्रतिवेदन	४४९५
११८८	कानपुर और लखनऊ के बीच डीज़ल की रेलगाड़ियां	४४९५–९६
११८९	हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर मजदूर	४४९६–९७
११९०	भाखड़ा नांगल परियोजना	४४९७–९८
११९१	रेलवे कर्मचारियों के लिये निवृति-वेतन की योजना	४४९८—४५००
११९२	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन्स	४५००
११९३	एमोनियम सल्फेट	४५००—०२
११९७	टेलीफोन कनैक्शन	४५०२–०३
११९८	गण्डक योजना	४५०३–०४
११९९	कलकत्ता पत्तन के डिप्टी चेयरमैन	४५०४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या

२०	मीरपुर में मंगला बांध	४५०५—०७
२१	रूसी विमानों द्वारा काश्मीर में हवाई अड्डों का कथित प्रयोग	४५०७–०९

		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४५०९—४५
तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
११५९	ग्रांड ट्रंक एक्प्रेस के इंजन का खराब हो जाना	४५०९
११६१	पटना हवाई अड्डा	४५०९–१०
११६३	वायरलैस सिगनल यन्त्र	४५१०
११६४	केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन	४५१०
११६७	रेलवे कर्मचारियों की ऋणिता	४५१०–११
११६८	इच्छामती नदी द्वारा मिट्टी का कटाव	४५११
११७०	जल संभरण और स्वच्छता योजनायें	४५११
११७२	सेवानिवृत रेलवे ड्राइवर	४५११–१२
११७४	गाड़ियों में सामान बेचने वाले	४५१२
११८०	सेवानिवृत रेलवे कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति	४५१२
११८१	रूस से चावल का आयात	४५१२–१३
११८३	रेलवे स्टेशनों के हिन्दी नाम	४५१३
११८६	त्रिपुरा और मनीपुर में डाकघर	४५१३–१४
११९४	तलकर्षक	४५१४
११९५	'याज़' रोग के नियंत्रण की अन्तर्राज्यिक योजना	४५१४
११९६	चित्तरंजन का इंजन बनाने का कारखाना	४५१५
१२००	काकिनाडा-रामचन्द्रपुरम् रेलवे लाइन	४५१५
१२०१	आन्ध्र में बाढ़-नियंत्रण योजनायें	४५१५
१२०२	मैडिकल कालेज, कानपुर	४५१५–१६
१२०३	भारतीय नाविक	४५१६
१२०४	गंगा-ब्रह्मपुत्र अन्तर्देशीय जल-परिवहन	४५१६
१२०५	उड़ीसा के डाकघर	४५१६–१७
१२०७	गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के मुहानों में नौ-परिवहन	४५१७
७९६	बम्बई उपनगरीय रेल गाड़ियां	४५१७–१८
८२३	डैकन क्वीन	४५१८
९४७	बम्बई नगर के इर्दगिर्द समुद्रद्वारा मिट्टी का कटाव	४५१८–१९
९६४	बम्बई उपनगरीय रेल गाड़ियां	४५१९
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८७४	आन्ध्र में राष्ट्रीय राजपथ	४५१९–२०
८७५	लखीमपुर स्टेशन के प्लेटफार्म पर छत	४५२०
८७६	एस० एस० आमाडा	४५२०–२१
८७७	गाड़ियों का ठीक समय पर चलना	४५२१
८७८	परिहारा रेलवे स्टेशन पर दुर्घटनायें	४५२१
८७९	अतिरिक्त रेल गाड़ियां	४५२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८८०	बम्बई में राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास खंड . .	४५२२–२३
८८१	सिगनल संचालन के लिये भर्ती .	४५२३
८८२	नया रेलवे स्टेशन .	४५२३
८८३	यात्री सुविधायें .	४५२३–२४
८८४	यात्री सुविधायें .	४५२४
८८५	यात्री सुविधायें . .	४५२४–२५
८८६	चीन को भारतीय प्रतिनिधिमंडल . .	४५२५
८८७	हिमालय के खंडों में खाद्यान्नों का गिराया जाना	४५२५–२६
८८८	नेपाली अधिकारियों द्वारा भारतीय डाकघरों का दौरा .	४५२६–२७
८८९	अनुसूचित जातियों के लिये रिक्तताओं का सुरक्षण .	४५२७
८९०	गाड़ियों का देर से चलना . .	४५२७
८९१	केंसिंग रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल	४५२८
८९२	चीनी के कारखाने . .	४५२८–२९
८९३	चीनी के कारखाने . . .	४५२९–३१
८९४	अनाज उठाने के यंत्र	४५३१–३२
८९५	सहायक परिचारिकायें तथा धात्रियां . .	४५३२
८९६	सिद्धपुर में ऊपरी पुल	४५३२
८९७	देशीय तथा होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियां . .	४५३३
८९८	लोहाना रोड़ स्टेशन . . .	४५३३
८९९	आसाम के भूतपूर्व रेल कर्मचारी . .	४५३३–३४
९००	कुतुब रोड, नई दिल्ली की सफाई . . .	४५३४
९०१	परादीप पत्तन रेलवे लाइन . . .	४५३४
९०२	पटसन की खेती	४५३५
९०३	रेलवे के पोर्टर . . .	४५३५–३६
९०४	पहाड़ी स्थान का भत्ता . .	४५३६
९०५	अगरताला नगरपालिका . .	४५३६–३७
९०६	मद्रास में रेलवे कर्मचारियों के लिये गृह-व्यवस्था	४५३७
९०७	गोदामों में माल रखने के बारे में प्रशिक्षण .	४५३७
९०८	माल गाड़ी के डिब्बे का लाइन से उतर जाना .	४५३८
९०९	रेलवे स्कूलों में शिक्षकों के वेतन क्रम	४५३८
९१०	पुरानी दिल्ली में इमारत का गिरना	४५३८–३९
९११	दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई .	४५३९
९१२	विकास खंडों में मंत्रणा समितियां .	४५३९
९१३	रेलों में 'जर्नी मैनों" का [illegible]रण .	४५३९–४०
९१४	इन्दौर-उज्जैन एक्सप्रेस रेल गाड़ी .	४५४०
९१५	कृषि-ऋण . .	४५४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः) पृष्ठ

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	
६१६	मनीपुर पहाड़ी क्षेत्रों में चलते-फिरते औषधालय	४५४१
६१७	नांगल मुकेरियां रेल-सम्पर्क	४५४१
६१८	रेलवे सुरक्षा दल .	४५४१
६१६	रेलवे प्रशिक्षण स्कूलों में हिन्दी . .	४५४२
६२०	खाद्यान्नों का संग्रह .	४५४३
६२१	गहरे समुद्र में मछली पकड़ना . .	४५४३
६२२	रेलवे कर्मचारियों के ओवर टाइम भत्तों की शेष राशि	४५४४
६२३	गन्ना . . .	४५४४
६२४	त्रिपुरा में एल० एम० एफ० डाक्टर .	४५४५
६२५	भारतीय सुपारी समिति . .	४५४५

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपःस्थापित किया गया . ४५४५

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने व्यय-कर विधेयक, १६५७ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपःस्थापित किया।

विधेयकों के बारे में साक्ष्य सभा-पटल पर रखा गया . . ४५४५

धन-कर विधेयक, १६५७ और व्यय-कर विधेयक, १६५७ के बारे में प्रवर समितियों के समक्ष दिये गये साक्षय की एक प्रति

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ४५४५—४७

श्री हेम बरुआ ने लामकिन क्षेत्र के गिंग ग्राम में १६ अगस्त, १६५७ को हुई विमान दुर्घटना की ओर, जिस के फलस्वरूप ८ व्यक्ति मारे गये, परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाया।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमांयू कबीर) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया और एक वक्तव्य भी सभा-पटल पर रखा।

विधेयक विचाराधीन . . . ४५४७--६२

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने प्रस्ताव किया कि वित्त (संख्या २) विधेयक, १६५७ पर विचार किया जाये।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

[illegible]ार, २७ अगस्त, १६५७ के लिए कार्यावलि—

वित्त (संख्या २) विधेयक, १६५७ पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा तथा विधेयक का पारित किया जाना।